लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

Fifteenth Session

Preservation
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 57 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVII contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8—बुधवार, 3 अगस्त, 1966/12 श्रावण, 1888 (शक)

No. 8— Wednesday August 3, 1966 / Sravana 12, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या

S. Q. Nos. :

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
210.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये लोक-सेवा आयोग	Public Service Commission for Public Sector Undertakings	1-5
211.	कनिष्ठ कृषि विद्यालय	Junior Agricultural Schools	5-9
212.	दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालय	E.S.I. Scheme Dispensaries in Delhi	9-10
213.	खेतिहर मजदूर	Agricultural Labour	10-12
214.	हरियाना और पंजाबी सूबा की वित्तीय स्थिति	Financial Position of Haryana and Punjabi Suba	12-14
215.	तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा	Job Security in Oil Companies	14-21

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
	कोचीन शिपयार्ड	Cochin Shipyard	

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या

S. Q. Nos. :

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
216.	आसाम क्षेत्र में रेलगाड़ियों में विस्फोट	Explosion in Trains in Assam Sector	21-22
217.	धनबाद के निकट एक खान में दुर्घटना	Accident in a Mine near Dhanbad	22-23
218.	मन्त्रालयों का पुनर्गठन	Reorganisation of Ministries	23
219.	आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उपाय	Security Measures at Assam-E. Pak Border	23-24

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसे सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
220.	काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयास	Attempt on the Life of the Chief Minister of Kashmir	24-25
221.	पांडिचेरी का मद्रास में विलय	Merger of Pondicherry with Madras	25
222.	राष्ट्रीय गीत जी रचना	Composition of National Anthem	25
223.	चम्पारन बिहार में तूफान (साइकलोन)	Cyclone in Champaran, Bihar	25-26
224.	स्टैनलैस स्टील का निर्माण	Manufacture of Stainless Steel	26
225.	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Persons displaced as a result of Indo-Pak Conflict	26-27
226.	बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोग	Repatriates from Burma	27-28
227.	बिहार में शिक्षा के सम्बन्ध में प्रायोगिक सर्वेक्षण	Pilot Survey on Education in Bihar	28-29
228.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वैज्ञानिक पुंज	Scientists Pool of the C.S.I.R.	29
229.	संस्कृत की अनिवार्य पढ़ाई	Compulsory Teaching of Sanskrit	29-30
230.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो	C.B.I.	30-31
231.	हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास	Development of Hindi and other modern Indian Languages	31
232.	मद्यनिषेध	Prohibition	31-32
233.	विद्रोही मिजो लोगों की भारतीय सुरक्षा पुलिस से भिड़न्त	Encounter of Mizo Hostiles with Indian Security Police	32-33
234.	प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षा	Primary and Middle School Education	33
235.	भारत का राष्ट्रीय कैलेण्डर	National Calendar of India	34
236.	तोड़ फोड़ की कार्यवाही से रेलवे लाइन पर चौकसी	Vigilance on Railway tracks against sabotage	34-35
237.	गोआ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Government Employees in Goa	35
238.	काश्मीर में पाकिस्तानी हथियार तथा गोलाबारूद बरामद किया जाना	Recovery of Pakistani Arms and Ammunition in Kashmir	35-36

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
239.	जांच आयोग (मध्य प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1966	Commissions of Inquiry (Madhya Pradesh Amendment) Ordinance, 1966	36

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos :			
1036.	काश्मीर में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत मामलों पर पुनर्विचार	Review of Cases under D.I.R. in Kashmir	36-37
1037.	गंगापुर जिले में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ	Pak. Intrusion in Gangapur District	37
1038.	रेल डाक सेवा डिवीजन जयपुर	R.M.S. Division, Jaipur	38
1039.	नागा विद्रोहियों द्वारा अचानक आक्रमण	Surprise Attack by Naga Hostiles	38
1041.	भारत की संस्कृति में दक्षिण का योगदान	South Contribution to India's Culture	38-39
1042.	सिन्धु घाटी सभ्यता	Indus Valley Civilization	39
1043.	केरल के सरकारी कालेजों में वैज्ञानिक	Scientists in Government Colleges in Kerala	39-40
1044.	अनुसंधान छात्रों को छात्रवृत्ति	Scholarships to Research Scholars	40
1045.	मिडिल स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा	Science in Middle Schools	40-41
1046.	केरल में वैलियाथूवल में पुलिस की ज्यादतियां	Police Excesses at Veliathooval, Kerala	41
1047.	केरल में हरिजन	Harijans in Kerala	41-42
1048.	केरल में शराब बनाने के कारखाने	Distilleries in Kerala	42-43
1049.	गाँवों में खेलकूद	Sports in Villages	43
1050.	डाक तथा तार विभाग में भूटानियों को प्रशिक्षण देने की योजना	Scheme to Train Bhutanese in P & T Department	43-44
1051.	राज्यों में लोगों की शिकायतें सुनने के लिये व्यवस्था	Public Grievances Machinery in States	44
1052.	दुर्लभ पाण्डुलिपियों की माइक्रोफिल्म तैयार करना	Microfilming of Rare Manuscripts	44
1053.	तेल का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण	Surveys to locate Oil	44-45
1054.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्	Indian Council for Cultural Relations	45-46
1055.	जम्मू तथा काश्मीर के लिये पृथक झंडा	Separate Flag for J&K	46
1056.	मिजो विद्रोही	Mizo Rebels	46-47

अ० प्र० सं० U.S.Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1057.	टेलीफोन व्यवस्था का विस्तार करने के लिये केबलों और तारों की कमी	Shortage of Cable and Wire for Telephone Expansion	47
1058.	बिक्री-कर विभाग में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	S.C. Employees in Sales Tax Department	47-48
1059.	कलकत्ता उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले	Pending Cases in Calcutta High Court	48
1060.	न्यायापालिका को कार्यपालिका से पृथक करना	Separation of Judiciary from Executive	48-49
1061.	विश्वविद्यालय के उप-कुलपतियों का सम्मेलन	University Vice-Chancellors. Conference	49
1062.	आस्ट्रिया द्वारा उर्वरक संयंत्रों का संभरण	Supply of Fertilizer Plants by Austria	49-50
1063.	बस्तर कांड	Bastar Incident	50
1064.	दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के वित्तीय साधन	Financial Resources of D.M.C. and N.D.M.C.	50-51
1065.	विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा	Compulsory National Service for Students	51
1066.	निष्क्रमण आयोग का प्रतिवेदन	Exodus Committee Report	51
1067.	कीर्तिनगर, दिल्ली में सरकारी कालेज	Government College, Kirtinagar, Delhi	51-52
1068.	दिल्ली में छुरा घोंपने की घटनाएं	Stabbing Cases in Delhi	52
1069.	जम्मू में काश्मीर पर संविधान के अनुच्छेदों का लागू किया जाना	Application of Articles of Constitution to J.& K.	52
1070.	छत्रपति शिवाजी तथा महाराणा प्रताप के जन्म दिवस मनाना	Anniversaries of Chhattarpati Shivaji and Maharana Pratap	52-53
1071.	केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को विदाई भोज	Farewell Parties to Central Government Officers	53
1072.	दिल्ली में चोरी की घटनाएं	Theft Cases in Delhi	53
1073.	केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली	C.T.O. New Delhi	53-54
1074.	तार इंजीनियरी सेवा	Telegraph Engineering Service	54-55
1075.	नगा विद्रोही	Naga Rebels	55
1076.	विज्ञान के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships for Science Students	55-56

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1077.	जैसलमेर में गैस और तेल की खोज	Exploration of Gas and Oil in Jaisalmer	56
1078.	उपकुलपतियों की सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement Age of Vice-Chancellors	56
1080.	भ्रष्ट अधिकारियों से उनकी आय के अनुपात से अधिक आस्तियों की वसूली	Recovery of Disproportionate Assets from Corrupt Officers	57
1081.	उच्चतर शिक्षा	Higher Education	57
1082.	अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory Primary Education	58
1083.	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये कार्ड पास	Card Passes for P. & T. Employees	58-59
1084.	बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोग	Repatriates from Burma	59
1085.	बिक्री कर सलाहकार समिति	Sales Tax Advisory Committee	59-60
1086.	आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों को सहायता	Aid to Agra University Colleges	60
1087.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद	Vacancies of Judges in Allahabad High Court	60-61
1088.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई घटनायें	Aligarh Muslim University Incidents	61
1089.	विट्ठल भाई पटेल भवन, नई दिल्ली में हत्या	Murder in Vithalbhai Patel House, New Delhi	61-62
1090.	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक	Meeting of the Central Advisory Board of Education	62
1091.	सन्थानम समिति की सिफारिशें	Recommendations of Santhanam Committee	62
1092.	इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मिजो नेताओं का पत्र	Letter from Mizo Leaders to the President of Indonesia	62
1093.	बर्न अभिसमय	Berne Convention	63
1094.	मनीपुर को एक राज्य बनाना	Statehood for Manipur	63
1095.	दिल्ली में पाठ्य पुस्तकें	Text Books in Delhi	63-64
1096.	दिल्ली महानगर परिषद्	Metropolitan Council for Delhi	64

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
1097.	विदेशों से बुलाये गये वैज्ञानिक	Scientists Invited from Abroad	64
1098.	गोहाटी तेल शोधक कारखाना	Gauhati Refinery	65
1099.	गोहाटी के तेल शोधक कारखाने की गैस का प्रयोग	Use of Gauhati Refirery Gas	65
1100.	हिन्दुओं का ईसाई बनाया जाना	Conversion of Hindus to Christianity	65-66
1101.	नई दिल्ली में एक केन्द्रीय मंत्री के चौकीदार पर हमला	Attack on the Guard of Contral Minister in New Delhi	66
1102.	झुग्गियों का जल जाना	Burning of Jhuggies	67
1103.	पश्चिम वंगाल के अध्यापकों द्वारा धरना	Picketing by West Bengal Teachers	67
1104.	न्यायिक सुधार	Judicial Rerforms	67-68
1106.	मिहिर सेन को पुरस्कार	Award for Mihir Sen	68
1107.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कर्मचारी	Staff of Central Hindi Directorate	68
1108.	रुद्रासागर तेल क्षेत्रों से तेल का संभरण	Supply of Oil from Rudrasagar Oil Fields	68 69
1109.	दूर संचार उपकरण	Tele-Communications Equipment	69
1110.	कोठागुडम में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in Kothagudem	69-70
1111.	आसाम में ड्रिलिंग	Drilling in Assam	70
1112.	पंजाब से विस्थापित लोग	Displacea Persons from Punjab	70-71
1113.	जम्मू तथा काश्मीर में पाठ्य पुस्तकें	Text Books in in Jammu and Kashmir	71
1114.	बुनियादी तथा गैर बुनियादी स्कूल	Basic and Non-basic Schools	71-72
1115.	केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	Strength of S. C. & S. T. Officers in Union Government	72
1116.	मूल्य नियन्त्रण समिति	Price Control Committee	73
1117.	कुप्रन्धित औद्योगिक उपक्रम	Mismanaged Industrial Undertakings	73-74
1118.	उखरूल चौकी पर आक्रमण	Attack on Ukhrul check post	74

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1119.	राष्टीय ध्वज का अपमान	Insult to the National Flag	74
1120.	लद्दाख गबन का मामला	Ladakh Embezzlement Case	74-75
1121.	दिल्ली के अध्यापकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Delhi Teachers	75
1122.	मोतीहारी (बिहार) में टेलीफोन एक्सेचेन्ज	Telephone Exchange in Motihari (Bihar)	75-76
1123.	बिहार में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Bihar	76
1124.	शारीरिक क्षति प्रतिकर (बीमा) अधिनियम (पर्सनल इंजरीज कैम्पेशशेसन इंश्योरेंस) एक्ट	Personal Injuries Compensation (Insurance) Act	76-77
1125.	न्यायधीशों की सेवा की शर्तें	Service Conditions of Judges	77
1126.	श्री वालकॉट की गिरफतारी	Arrest of Walcott	77-78
1127.	अलगप्पा शिक्षा न्यास संस्थायें	Alagappa Educational Trust Institutions	78
1128.	एर्णाकुलम और कालीकट स्थित विश्वविद्यालय केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of University Centresat Ernakulam and Calicut	78-79
1129.	कालेज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की मांगे	Demand of College and University Teachers	79
1130.	प्रत्येक अनुसंधान संस्था के लिये कार्यकारिणी परिषद्	Executive Council for each Research Institution	79-80
1131.	सड़क परिवहन के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Road Transport	80
1132.	पश्चिम बंगाल में कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापक	West Bengal College and University Teachers	80-81
1133.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें	Industrial Training Institutes	81
1134.	राजधानी में नियंत्र	Traffic Control in the Capital	81-82
1135.	आसाम में टेलीफोन सेवा	Telephone Service in Assam	82
1136.	जम्मू तथा काश्मीर में पकड़े गये पाकिस्तानी निर्माण चिन्ह अंकित हथियार तथा गोलाबारूद का जखीरा	Dump of Arms and Ammunition with Pakistani markings dicovered in J & K	82
1137.	मैसूर विधान सभा के उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी	Arrest of Dy. Speaker Mysore Legislature	83

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1138.	बिहार में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण	Primary Education Survey in Bihar	83
1139.	दिल्ली के कालेजों में दाखिला	Admission to Delhi Collegofs	83-84
1140.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा प्रथम श्रेणी में पदोन्नति	Promotion to Central Secretariat Service Class I	84-85
1141.	हाकी का टूर्नामेंट	Hockey Tournament	85
1142.	जम्मू तथा काश्मीर में पाठ्य पुस्तक में गलत जानकारी का प्रकाशन	Wrong Information in Text Book in J. & K.	85
1143.	भुखमरी से मृत्यु	Deaths due to Starvation	85-86
1144.	केन्द्रीय सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों का सुरक्षित रखा जाना	Reservation of Posts for Ex-Servicemen in Central Services	86-86
1145.	अध्यपक और असैनिक कर्मचारी	Teachers and Civil Servants	88
1146.	सशस्त्र मिजो विद्रोही	Armed Mizo Rebels	88
1147.	मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतन क्रम	Pay Scales for Manipur Government Employees	88-89
1148.	नेफा का आर्थिक सर्वेक्षण	Economic Survey of NEFA	89
1149.	गोहाटी-आसाम और इम्फाल-मनीपुर के बीच तार परिपथ (सर्किट)	Telegraph Circuits between Gauhati-Assam and Imphal-Manipur	89-90
1150.	विज्ञान शब्दावली	Scientific Terminology	90-91
1151.	मिजो समस्या का सुलझाना	Settlement of Mizo Problem	91
1152.	पैट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री	Retail Sale of Petroleum Products	91-93
1153.	कुमाऊं और उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों की स्थापना	Establishment of Universities in Kumaon and Uttarakhand	93
1154.	प्राथमिक स्कूलों को सहायता	Assistance to Primary Schools	93-94
1155.	जम्मू तथा श्रीनगर (जम्मू तथा काश्मीर) में दवाइयां बनाने वाले कारखाने	Drug Manufacturing Units at Jammu and Srinagar (J. & K.)	94-95
1156.	इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेकनिकों में स्थान (सीटें)	Engineering Colleges and Polytechnics	95-96
1157.	त्रि-भाषा सूत्र	Three-language Formula	96
1158.	त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Tripura Government Employees	96-97

प्र० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1159.	जम्मू तथा काश्मीर में जासूसों का गिरोह	Spy Ring in Jammu and Kashmir	97
1160.	नागाओं का प्रवेश	Entry of Nagas	97-98
1161.	भारत में पुस्तकों का प्रकाशन	Publication of Books in India	98
1162.	ब्रिटेन के लिये प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक	Primary School Teachers for Britain	98
1163.	गंगोत्री पर गुजरात विश्वविद्यालय का आरोहण दल	Gujarat University Expedition to Gangotri	98-99
1164.	त्रिपुरा में पुलिस की ज्यादतियाँ	Police Excess in Tripura	99
1165.	विद्रोही मिजो	Hostile Mizos	99-100
1166.	प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में गोष्ठी	Seminar on Elementary Education	100-101
1167.	पटना में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर	P. and T. Quarters at Patna	101
1168.	पटना में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टरों का निर्माण	Construction of P. and T. Quarters of Patna	101
1169.	शेख अब्दुल्ला की बीमारी के बारे में प्रचार	Propaganda regarding Illness of Sheikh Abdullah	101:102
1170.	उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in U P.	102
1171.	उत्तर प्रदेश में छिद्रण-कार्य (ड्रिलिंग)	Drilling in U. P.	102
1172.	दिल्ली में टैंटों में स्कूल	Delhi Schools housed in Tents	102-103
1173.	श्रीलंका से लोगों का स्वदेश लौटना	Repatriates from Ceylon	103
1174.	देहाती क्षेत्रों में डाक-घर	Post Offices in Rural Areas	103
1175.	केरल में पंचायतों के कर्मचारियों की हड़ताल	Panchayat Strike in Kerala	103-104
1176.	गुप्तचर-विभाग (इंटेलीजेंस ब्यूरो) का पुनर्गठन	Reorganisation of Intelligence Bureau	104
1177.	पत्थर की प्राचीन मूर्तियों का पकड़ा जाना	Seizure of ancient stone images	104-105
1178.	सीमा विवाद	Border Disputes	105
1179.	कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchement of Workers	105-106
1180.	पश्चिमी बंगाल में दंगे	Disturbances in West Bengal	106
1181.	टेलीफोन	Telephone Connections	106-107

अ० प्र० सं० U. S. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
1182.	औद्योगिक शान्ति संकल्प	Industrial Truce Resolution	107
1183.	नेहरू स्मारक निधि	Nehru Memorial Fund	107-108
1184.	श्री लंका से वापस व्यक्ति	Repatriates from Ceylon	108
1185.	केरल में रसायन उद्योग समूह के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Chemical Complex in Kerala	108-109
1186.	कोलोनाइजर द्वारा धोखादेही	Cheating by Coloniser	109
1187.	मिट्टी के तेल की कमी	Scarcity of Kerosene Oil	109-110
1188.	शरणार्थियों का दण्डकारण्य के पुनर्वास केन्द्रों का छोड़ कर चले जाना	Desertions from Rehabilitation Centres in Dandakaranya	110
1189.	डाक सामग्री की कमी	Shortage of Postal Stationery	110-111
1190.	दिल्ली में पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani National in Delhi	111
1191.	सीमा का फिर से पार किया जाना	Recrossing of the Border	111
1192.	कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और बोनस का दिया जाना	Payment of D. A. and Bonus to Workers	111-112
1193.	अंग्रेजी माध्यम वाले केन्द्रीय सेकन्डरी स्कूल	Central English Medium Secondary Schools	112
1194.	स्कूलों में तकनीकी शिक्षा	Technical Education in Schools	113
1196.	तूतुक्कुडि में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Tuticorin	113-114
1197.	केरल विश्वविद्यालय का डिग्री-पूर्व प्रमाणपत्र	Pre-University Certificates of Kerala University	114
1198.	दिल्ली के कालेजों द्वारा लिये जाने वाले फंड	Funds Charged by Delhi Colleges	114-115
1199.	पंजाब में सेवा कर्मचारियों का विभाजन	Division of Service Personnel in Punjab	115
1200.	पंजाब की आस्तियां तथा दायित्व	Assets and Liabilities of Punjab	115-116
1201.	संघ राज्य-क्षेत्रों में अपराधों के मामले	Criminal Cases in Union Territories	116
1202.	राजधानी में सेंधमारी और हत्या के मामले	Burgalaries and Murders in Capialt	116
1203.	उड़ीसा में डाक सेवाएं	Postal Services in Orissa	116-117

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1204.	उड़ीसा में बेरोजगार तकनीकी व्यक्ति	Unemployed Tecnnical Persons in Orissa	117
1205.	बरौनी उर्वरक कारखाना	Barauni Fertilizer Factory	117
1206.	दिल्ली शाहदरा के रेहड़ी वालों के लिये स्थान	Sites for Rehriwalas of Delhi Shahdara	117-118
1207.	आन्ध्र प्रदेश की सीमाएं	Andhra Pradesh Boundaries	118-119
1208.	इंजीनियरी उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड	Central Wage Board for Engineering Industries	119
1209.	राजधानी में हत्याएं	Murder in the Capital	119
1210.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में पदोन्नतियां	Promotions in C. S. I. R.	120
1211.	हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं का विकास	Development of Hindi and other Regional Languages	120
1212.	पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश के बीच समन्वयात्मक सम्पर्क	Common links between Punjab, Haryana and Himachal Pradesh	120-121
1213.	आसानसोल (पश्चिमी बंगाल) के डाकघरों में सफाई की दशा	Sanitary Conditions in Post Offices in Asansol (West Bengal)	121
1214.	अर्थ संबंधी अपराध	Economic Offences	121
1215.	भारत में पाकिस्तानी लोग	Pakistanis in India	121-122
1216.	हल्के डीजल तेल की सप्लाई	Supply of Light Diesel Oil	122
1217.	दिल्ली-नैनीताल टेलीफोन लाइन	Delhi-Naini Tal Telephone Line	122-123
1218.	कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिये इरान के अशोधित तेल का आयात	Import of Iranian Crude Oil for Cochin Refinery	123
1219.	पंजाब प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of the Administrative Reforms Commission, Punjab	123-124
1220.	पंजाब प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Recommendations of the Administrative Reforms Commission, Punjab	124
1222.	हाई स्पीड डीजल तेल का उत्पादन	Production of High Speed Diesel Oil	124
1223.	बोइलेवगंज डाकघर, आगरा	Boileauganj Post Office, Agra	124-125

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1224.	अंग्रिम वेतन-वृद्धियों का दिया जाना	Payment of Advance Increments	125
1225.	हिन्दी टेलीप्रिंटर	Hindi Teleprinters	126
1226.	चीन और पाकिस्तान के जासूस	Chinese and Pak. Spies	126
1227.	नेफा में ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries in NEFA	126-127
1228.	"शान्ति दूत" नामक समाचार पत्र का प्रकाशन	Publication of Newspaper "Shanti Doot"	127
1229.	केरल में एस. एस. एल. सी परीक्षायें	S. S. L. C. Examinations in Kerala	127-128
1230.	जयपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Auto Telephones Exchange, Jaipur	128-129
1231.	विदेशों में स्थापित किये गये भारतीय अध्ययन पीठ	Chairs of Indian Studies set up Abroad	129
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention of Matters of Urgent Public Importance	
	(1) लगभग 400 नागा और मिजो विद्रोहियों का सैनिक प्रशिक्षण के लिये पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाना	(i) Movement of about 400 Naga and Mizo hostiles towards East-Pakistan for Militay training	
	(2) अहमदाबाद में श्री इन्दुलाल यज्ञिक' संसद् सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी	(ii) Arrest of Shri Indulal Yajnik M. P. and others at Ahmedabad	
	ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query)	
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
	वर्ष 1666-67 के लिये अनुदानों कीअनुपूरक मांगें (सामान्य)	Demands for Supplementary Grants (General)-1966-67	
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	
	इक्यानवेंवां प्रतिवेदन	Ninety-First Report	
	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द होने के बारे में	Re. Closure of Banaras Hindu University	

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
	मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	
	श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	
	श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil	
	श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	
	श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray	
	श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	
	श्री म० प्र० मिश्र	Shri M. P. Mishra	
	श्री करुथीरमण	Shri Karuthiruman	
	श्री गौरी शंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar	
	श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma	
	श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon	
	श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	
	श्री रा० गि० दुबे	Shri R. G. Dubey	

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 3 अगस्त, 1966 / 12, श्रावण, 1888 (शक)

Wednesday, August 3, 1966 / Sravana 12, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये लोक सेवा आयोग

* 210. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात के आरोपों की गुंजाइश समाप्त करने के लिए सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये एक अलग लोक सेवा आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसे अब तक कार्यरूप न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी):

(क) और (ख) सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों से सम्बन्धित नीतियाँ प्रशासन सुधार आयोग के निर्देश-पदों का भाग है। सरकार का यह विचार है कि इस बारे में कोई निर्णय आयोग की शिफारिशों के उपलब्ध होने के बाद ही लिया जाना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को बार बार दोहराये जाने वाले इस आरोप का पता है कि सरकारी उपक्रमों में जो नियुक्तियाँ की जाती हैं उ में मंत्रियों का हाथ होता

है, जबकि सभा में यह कहा जाता है कि ये स्वायत्त संगठन हैं और इसलिये हमें इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ? यदि ऐसा है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की जाने वाली शिफारिश के अलावा इस स्थिति को सुधारने में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : यह मामला पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। जब प्राक्कलन समिति ने कुछ सिफारिशें की थी तो यहाँ प्रश्न पूछे गये थे। इसलिये हमने सोचा कि इन नियुक्तियों के लिये एक बोर्ड नियुक्त किया जाना चाहिये जिससे पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद के प्रश्न न उठाया जा सके। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उस समय के गृह-कार्य मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि सरकार एक लोक-सेवा आयोग स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात अंततोगत्वा हमने सोचा कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है तथा प्रशासनिक सुधार आयोग के निर्देश-पदों में इस मामले को भी शामिल किया गया और हम उनकी सिफारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के लिये एक अलग सेवा आयोग की नियुक्ति के बारे में अंतिम फैसला कर लिया है अथवा क्या सरकार का विचार है कि इन संगठनों की स्वायत्तता की सुरक्षा के लिये निश्चित कार्यवाही की जाय और नियुक्तियां करने की शक्ति इन सरकारी निगमों को पूर्णतया दे दी जाँय। यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार द्वारा आयोग को कोई सुझाव दिया गया है ?

श्री हाथी : सरकार ने आयोग को कोई सुझाव नहीं भेजा है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि उक्त दोनों बातें हैं। एक यह कि निगमों की स्वात्तयता को बनाये रखा जाय और दूसरी बात भी इतनी ही महत्वपूर्ण है कि नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात नहीं किया जाना चाहिये और हमें देखना चाहिये कि सुयोग्य व्यक्ति नियुक्त किये जाय और इन पर अन्य बातों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। ये दोनों बातें हैं।

श्री श्रीनारायण दास : प्रशासनिक सुधार आयोग तो अब नियुक्त किया गया है परन्तु प्राक्कलन समिति ने तो इस बारे में काफी पहले सिफरिशें की थी। इसके पश्चात क्या सरकार ने अपनी कोई राय कायम की थी अथवा नहीं और यदि हाँ, तो सरकार की क्या राय थी ?

श्री हाथी : यह मामला पहले कई बार उठाया जा चुका है और इसका कई बार उत्तर दिया जा चुका है। सरकार की राय थी कि इन नियुक्तियों के लिये एक अलग बोर्ड स्थापित किया जाय जिससे पक्षपात का प्रश्न ही न उठे।

श्री प्रिय गुप्त : चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकारी संस्थायें हैं इसलिये इन उपक्रमा के कर्मचारियों की सेवाओं को वह संरक्षण उपलब्ध क्यों नहीं है जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध है ? इन कर्मचारियों की, जब प्रबन्धक चाहें, छंटनी कर दी जाती है। हम जानते हैं कि भिलाई इस्पात कारखाने में कई ऐसे तकनीशनों तथा इन्जीनियरों की, जिन्होंने राष्ट्रीय पारितोषिक तथा स्वर्ण पदक प्राप्त किये थे, छंटनी इस बात के बावजूद कर दी गई कि स्वयं भिलाई में रिक्त स्थान थे और उन्होंने बोकारो में अपनी सेवायें पेश की। क्या सरकार उनके

लिये संघ लोक सेवा आयोग को सेवा शर्तें निर्धारित करने से इसलिये हिचकिचा रही है क्योंकि.......

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इतना लम्बा प्रश्न पूछ कर वह मंत्री महोदय को संभ्रम में डाल देंगे और कोई उत्तर नहीं आयेगा। मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

श्री हाथी : लोक-सेवा आयोग का सम्बन्ध भर्ती से होता है। नौकरी खतम करने अथवा मुअत्तली का प्रश्न बाद में उठेगा। मुख्य प्रश्न भर्ती के बारे में है—क्या नियुक्तियां करते समय पक्ष-पात किया जाता है। अन्य बातों पर तो प्रत्येक नियुक्ति पर लागू होने वाली सेवा-शर्तों के अनुसार विचार किया जायेगा।

श्री प्रिय गुप्त : महोदय, संघ लोक सेवा आयोग का सम्बन्ध केवल भर्ती से ही नहीं है परन्तु छंटनी तथा मुअत्तली आदि से भी है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सेवा आयोग के नियुक्तियों में सम्बन्धित कार्य के बारे में बात कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अयोग्य लोगों की नियुक्तियां किये जाने के फलस्वरूप सरकारी उपक्रमों को काफी हानि हुई और प्रशासनिक सुधार आयोग इस बारे में यथासमय सिफारिशें करेगा कि ये नियुक्यिां किस प्रकार से की जांय। क्या सरकार तब तक इस स्थिति को ऐसे ही बनाये रखेगी अथवा क्या सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए अन्तरिम रूप से कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री हाथी : सामान्य रूप से यह कहना कि भर्ती करने की त्रुटिपूर्ण पद्धति के फलस्वरूप सभी सरकारी उपक्रमों को हानि हुई है, ठीक नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कुछ ऐसे मामले हों जिनमें शिकायत की गई हो कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं की जा रही हैं परन्तु इन्हें दबाव अथवा प्रभाव अथवा कुछ अन्य बातों के कारण किया जा रहा है। सरकार ने इस मामले पर विचार किया और ये नियुक्तियां करने के लिये एक बोर्ड नियुक्त करने का निर्णय किया और नियम बनाये। चूंकि सरकारी क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रबन्ध का यह एक मुख्य प्रश्न था, इसलिये अन्ततोगत्वा इस मामले को प्रशासनिक सुधार आयोग पर छोड़ने का निर्णय किया गया।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं प्रश्न का एक उचित उत्तर चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदय : वह स्वयं इस बात का निर्णय कर सकती हैं कि क्या यह एक उचित उत्तर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि ऐसे अर्हता-प्राप्त इंजीनियरों के लिये, जिनको किसी सरकारी उपक्रम विशेष में फालतू घोषित कर दिया गया है और जिनको अन्य स्थान पर किसी नये सरकारी उपक्रम में लिया जा सकता है, नियुक्ति के दरबाजे इस बात के कारण बन्द हो गये हैं कि उस राज्य अर्थात बिहार के, जहाँ यह नयी परियोजना स्थित है, मुख्य मन्त्री ने इस बात पर बल दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल इसी राज्य से ही नियुक्त किया जाय। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है कि

भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन सरकारी उपक्रमों को इन प्रांतीय विचारों के फलस्वरूप हानि न हो ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : इस प्रकार की नियुक्तियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की पहले प्रवृति थी परन्तु इस बारे में अब फैसला कर लिया गया है । यह बात सभी ने स्वीकार कर ली है कि ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में किसी क्षेत्र में अधिवास के आधार पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाये ।

श्री भागवत झा आजाद : सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियों के बारे में आधारभूत बात निचले दर्जे के पदों के लिये नियुक्तियों के बारे में न हो कर उच्च पदों के बारे में है जिन पर नौकरशाही के अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जिनको सरकारी उपक्रम चलाने का कोई ज्ञान नहीं होता है। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं कि उच्च पदों पर नौकरशाही के अधिकारियों को नियुक्त न किया जाय जो कि बिल्कुल अदक्ष हैं और जिन्होंने अपनी अदक्षता के कारण सरकारी क्षेत्र का भट्टा बिठा दिया है ?

श्री हाथी : पहले औद्योगिक प्रबन्ध समूह से लोगों की नियुक्ति की गई थी ।

श्री भागवत झा आजाद : अब उसको समाप्त कर दिया गया है ।

श्री हाथी : जी, नहीं, वास्तविक कठिनाई यह थी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कहा : यद्यपि ये लोग योग्य हैं, तथापि हमें तकनीकी कठिनाइयां हैं क्योंकि कुछ परियोजनाओं के लिये तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है । अतः नियुक्ति के मामले में वे स्वतन्त्रता चाहते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मन्त्रालय ने कोई ऐसी हिदायतें दी हैं कि नयी भर्ती करने से पूर्व छंटनी किये गये तकनीकी कर्मचाचारियों को नियुक्त किया जाय ।

श्री नन्दा : यह प्रश्न हाल ही में हुई पूर्वी खंड परिषद में भी उठाया गया था । इससे पहले एक अन्य खंड परिषद में भी इसे सिद्धान्त रूप से मान लिया गया था कि सभी मामलों में योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जायगी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या नई भर्ती करने से पहले फालतू कर्मचारियों को नये उपक्रमों में नियुक्त किया जायेगा ?

श्री प्रिय गुप्त : भिलाई में कई तकनीकी लोगों की छंटनी की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री प्रिय गुप्त को इस प्रकार बीच में नहीं बोलना चाहिये । उनके अनुपूरक प्रश्न के पश्चात चार प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है और फिर भी वह बीच में बोलते जा रहे हैं ।

श्री प्रिय गुप्त : अभी तो वही प्रश्न चल रहा है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकांश कर्मचारियों की कुछ अस्थायी समय के लिये प्रतिनियुक्ति की जाती है अतः उन्हें उस उपक्रम में कोई डर नहीं होता है । जब तक उनको कोई डर न हो, तब तक वे परिश्रम नहीं करते हैं और दक्षता नहीं दिखाते हैं । अंतः क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये समिति को कोई हिदायतें देने की कोई बात सोच रही है कि इन अधिकारियों को इन संस्थाओं में डर हो ।

श्री हाथी : क्या माननीय सदस्य आयोग अथवा समिति का निर्देश दे रहे हैं । यदि वह आयोग का निर्देश दे रहे हैं तो हम इस मामले को प्रशासनिक सुधार आयोग को निर्दिष्ट कर रहे जो इस पर विचार करेगा

श्री कपूर सिंह : एक अलग लोक-सेवा आयोग के बारे में हुई चर्चा के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि सरकारी क्षेत्र में रिक्त स्थानों को संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा भरा जाय तो इसमें क्या कठिनाई है । क्या संघ सेवा आयोग में पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद की शिकायतें हैं ?

श्री हाथी : इस प्रश्न पर, कि क्या ये नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये एक अलग सेवा आयोग द्वारा को जानी चाहिये, विचार किया गया था । इस सम्बन्ध में दो मत थे । एक यह कि चूंकि सरकारी उपक्रम स्वायत निकाय है अतः भर्ती की शक्ति इनमें ही निहित होनी चाहिये । यह भी मत था कि यदि यह शक्ति उन्हें दे दी जाय तो फिर शिकायतें आती हैं कि योग्य व्यक्तियों को नियुक्त नही किया जाता है और कि नियुक्तियां दबाव में आकर अथवा इनमें पक्षपात किया जाता है । अतः इस सारे प्रश्न पर विचार किया गया था । अन्ततोगत्वा हमने इस मामले को प्रशासनिक सुधार आयोग को निर्दिष्ट कर दिया है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस साधारण से मामले पर कई प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के बावजूद बात स्पष्ट नहीं हुई है । प्रश्न यह है कि चूंकि पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद के कई मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है तो ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? हमने सदा यह पाया है कि ऐसे सरकारी उपक्रमों में जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी दिल्ली से लिये जाते हैं और उन्हें यहाँ से जा कर मध्य भारत में बसना पड़ता है । भोपाल और इन्दौर में भी ऐसा ही किया जाता है । माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय, श्री नन्दा ने अभी बताया कि अधिवास का प्रश्न नहीं उठेगा । अब सारी भर्ती या तो दिल्ली में अथवा मद्रास में से की जा रही है । सीमेंट निगम में एक स्थान पर मुझे मालूम हुआ कि सभी लोग हैदराबाद से आये थे । तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लोगों को भी मद्रास से लाया गया था । क्या यह सुझाव देने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है कि जहां तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी नियुक्ति उसी स्थान अथवा उसी क्षेत्र के लोगों में से ही की जाय ?

श्री नन्दा : यह एक सामान्य बात है कि चतुर्थ श्रेणी आदि पदों पर स्थानीय लोगों को ही लगाया जाये । बाहर से लोगों को लाकर नियुक्त करना एक बहुत ही गलत बात होगी । यह एक गलत प्रवृति होगी । यह तो ढंग का प्रश्न है । चूंकि काम दिलाऊ कार्यालय स्थानीय रूप से कार्य करते हैं अतः उनके माध्यम से उसी क्षेत्र के लोगों को रखा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कनिष्ठ कृषि विद्यालय

*211. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या शिक्षा मंत्री 6 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 994 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कनिष्ठ कृषि विद्यालयों की नई योजना के ब्यौरे पर विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) शिक्षा आयोग द्वारा उनकी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को देखते हुए पूरी योजना पर फिर से विचार किया जाना है ?

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether the Central Government has consulted or propose to consult State Education Ministries and Agriculture Ministries in regard to this scheme.

श्री मु० क० चागला : परियोजना बनाने के पश्चात राज्यों से परामर्श किया गया था परन्तु उनके उत्तर प्रोत्साहन देने वाले नहीं हैं। आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र को यह राय है कि इस योजना को केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना के रूप में चालू किया जाये जिसमें केन्द्रीय सरकार 100 प्रतिशत सहायता दे परन्तु अन्य राज्यों के उत्तर इतने प्रोत्साहन देने वाले नहीं हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know the cost of the scheme ?

श्री मु० क० चागला : सकल लागत तो बहुत अधिक है। जब योजना बनाई गई थी तो अनुमान था कि 75.51 करोड़ रुपये खर्च आयेगा और चौथी योजना में इस प्रयोजन के लिये 15 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं—एक करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में और 15 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में।

श्री शिवजीराव शं० देशमुख : क्या शिक्षा मंत्रालय ने कभी इस बात का विश्लेषण किया है कि प्रस्तावित कनिष्ट कृषि विद्यालयों अथवा विद्यमान कृषि उच्च विद्यालयों के गठन में अथवा सकल कृषि प्रशिक्षण में मूल कमी यह है कि कृषकों को इन विद्यालयों से दूर रखा जाता है और उन्हें भर्ती नहीं किया जाता है। क्या मंत्रालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यदि 12 में से 7 ही वास्तविक कृषकों को प्रशिक्षित किया जाये तो इससे हमारी विद्या सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो जायेगी और इनमें अधिक कृषक तैयार हो सकेंगे ?

श्री मु० क० चागला : कृषि शिक्षा की मूल समस्या यह है कि हम तो लोगों को प्रशिक्षण इसलिये देना चाहते हैं कि वे अच्छे किसान बनें। परन्तु होता यह है कि किसान अपने बच्चे को विद्यालय में भेजता है और वह नौकरी ढूंढ़ने के लिये नगर में चला जाता है। यह मूल समस्या है जिसको सुलझाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जो लड़के कृषि विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे खेती करें और इसे सुधारें। थोड़े शब्दों में यह मूल समस्या है जिसको हम सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और जिसके बारे में शिक्षा आयोग भी विचार कर रहा है।

श्री शिवजीराव शं० देशमुख : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न यह नहीं था कि कृषि-प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात किसान का लड़का क्या करता है। मैं यह जानना चाहता था कि शिक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कर रहा है कि किसान के लड़के को कृषि प्रशिक्षण विद्यालय में दाखिला मिले ?

श्री मु० क० चागला : जहाँ तक प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, हम हर सम्भव सुविधा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर कई विद्यालय हैं। हम इनको कृषि प्रधान बना रहे हैं और उन्हें हर प्रकार को सहायता दे रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, 82 percent of our people reside in villages and only 18 percent in cities. But it has been seen often that the organisations, which are set up, are all set up in cities or in their neighbourhood. May I know whether villages will be given preference while selecting a site for the proposed schools under the scheme formulated by the Ministry for the advancement of farmers?

श्री मु० क० चागला : यदि वह योजना को पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि सारा उद्देश्य ही यह है कि गांवों को प्राथमिकता दी जाये। यह योजना अनिवार्यत: गाँवों के लिये है और हमारा विचार यह है किसानों के बच्चों को इस ओर को आकर्षित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : क्या ये विद्यालय गाँवों में खोले जायेंगे ?

श्री मु० क० चागला : वास्तव में योजना तो यही है।

Shri Yashpal Singh: The Government has not so far made this point clear that B.Scs and M.Scs in agriculture have neither won the title of **Krishi Pandit,** nor they have broken the record of production and nor they have been able to secure jobs, whereas the farmers in villages have done a lot in so far as increase in preduction is concerned. But they are not being given any incentives and instead useless agricultural schools are being opened. Has the Government given any thought to this that traditional talent in them should be developed?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में यह वही है जो मैंने कहा है। हमें उनकी प्रतिभा अथवा किसानों के बच्चों का अवश्य विकास करना चाहिये जिससे अगली पीढ़ी कृषि के वैज्ञानिक तथा आधुनिक ढंगों को अपना सके।

Shri Bibhuti Mishra: Mr. Speaker, we find that 80 percent teachers and taught in these agricultural schools are urban-oriented. May I know whether Government is formulating any scheme to have village-oriented colleges in which teachers and taught are village oriented?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैंने कहा कि लोगों की दिलचस्पी इतनी संतोषजनक नहीं रही है और शिक्षा आयोग को सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इसे हमें एक नया रूप देना है। यदि माननीय सदस्य योजना को पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि हम न केवल विद्यालय ही खोल रहे हैं परन्तु अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, यह विद्यालय गाँव-प्रधान हैं।

Shri Sarjoo Pandey: Today we find that the students after having this agriculture course, go after white collar jobs, may I know whether Government has made any such provision in the scheme by which this trend can be prevented and these trained persons can do work at homes. Will any special provision be made in this regard ?

श्री मु० क० चागला : सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से कृषि कालेज मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं हैं। माननीय सदस्य को यह प्रश्न कृषि मंत्री को सम्बोधित करना चाहिये। ग्रामीण संस्थायें हमारे मंत्रालय के अधीन हैं।

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह सच है कुछ विश्वविद्यालय डिग्री स्तर पर कृषि पाठ्यक्रम को दुरुत्साहित कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप कृषि विद्यालयों को दुरुत्साहित किया जा रहा है और इनमें अवनति हो रही है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इसका पता नहीं है। इसके विपरीत, जहाँ तक संभव होता है हम विश्वविद्यालयों में कृषि को एक विषय के रूप में प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा नहीं सुना है कि वह कृषि को निरुत्साहित करने का प्रयत्न कर रहा है। यदि मेरे माननीय मित्र मुझे ऐसे किसी मामले की सूचना देंगे तो मैं उसकी जाँच करूँगा।

Shri Ram Sewak Yadav : Has the attention of the Governmen t been drawn to the fact that the sons of the farmers are hunting for jobs and not giving attention to the profession of agriculture mainly because of the fact that they are harshly treated by the officials and that the labourers and cultivators are not honoured in this country, if so, whether the Government are trying to find a solution to this problem ?

श्री मु० क० चागला : मैं इससे सहमत हूँ। अब तक हमने श्रम को आदर की निगाह से नहीं देखा; हमने हाथ से काम नहीं किया। शिक्षा क्षेत्र में हम जो बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं वह श्रम को अधिकाधिक आदर प्रदान करने के बारे में है। यही कारण है कि हमारे स्कूलों में, चाहे वे कृषि सम्बन्धी स्कूल हों या तकनीकी स्कूल हों उनको उत्पादन-प्रधान बनाया जा रहा है ताकि हमारे लड़के और लड़कियाँ अपने हाथों से काम कर सकें और कुछ पैदा कर सकें।

Shri K.N. Tiwary : Is it a fact that in the agriculture trade many people are still unemployed, if so, what useful purpose will be served by opening more agriculture colleges and preparing more agriculture graduates ?

श्री मु० क० चागला : हमारे देश की सब से बड़ी समस्याओं में से एक शिक्षित वर्ग में बेरोज़गारी की समस्या है। कृषि स्कूलों और संस्थानों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों पर ही यह बात विशेष रूप से लागू नहीं होती है। यह एक बड़ी समस्या है और हमें इसका मुकाबला करना है।

Shri Kashi Ram Gupta : The hon. Minister stated that he will take necessary steps to open these schools. May I know whether their building will be constructed of the type found in the villages, whether the outlook of the teachers in those schools will be essentially rural, whether the students, after completing their studies will take part in the rural agriculture and whether the gram sevakas will be selected from amongst those students or whether these schools will be just like artificial schools in the state as at present ?

श्री मु० क० चागला : सम्पूर्ण योजना यह है कि ये स्कूल गांवों में होने चाहिये, इनमें लड़कों को खेती का काम सिखाया जाना चाहिये……

अध्यक्ष महोदय : और इसमें गांवों के लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, शिक्षक ग्रामीण होने चाहिये। इमारतें भी गांवों जैसी होनी चाहिये……

श्री मु० क० चागला : प्रत्येक वस्तु ग्रामीण होनी चाहिये……

अध्यक्ष महोदय: और मेज कुर्सियाँ भी वहाँ पर ही बनाई जानी चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that for opening an agriculture school under Vikram University Madhya Pradesh Government had recently demanded assistance from the Central Government which the latter refused to give?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैंने बताया आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र केवल दो राज्यों ने ही प्रोत्साहक उत्तर दिये हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा की गई किसी प्रार्थना की मुझे जानकारी नहीं है।

दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालय

212. **श्री बागड़ी :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री किशन पटनायक : **श्री बड़े :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री मधु लिमये : **डा० रानेन सेन :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालयों में कर्मचारियों और साज-सामान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और दिल्ली में कई औषधालयों में डाक्टर नहीं रखे गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन औषधालयों में अधिकतर दवाइयां स्टाक में भी नहीं मिलतीं ; और

(ग) यदि हां, तो इन औषधालयों की हालत में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :

(क) जी नहीं। औषधालयों में साज-सामान की व्यवस्था, चिकित्सा लाभ परिषद की सिफ़ारिश पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार की गई है। औषधालयों के लिये 107 डाक्टर मंजूर किये गये हैं, जिनमें से 102 डाक्टर अपने-अपने पदों पर काम कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं। औषधालयों में अनुमोदित सूची में शुमार दवाइयों का पर्याप्त स्टाक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Bagri : What is the per-capita expenditure on medicines and doctors in these dispensaries and what is the per-capita expenditure on these items in the North Avenue and South Avenue dispensaries and whether Government have considered measures to remove this big disparity between the two?

Shri Shahnawaz Khan : I have not made separate calculations for each worker, but I can say that during 1964-65 we spent Rs. 75 lakhs in Delhi.

Shri Bagri : Sir, he has not answered my question.

Mr. Speaker : I think that it cannot be answered.

Shri Bagri: Will the hon. Minister be able to state the per capita expenditure in these dispensaries on the basis of the total expenditure made and the number of people served by these dispensaries ?

Shri Shahnawaz Khan : We are giving about Rs. 17.00 to each worker for obtaining medicine from the doctors on our panel.

Shri Bagri : Rs. 17 per month or per year ?

Shri Shahnawaz Khan : Per month.

Shri Bade : May I know whether a decision has been taken that under the Employees State Insurance Scheme class A and class B employees will be given the same medicines and not the costlier ones? Is it also a fact that the doctors refuse to attend the employees at home when they are wanted there by the employees ?

Shri Shahnawaz Khan : The rules followed in these dispensaries are that they should be given only the best available medicines in the market. There is no consideration for seniority or juniority. There are arrangements to attend those patients at home who are seriously ill and who are unable to come to the dispensary and for this they do not have to pay.

डा० रानेन सेन : पिछले कुछ सालों से दिल्ली के बीमाकृत मजदूरों की यह शिकायत रही है कि डाक्टरों द्वारा जो औषधियां लिखी जाती हैं वे दिल्ली में उपलब्ध नहीं, हैं जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों का उपचार नहीं हो सकता और उनको उचित उपचार नहीं मिलता। इन शिकायतों के बारे में श्रम मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया गया है। बीमाकृत व्यक्तियों को डाक्टरों द्वारा लिखी हुई दवाइयां उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : इस प्रकार का एक आध मामला हो सकता है। किसी औषधालय में कोई विशिष्ट औषध कुछ समय के लिये समाप्त हो सकती है। उनको पर्याप्त मात्रा में औषधियां दी जाती हैं; जब कोई कमी हमारी जानकारी में आती है, तो उसको तुरन्त ही पूरा कर दिया जाता है। मोटे तौर पर कहीं भी कोई कमी नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार जानती है कि निर्माताओं द्वारा दो किस्म की औषधियां बनाई जाती हैं। एक तो कर्मचारी राज्य बीमा के मजदूरों के लिये और दूसरी जनता के उपयोग के लिये ?

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं। एक ही किस्म की औषधियां हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री को इस बारे में लिख सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Are Government aware that costlier medicines and especially the imported ones are being sold in blackmarket from the dispensaries and hospitals in Delhi ?

Shri Shahnawaz Khan : No such thing is in our notice.

खेतिहर मजदूर

*213. **श्री मधु लिमये** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :

श्री बागड़ी :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतिहर मजदूरों को मकानों के लिये मुफ्त जगह देने तथा उनके लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में हाल में हुई खेतिहर मजदूरों सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी की सिफारिशों पर सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस योजना को चौथी योजना में शामिल किया जायगा ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) और (ख) : जी नहीं । यह मामला योजना आयोग तथा सम्बंधित मंत्रालयों अर्थात निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग, समुदायिक विकास विभाग, के विचाराधीन है ।

(ग) जी हां ।

Shri Madhu Limaye : This question has been raised time and again in this House andth ere is always the stock reply that it is under consideration of the Planning Ministry and the Planning Commission. Everyboody knows that most of the agricultural labourres are Harijans and Tribals and belong to backward classes and in every village the worst part of the land where rain water collects, is meant for Harijans and agricultural labourers. May I know whether the Government and the Planning Ministry will ever take concrete decision on this matter and land and assistance arranged for the agricultural labourer to enable him to build the house ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : This question has been before us for all these years and we also had had talks with the Finance Ministry and Planning Commission in this regard. There is a scheme which envisages the providing of land not only to Harijans but also to the indigent persons of other communities as well. Under this scheme land will be provided for the construction of houses on payment to those who have the capacity to pay, on subsibized price to those who can purchase it at that price and on easy installments and gratis to those who do not have the capacity to pay. This schome is under consideration of the Planning Commission at present and I am hopeful that something will be done in this regard.

Shri Madhu Limaye : Recently in the Farsando village in my constituency some miscreants belonging to the higher classes burnt down the house of a Harijan. I had written to the District Magistrate and the Minister of that place to give some assistance to that Harijan for rebuilding the house. If the hon. Minister cannot do anything I invite him to come to this side and try to do something for the Harijans.

Shri Jagjivan Ram : If he expects me to reciprocate it, them that day is very far off for him. This is a stray incident and such incidents take place at other places also. In Bihar..........

Shri Ram Sewak Yadav : They are no less in Uttar Pradesh.

Shri Jagjiwan Ram : Since you belong to Uttar Pradesh, you know all the facts about Uttar Pradesh, I am not prepared to accept this claim of yours. It is possible that I may not be having full knowledge about the particular incident. There is a scheme of the Central Social Welfare Ministry as also of the State Governments to give assistance to the Harijans for building houses. The District

Magistrates do give relief in the cases of arson. It is wrong for the hon. Member to presume that he can get work done by rebuking people.

Shri Bagri : Has any data been collected about the agricultural labourers and if so, what is their number and whether the income stated by them is correct and whether the Ministry is prepared to make arrangements for them under that very income?

Shri Jagjivan Ram : All this information is contained in the Agricultural Labour Enquiry Committee Report placed in Parliament Library.

Shri Bagri : Sir, I rise on a point of order. There is no such question the answer to which cannot be found in books.

अध्यक्ष महोदय : जो जानकारी प्राप्य दस्तावेजों में उपलब्ध है वह नहीं दी जायेगी और इसलिये जो उत्तर दिया गया था वह सही था। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह उस प्रतिवेदन को देखें।

Shri A. P. Sharma : Inspite of the instructions issued by the Central Government to the State Governments, to provide lands to the Harijans and agricultural labourers, the State Governments and especially the Government of my State have not implemented those instructions. In view of this will the Central Government call for their reports periodically regarding the progress made in that regard ?

Shri Shahnawaz Khan : It is wrong to say that the State Governments are not doing anything. I went to Uttar Pradesh and personally saw the villages there. There the agricultural labourers and Harijans have been given lands separately. We are trying to do this at places where it has not been done.

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या बिहार राज्य में हरिजनों को मकान बनाने के लिये मुफ्त भूमि दी गई है ; यदि नहीं तो उनको प्रतिवेदन मांगना चाहिये।

श्री शाहनवाज खां : इस समय मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं। मैं प्रतिवेदन मांगूंगा।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार जानती है कि सरकार के गलत हस्तक्षेप से पंजाब में कृषि सहयोग के परम्परागत तरीकों में गड़बड़ी पड़ जाने के कारण किसानों और मजदूरों दोनों को हानि पहुंची है और यदि हां, तो क्या अब सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि भविष्य में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

श्री शाहनवाज खां : लोगों के जीवन स्तर को उठाना सरकार का काम है और इसके लिये यदि हस्तक्षेप आवश्यक है तो हम निश्चय ही हस्तक्षेप करेंगे।

Financial position of Haryana and Punjabi Suba

* 214 **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh:
Shri Jagdev Singh Siddanti:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the financial position of the proposed Punjabi Suba and Haryana has beena ssessed;

(b) if so, which state would be economically self-sufficient and which would require special assistance; and

(c) whether any detailed scheme has also been formulated in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) & **(b)** A Committee under the Chairmanship of Shri V. T. Dehejia has been constituted for working out the details for the division of assets and liabilities of the present State of Punjab among the successor States as well as to make assessment of the likely financial position of the new States. It will take some time for this Committee to submit its Report.

(c) Does not arise.

Shri Prakash Vir Shastri : One of the major reasons for carving out Haryana out of Punjab is the step-motherly treatment of Punjab Government meted out to Haryana area for its developments etc. from the very begining. I would like to know whether, Government will take this particular aspect into consideration now the state is going to be divided into two separate States so that the central loans that are due from Panjab may not weigh heavily on Haryana ?

Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : There are set principles for taknig decision about assets and liabilities after division and all those will be incorporated into the law when it is regulated. We shall act accordingly.

Shri Prakash Vir Shastri : The people of the Panjab are heaving a sigh of relief after promulgation of President's rule under efficient administration of the Governor Shri Dharma Vir. As Shri Hathi has stated that Shri Dahejia is going to formulate a plan in connection with the situation in Panjab, I hope that Shri Dharma Vir will be allowed to play a leading part in the formulation of that scheme. May I know whether the term of the present Governer is likely to be extended till the General Elections, keeping in view the future of Panjab and so as to provide peace and harmony to the people of Panjab ?

Shri Nanda : I can not say anything definitely in this respect. It depends upon how it runs in future.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It has been stated that a committee has been constituted which has been carrying out investigations Has this been instructed to furnish its suggestions confirming itself the previous budget of Panjab and not in any case beyond that ? Have you passed any instruction ?

Shri Nanda : Should keep within the budget or conform to the budget.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Are Government aware that a committee under the chairmanship of Shri Shankar has been constituted which is dealing with the division of State officials on the basis of certain data ? It appears from that as if the same lamentations and tribulations against which we demanded. Haryana are being enforced upon us. Why do they not try to employ the available I. C. S. and P. C. S. officers of Haryana itself in the state ? Why are those, who have all along been against our development plans etc., being thrust upon us ?

Shri Nanda : I do not first of all admit his view of going against them. Secondly this question does not relate to services.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार पंजाब को आर्थिक दृष्टि से कमजोर बनाने के लिये सीमा-निर्धारण और उद्योग-स्थानीकरण के निर्णय पर पीछे हटने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बातों के बारे में है । मुख्य प्रश्न आर्थिक स्थिति के बारे में है।

Shri Raghunath Singh : What is the basis for division of assets and liabilities—either population or area ?

Shri Nanda : Certain rules have already been laid down for this. If desired I can decipher those rules but it will take time. All those rules will be in included in this law.

श्री हेम बरुआ : पंजाब में राष्ट्रपति शासन 2 अक्तूबर 1966 को समाप्त हो रहा है और समाचार पत्रों से इस प्रकार की सूचना मिली है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाने या समाप्त करने के सम्बन्ध में श्री कामराज के रूस की यात्रा से लौटने के बाद निर्णय लिया जायेगा । इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूँ कि (क) क्या सरकार ने राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाने का निर्णय किया है, तथा (ख) क्या प्रधान मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ऐसे मामलों में निर्णय करती है या कांग्रेस दल और कांग्रेस अध्यक्ष ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता । मुख्य प्रश्न वित्तीय सम्पत्तियों और जिम्मेवारियों का है जिनका विभाजन होना है ।

श्री हेम बरुआ : राष्ट्रपति शासन उचित है क्योंकि..........

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न श्री शास्त्री द्वारा उठाया गया था और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है ।

श्री दी० चं० शर्मा : कुछ केन्द्रीय सरकार की परियोजनायें कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, पंजाबी सूबा और हरियाना प्रान्त की सम्मिलित सम्पत्ति हैं । क्या वे केन्द्रीय सरकार द्वारा ही जारी रखी जायेंगी या नये क्षेत्रों में इनकी सम्पत्ति और जिम्मेवारियों को भी बांट दिया जायेगा ? इसका मुझे अधिक दु:ख नहीं है कि 200 करोड़ रुपये के जंगल पंजाब से अलग कर दिये गये और हिमाचल प्रदेश को दे दिये गये । क्या सरकार पंजाब को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने जा रही है ?

श्री नन्दा : मैं पहिले कह चुका हूँ कि सम्पत्ति और जिम्मेवारियों का विभाजन कुछ सिद्धान्तों के आधार पर होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे सहमत हूँ । दूसरा प्रश्न ।

Shri Bagri : Mr. Speaker, this is a very important question.

Mr. Speaker : I have come to another question.

Shri Bagri : I would like to know whether in view of weak financial condition of Panjab and Haryana Prant the Government is thinking of turning Kurukshetra into the capital of Haryana Prant and Anandpur Saheb into the capital of Panjabi Suba so that cultnral links are maintained ?

Mr. Speaker : Shri Kishen Pattnayak.

तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा

+

*225. **श्री किशन पटनायक :** **श्री दशरथ देव :**
श्री मधु लिमये : **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री बागड़ी : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री वारियर :
श्री यशपाल सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रामपुरे :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **श्रम रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 11 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1615 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल उद्योग में नौकरी की सुरक्षा सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति के सभापति के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या टिन बनाने वाले कारखानों के बन्द हो जाने से इसके उत्पादन तथा तेल उत्पादों के समुचित वितरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या इस बीच कुछ व्यक्तियों की छंटनी की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो छंटनी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। इस विषय पर सरकारी संकल्प की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है।

(ख) टिन बनाने वाले कारखानों के बन्द होने से तेल उत्पादन के उचित वितरण पर कोई प्रभाव पड़ा प्रतीत नहीं होता।

(ग) किसी प्रकार की छंटनी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परंतु यह मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० नं०/6635]

Shri Kishen Pattnayak : The Tripartite Committee has reached the conclusion that the number of employees of Burmah Shell, Esso and Caltex companies has decreased during the last 5 or 6 years by 31 percent, 25 percent and 18 percent respectively. May I know how many of them have been retrenched due to Electronic Computers ?

Shri Shahnawaz Khan : I do not know the exact number, but it is much less. There has been no rentrenchment due to computers as stated by the oil company.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, I have a point of order. Just now the hon. Deputy Minister has stated that he could not furnish the details. It means that there are details of those persons who have been influenced by the computers. The hon. Deputy Minister has further stated that there has been no retrenchment. H ow does he reply that way ?

Shri Bagri : He does not know the answer.

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated both the things— firstly he has

said that he had no details and secondly there was no retrenchment due to computers

Shri Shahnawaz Khan : I have said that there was no retrenchment due to computers as stated by the oil company.

Shri Madhu Limaye : The Government is being guided by them. Have the Government conducted some enquiry ? If not, what for are these Ministers and Ministries ? So far as oil companies are concerned, they have their Public Relations Offices. Mr. Speaker, my point of is whether this is Ministry of Employment or a Public Relations Office ?

Mr. Speaker : Order, order. Can Government furnish some information from its own sources ?

Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : I want to make one thing perfectly clear As the hon. Deputy Minister has just now stated that the trouble caused in the oil companies fell under the jurisdiction of the State Governments. We can, therefore, claim all the information regarding this. Whenever the occasion arises, apart from Delhi, whatever information is gathered by the State Governments, we are apprised of that. It is why the hon. Deputy Minister has stated that the subject fell under the purview of State Governments. Hon. Member, Shri Kishen Pattnayak's question was, "how many persons have been retrenched ?" Particularly he asked the number of persons who were retrenched due to computers. The hon. Deputy Minister replied that he was not having full information and that there was no retrenchment due to computers as alleged by the oil companies. I do not find any contradiction in it. This is the corelct answer.

Shri Bagri : Mr. Speaker will pass his judgement on this.

Shri Jagjivan Ram : I have not finished my statement as yet. As details reveal, we constituted a committee which decided that whenever the question of forced retirement before time with pensions arose, it should be implemented after having entered an agreement with the Union. Barring Delhi, wherever a trouble of this type arises, it would not directly concern the Central Government, but the State Government. But whenever a question of this arises there also, I contact State Government and see to it. Wherever I find that there is certain retrenchment, I shall definitely intervene.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I rise on a point of order.

डा० रानेन सेन : श्रीमान, एक व्यवस्था के प्रश्न पर। पिछले अधिवेशन में हम में से कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया था। सरकार को राज्य सरकारों से इस सूचना को प्राप्त करने का पर्याप्त समय मिला। क्या मंत्री महोदय को यह कहने की छूट है कि वे उठकर कहें कि राज्य सरकार से सूचना नहीं मिली ? मैं इस प्रश्न पर आपका विनिर्णय चाहता हूँ।

Shri Madhu Limaye : I have a point of order along with that. The hon. Minister has stated that it was a state subject. I would submit that the subject of labour concerns the State as much as the Centre. He may please see the Constitution. The subject of Petroleum only relates to the Centre and not the State. The hon. Minister is responsible for this. He says that there has been no retrenchment due to electronic computers as alleged by the oil companies. I would like to know whether it is a Ministry or a Public Relations Office of Petroleum Companies ?

Mr. Speaker : The Minister has stated that he was not having exact information, but there has been no retrenchment, as alleged by the companies.

Shri Madhu Limaye : Why is he advertising the companies ?

Mr. Speaker : We are telling both the things.

डा० रानेन सेन : पिछले अधिवेशन में यह प्रश्न उठाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुना है।

डा० रानेन सेन : उन्होंने इस प्रश्न को छोड़ दिया था।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें बैठ जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, we gave notice for this question in May.

डा० रानेन सेन : आपका विनिर्णय क्या है ? क्या मंत्री महोदय को यह प्रश्न बार बार छोड़ने की छूट है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उठना चाहते थे किन्तु दूसरे माननीय सदस्य वह प्रश्न कर बैठे।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान, व्यवस्था के प्रश्न पर मैं कहना चाहूँगा कि मंत्री महोदय का कथन इस दृष्टि से सही है कि यदि इसे श्रमिकों की व्यक्तिगत छंटनी से आंका जाय तो श्रम मंत्रालय के दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह राज्य का विषय है। किन्तु हमारा वर्षों पुराना तर्क इस सभा में यह रहा है कि विदेशी तेल की कम्पनियाँ लगातार भारतियों को शोषण करने की नीति पर चल रही हैं और उनका बहाना है कि वे बूढ़े हो गये हैं तथा स्वयं चला जाना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि क्योंकि तेल केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में आता है तथा ये कम्पनियाँ नियमित रूप में भारतीयों को शोषण कर रही हैं तथा अपनी अन्यमनस्कता का भी बहाना कर रही हैं, अत: ये कम्पनियाँ भी केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में ही आती हैं। यह राज्य की एक या दो घटनाओं से नहीं अपितु साधारण नीति से सम्बन्धित है, जिसका प्रभाव सारे देश पर पड़ता है और सरकार ने भी एक समिति बनाकर यह स्वीकार किया है। अत: इसका जवाब दिया जाना चाहिये........(**व्यवधा**)।

अध्यक्ष महोदय : डा० रानेन सेन ने भी यह प्रश्न उठाया था कि पिछली बार भी सरकार ने कहा था कि वह राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त कर रही है तथा इसके लिये प्रर्याप्त समय भी मिला, तो वह सूचना अभी तक भी क्यों नहीं मिल सकी ?

श्री जगजीवन राम : जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इसका उत्तर दे दिया गया है। अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि जहाँ तक छंटनी का सम्बन्ध है। इस बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। परन्तु मैं यह भी बता दूं कि यदि बड़े पैमाने पर छंटनी की जाती है तो न केवल तेल समवाय ही परन्तु मजदूर संघ भी आन्दोलन करते हैं और हमारा ध्यान उस ओर दिलाते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार किसी मजदूर संघ ने श्रम मंत्रालय से किसी बड़े पैमाने की छंटनी का प्रश्न नहीं उठाया है। जो आन्दोलन किया गया है वह एक खण्ड वशेष के बारे में किया गया है जिसका सम्बन्ध छंटनी से न हो कर कुछ अधिक लाभ के साथ अपरिपक्व सेवा-निवृति से है। ऐसा भी किसी बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है।

मेरे माननीय मित्र, श्री भागवत झा आजाद ने एक अलग प्रश्न उठाया है कि विदेशी फ़र्मों से भारतीयों को निकाला जा रहा है। यदि विदेशी फर्मों से भारतीयों को निकालने के प्रश्न

का सम्बन्ध उच्च स्तर पर लगे पदाधिकारियों से है तो ये अधिकारी एक ऐसी श्रेणी के हैं जो श्रम मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। सरकार की जिम्मेदारी से दूर हटने की बात तो नहीं है परन्तु जहां तक श्रम मंत्रालय का सम्बन्ध है, यदि इस प्रश्न का सम्बन्ध उच्च अधिकारियों से है, जो कर्मचारी अथवा मजदूर की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं, तो यह प्रश्न श्रम मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ........(अन्तर्बाधाएँ)

डा० रानेन सेन : मेरा निवेदन यह है कि श्रम विभाग के एक संयुक्त सचिव, श्री आर० एल० मेहता की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। सरकार ने इस समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने की बजाय उसकी सिफारिश को विकृत रूप दिया जिसके फलस्वरूप ये सभी कर्मचारी बेकार हो जाँयगे और नियोजक जैसा मर्जी चाहेंगे कर सकेंगे।

श्री जगजीवन राम : मैं इसका खण्डन करता हूं। यह एक गलत वक्तव्य है।

डा० रानेन सेन : क्या श्रम मंत्रालय इस प्रकार से कार्य किया करेगा ? श्रम मंत्रालय की अपनी समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया गया है........(अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह प्रश्न और किसी रूप में उठा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये।

प्रश्न संख्या 216 के बारे में

RE. Q. NO. 216

श्री हेम बरुआ उठे

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ ने मुझे लिखा है कि प्रश्न संख्या 216 को प्रश्न-काल समाप्त होने के पश्चात लिया जाय। यह केवल मन्त्री महोदय का विशेषाधिकार है। यदि वह उत्तर देना चाहते हैं तो इसे लिया जा सकता है।

श्री हेम बरुआ : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह उत्तर दें।

Shri Bagri : Mr. Speaker, on a point of order, Sir, you do not allow the back benchers to speak even when one wants to say anything in regard to on 'e's party and if point of order will not be raised, we will not able be to say anything You always find that the replies which are given by the hon. Deputy Minister, are either in correet or incomplete. This thing we find daily. I want a clarification as to whether you have any powers to deal with such Ministers who give incorrect and incomplete replies and if so, what action is being taken by you ? Have you written or said anything to this Ministry in this regard ?

Mr. Speaker : The hon. Members are aware of the powers of the speaker. I have no such separate powers about which only I know and the Members are not aware of them. The powers of the House are also known to them. No confidence motion is already under discussion and he may support it more vigorously. What I can do in this matter.

Shri Bagri : Can't you remove them ?

Mr. Speaker : No I cannot.

श्री प्रिय गुप्त : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपालन ।

श्री प्रिय गुप्त : मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को नहीं ले रहा हूं । मैं अल्प-सूचना प्रश्न ले रहा हूँ । श्री गोपालन ।

श्री हेम बरुआ : मैंने जो निवेदन किया था उसका क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसके लिये नहीं कह रहे हैं । मैं क्या करूं ? इस बारे में केवल मंत्री महोदय ही कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय किया है कि अल्प-सूचना प्रश्न को छापा जाय और सदस्यों में इसे परिचालित किया जाय ।

श्री वासुदेवन नायर : श्री संजीव रेड्डी कहां हैं ? कल उन्होंने वचन दिया था कि वह इस अल्प-सूचन प्रश्न का कल सदन में उत्तर देंगे । यह एक बहुत विचित्र बात है । वह सभा में अनुपस्थित हैं । उनको क्या हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मामला मैं अलग से उठाऊंगा ।

श्री वासुदेवन नायर : यह अध्यक्ष महोदय का अपमान है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि वह राज्य सभा में हैं । वह आ रहे होंगे । श्री गोपालन ।

दूसरा कोचीन शिपयार्ड

अ० सू० प्र० 1

श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० कुन्हन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मोहम्मद कोया :
श्रीमती रेनुका बड़कटकी :
श्री पी० आर० चक्रावर्ती :
श्री विश्व नाथ पान्डे :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रामाचन्द्रा उलका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री पी० वेन्काटासुब्बिया :
श्री रवीन्द्रा वर्मा :
श्री एम० के० कुमारन :
श्री डी० सी० शर्मा :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री नम्बियार :
श्री सारधीस राय :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद में यह आश्वासन दिया था कि तीसरी योजना में कोचिन शिपयार्ड शामिल किया जायगा,

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ?

(ग) यदि हां, तो परियोजना के कब पूरा होने की संभावना है,

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो देरी के कारण हैं ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में, अन्य परियोजनाओं में कोचीन शिपयार्ड भी शामिल किया गया था। इसके लिये विदेशी मुद्रा का प्रबंध किया जाना था।

(ख), (ग) और (घ) तकनीकी सलाहाकार से परियोजना रिपोर्ट मिल गई है और तकनीकी समिति उसकी जांच कर रही है। तकनीकी समिति की सिफारिशों की सरकार को शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। इन सिफ़ारिशों को प्राप्ति के तुरन्त बाद सरकार उन पर शीघ्र निर्णय करेगी।

श्री अ० क० गोपालन : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न है :

"(क) क्या सरकार ने संसद में यह आश्वासन दिया था कि तीसरी योजना में कोचीन शिपयार्ड शामिल किया जायेगा ;"

यह प्रश्न मैंने इसलिये पूछा है क्योंकि दूसरी लोक सभा में मैंने यहां एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यद्यपि इसकी अनुमति दे दी गई थी परन्तु इसे लिया नहीं गया था क्योंकि अपेक्षित संख्या में सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था। उस समय के परिवहन मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इसे तीसरी योजना में शामिल किया जायेगा। यह आश्वासन संसद में दिया गया था। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने संसद में यह आश्वासन दिया था कि तीसरी योजना में कोचीन शिपयार्ड शामिल किया जायेगा इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

महोदय, कल वे उत्तर देने के लिये तैयार नहीं थे और आज मंत्री महोदय यहां नहीं हैं। संसद में यह आश्वासन दिया गया था कि तीसरी योजना में इसे शामिल किया जायेगा।

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसा कोइ अभिलेख नहीं है जिससे मालूम हो कि संसद में यह आश्वासन दिया गया था .... (**अंतर्बाधाएं**)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कोई अभिलेख नहीं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : क्या मैं अपना उत्तर पूरा कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

जब प्रश्न इतना संक्षिप्त और सही है कि क्या कोई आश्वासन दिया गया था, तो इसका उत्तर भी संक्षिप्त या तो "हां" अथवा "नहीं" होना चाहिये। जब कोई अभिलेख नहीं है तो मंत्री महोदय को कहना चाहिये कि कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ....(**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री शिवजी राव शं० देशमुख : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यह ग्राह्य है कि कोई मन्त्री यह कहे कि ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जिससे मालूम हो कि सभा में यह आश्वासन दिया गया था ? यह एक संसदीय अभिलेख है जिसे सार्वजनिक अभिलेख समझा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं मन्त्री महोदय से कह रहा हूँ । उन्हें इस प्रकार उत्तर देने के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये ।

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा था कि अभिलेखों का निरीक्षण करने पर मुझे मालूम हुआ कि तीसरी योजना में यह परियोजना शामिल की गई थी । मैंने यह उत्तर दिया है । इस विशिष्ठ प्रश्न के बारे में कि क्या कोई आश्वासन दिया गया था, जहाँ तक मुझे याद है कि स्थगन प्रस्ताव तो लिया गया था परन्तु इस मामले के बारे में अन्य बातों का मैं पता नहीं लगा सका हूँ जिसके लिये मुझे समय चाहिये ।

श्री अ० क० गोपालन : जब मैंने अल्प प्रश्न पूछा था तो मैंने कुछ कारण बताये थे और उनमें मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि आश्वासन दिया गया था और स्थगन प्रस्ताव लिया गया था आदि । अतः मन्त्री महोदय को पूरी तरह से तैयार होकर आना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इस बात का पता लगा कर यहां बता सकते हैं तो इस प्रश्न को किसी समय लिया जा सकता है ।

कुछ माननीय सदस्य : कल, कल ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अल्प सूचना प्रश्न । श्री बूटा सिंह उपस्थित नहीं हैं ।

फिर हम ध्यान दिलाने वाली सूचना को लेते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम क्षेत्र में रेलगाड़ियों में विस्फोट

*216. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री रामपुरे :
श्री बृजराज सिंह :
श्री बाड़े :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिफू और लुमडिंग में विस्फोट होने के बाद पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आसाम क्षेत्र में सुरक्षा बनाये रखने के लिये सोचे गये उपायों को अच्छी तरह क्रियान्वित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को आसाम के सरकारी सूत्रों से इस आशय के तार तथा पत्र मिल रहे हैं कि इस बार नागा तथा मिजो विद्रोही आसाम में रेल की पटरी को पूर्णतया उखाड़ने के लिये बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति विशेष को सम्भालने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग)

सरकार को, रेल की पटरी को उड़ाने का इरादा रखने वाले नागा और मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों की समय-समय पर सूचना प्राप्त होती रही है। किन्तु सरकारी सूत्रों से आसाम में रेल की पटरी को पूर्णतया उखाड़ने के लिये बड़े पैमाने पर तैयारी का पता देने वाली कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। हाँ, प्राप्त सूचना के आधार पर और अभी हाल की विध्वंसक कार्यवाहियों को देखते हुए सरकार ने रेल की पटरियों की सुरक्षा तथा यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा की पक्की व्यवस्था करने के लिये और कदम उठाये हैं।

धनबाद के निकट एक खान में दुर्घटना

* 217. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1966 में धनबाद के निकट एक खान में एक छत गिर जाने के कारण 8 से अधिक व्यक्ति मारे गये और पाँच अन्य घायल हुए ;

(ख) यदि हाँ, तो मृत व्यक्तियों के परिवारों को क्या सहायता दी गई ;

(ग) कितने व्यक्ति हताहत हुये ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) और (ग) 17 मई, 1966 को धनबाद जिले में सर्वश्री बुरारकर कोल कम्पनी की कतरस चोइतोडिह कोलियरी में एक घातक दुर्घटना हुई, जिसमें छत गिर जाने के कारण आठ व्यक्ति मारे गए और एक व्यक्ति सख्त घायल हुआ है।

(ख) मैनेजमेंट ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को 200 रु० की अनुग्रह पूर्वक अदायगी की। उन्होंने एक नाबालिग व्यक्ति की अंत्येष्टि के लिये, जिसका शव प्राप्त हुआ था, लगभग

120 रु० खर्च किए। जो व्यक्ति सख्त घायल होने के कारण अस्पताल में दाखिल हुआ था, उस पर मैनेजमेंट द्वारा परिचर की व्यवस्था करने के लिये 60 रु० खर्च किए जाने की रिपोर्ट मिली है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा अदा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कोयलाखान श्रमिक कल्याण निधि की 'कोयला खान घातक और सख्त दुर्घटना लाभ योजना के अंतर्गत भी कार्यवाही की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 150 रु० की नकद अदायगी, विधवा के लिये 15 रु० प्रति मास का तीन साल के लिये मासिक भत्ता और 15 साल से कम आयु तक स्कूल जाने वाले प्रत्येक लड़के तथा लड़की के लिए 10 रु० प्रति मास की छात्रवृत्ति की व्यवस्था है।

(घ) दुर्घटना की जाँच उप मुख्य खान-निरीक्षक द्वारा की गई और यह पता चला कि यह दुर्घटना 1.95 मीटर की ऊँचाई से 1·8 मीटर मोटे छत के पत्थर के भारी ढेर के अचानक 15 मीटर × 7.5 मीटर के क्षेत्र में गिर जाने के कारण हुई। छत बिना किसी चेतावनी के गिर पड़ी। जाँच के दौरान, यह देखा गया कि आधार आदि नियमानुसार समुचित रूप से स्थापित किए गये थे।

Reorganisation of Ministries

***218 Shri Sidheshwar Prasad :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1696 on the 16th May, 1966 and state :

(a) the name of the Ministry which has recently been reorganised on scientific lines ; and

(b) the reasons as to why it was not possible to reorganise other Ministries on the scientific lines ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) The Ministry is the Ministry of Works, Housing & Urban Development. Two divisions there have been reorganised.

(b) Reorganisation needs careful study of the situation in each agency, and this takes time. Studies have been extended to two other ministries, Commerce and Health.

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उपाय

*** 219. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री राम हरख यादव :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बसुमतारी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हेमराज :

श्री विभूति मिश्र : **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये पाकिस्तानी घुसपैठियों तथा घुसपैठ करने वाले मिज़ो विद्रोहियों तथा नागा-विद्रोहियों की समस्या का सामना करने के लिये सरकार ने आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में कुछ नई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी):

(क) और (ख) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के अवैध प्रवेश की समस्या का सामना करने की दृष्टि से आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा उपायों को दृढ़ करने के पहले ही उठाए गए कदमों के अलावा मिज़ो विद्रोहियों तथा नागा विद्रोहियों का आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा से आना-जाना रोकने के लिये निम्नलिखित कदम और उठाये गए हैं :—

सीमा चौकियों की शक्ति बढ़ाई गई है; सीमा के गश्ती दस्तों की गति तथा शक्ति में वृद्धि की गई है; मिज़ो/पहाड़ियाँ जिले में पुलिस की शक्ति बढ़ाई गई है और सेना की सहायता ली गई है। इसके अलावा असैनिक प्रशासन की शक्ति और बढ़ाई गई है।

काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयास

* 220. **श्री गुलशन :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री श्रीनारायण दास : **श्री बागड़ी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री रघुनाथ सिंह : **श्री राम सहाय पान्डेय :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : **श्री राम हरख यादव :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री विश्व नाथ पान्डेय :**
श्री मधु लिमये : **श्री दे० द० पुरी :**
श्री किशन पटनायक : **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 मई, 1966 को बारामूला में जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री, श्री जी० एम० सादिक की हत्या करने के प्रयास में हथगोला-विस्फोट सम्बन्धी कांड की जाँच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विवरण क्या हैं तथा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चल रहा है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री नन्दा) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Merger of Pondicherry with Madras

*221. **Shri Naval Prabhakar:** **Shri Kishen Pattnayak:** **Dr. Ram Manohar Lohia:** **Shri Yashpal Singh:** **Shri Madhu Limaye :** **Shri Vasudevan Nair:** **Shri Bagri:** **Shri Kajrolkar :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to merge Pondicherry with Madras; and

(b) if so, when it is likely to be completed ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence. (Shri Hathi):

(a) Government have no such proposal under consideration.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय गीत की रचना

* 222. **श्री उटिया :** **श्री मधु लिमये :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने "जनगण मन" की रचना ब्रिटेन के शहशाह जार्ज पंचम की ताजपोशी से पहले की थी; और

(ख) क्या यह भी सच है कि आधुनिक अनुसंधान से पता चला है कि इस कवि ने इस गीत की रचना सम्राट जार्ज पंचम के ब्रिटेन के तख्त पर बैठने या उनकी ताजपोशी या दरबार के अवसर पर की थी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी):

(क) और (ख) "जन गण मन" की रचना की निश्चित तिथि की ज्ञात नहीं, किन्तु यह सच नहीं है कि इस गीत की रचना शहशाह जार्ज पंचम की ताजपोशी के मौके पर की गई थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह विवाद कवि के जीवन काल में ही उठ खड़ा हुआ था। यह गीत पहली बार 27 दिसम्बर 1911 को भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के दूसरे दिन गाया गया था। ताजपोशी का दरबार दिल्ली में 12 दिसम्बर, 1911 को हुआ था। कवि ने स्वयं ऐसे किसी सुझाव को असंगत ठहराया था कि इस गीत की रचना शहशाह जार्ज पंचम की स्तुति में की गई थी।

Cyclone in Champaran, Bihar

*223. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri Sonavane:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Raghunath Singh :**

Shri Bhagwat Jha Azad:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 10th May, 1966, thousands of people were killed, houses were blown away, trees were uprooted, thousands of cattle were killed and telephone and telegraph poles were broken due to a heavy cyclone in the district of Champaran (Bihar); and

(b) if so, the extent of assistance provided to the affected persons ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P.S. Naskar) :

(a) No Sir. Only 46 persons and 220head of cattle were killed. It is, however, true that many telephone and telegraph poles, trees and houses were damaged.

(b) About Rs. 4,72,000 were distributed among these affected persons besides food-grains.

स्टेनलैस स्टील का निर्माण

* 224. **डा० म० मो० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने निकल धातु की बजाय क्रोमियम के इस्तेमाल से स्टैनलेस स्टील बनाने की नई विधि निकाली थी,

(ख) क्या इस विधि का वाणिज्यिक उपयोग करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि हाँ, तो क्या ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) जी, हाँ । राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (National Metallurgical Laboratory) द्वारा विकसित की गई विधि में, निकल धातु को मेंगानीज़ से बदल दिया गया है ।

(ख) और (ग) जी, अभी तक नहीं । 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' का 'दुर्गापुर एलोय स्टील प्लांट' इस प्रक्रिया के उपयोग की जाँच कर रहा है ।

Rehabilitation of persons displaced as a result of Indo-Pak conflict

*225 **Shri M.L. Dwivedi:**
Shri Subodh Hansda :
Shri S.C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri:
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Linga Reddy:
Shri P.R. Chakraverti:
Shri Gulshan :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Maimoona Sultan :
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri D.J. Naik :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Indians displaced in the Indo-Pak conflict ;

(b) the progress made in their rehabilitation at their own places and the total expenditure incurred by Government thereon;

(c) the arrangements made for those persons who have not yet been rehabilitated; and

(d) the number of displaced persons who could not be rehabilitated at their own places and the arrangements made to rehabilitate them?

The Minister of Labour, Employment and Rehablitation (Shri Jagjivan Ram) :

(a) About 3,59,400.

(b) About 3,08,712 displaced persons have gone back to their original places of residence. The total expenditure incurred so far on their rehabilitation (inclusive of assistance given by way of 'relief') is about Rs. 5.75 crores.

(c) 50,688 persons who have not yet been rehabilitated, are being given maintenance assistance by Government.

(d) The majority of the families, awaiting resettlement, will go back to their villages. There will however be some for whom arrangements for whom resettlement in their original homes will not be feasible. They will have to be settled elewhere. Lands have been found for 1377 families of this category in Jammu and Kashmir.

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोग

* 226. **श्री नि० र० लास्कर :**　　　　**श्री लीलाधर कटकी :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय राष्ट्रजनों को दिल्ली में बसाने के सम्बन्ध में अब तक कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी जीवन यापन संबन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनको बसाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) और (ख): जी, हाँ।

(ग) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में किये गये उपाय।

(1) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले परिवारों में से जो पीछे व्यापार करते रहे हों, प्रत्येक परिवार को छोटे कार्य तथा व्यापार के लिये 2000 रुपये तक ऋण की मंजूरी।

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों की नियुक्ति के मामले में बर्मा से स्वदेश लौटने वालों के लिये रोजगार कार्यालय द्वारा अग्रता दी गई है।

(3) रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती के लिए 45 वर्ष तक आयु की छूट दे दी गई है, इसके साथ अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को और 5 वर्ष की छूट दी गई है।

(4) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में भाग लेने वाले

योग्य-पात्रों को परीक्षा शुल्क की छूट के बारे में आदेश जारी कर दिये गए हैं। आयु सीमा में भी छूट दे दी गई है।

(5) बर्मा से लौटने वालों के संरक्षकों की शैक्षिक सहायता के लिए एक योजना मंजूर कर दी गई है। योजना के अधीन पुस्तकों की खरीद के लिए प्रति-वर्ष 5 रुपये से 100 के बीच अनुदान मंजूर किया जायेगा। यदि छात्र अपने माता पिता से अलग होस्टल में रहते हों और उनके माता पिता की आय 250 रुपये प्रति मास से कम हो तो इन परिस्थितियों के अधीन रहते हुए छात्रों को 40 रुपये से 60 रुपये तक मासिक छात्रा-वृत्ति मंजूर की जायेगी।

(6) दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि (क) भवन बनाने के लिये प्लाट देने के मामले में लौटने वालों को तरजीह दी जाये; (ख) दूकानें और खोखों के दिये जाने के बारे में और जहाँ किसी व्यवसाय या छोटे मोटे कार्य करने के लिए लाईसन्सों/पर्मिटों की आवश्यकता हो, अग्रता दी जाये; (ग) शहर के निकट दूरस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में बर्मा से लौटने वालों को अलाट करने के लिए दूकानें और खोखे बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किये जायें।

(7) गृह-निर्माण के लिये निम्नलिखित योजना मंजूर कर दी गई है :—

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
	रुपये	रुपये
(क) प्लाट का व्यय	600	200
(ख) भूमि के विकास पर खर्च के लिये :	1500	600
(ग) गृह निर्माण पर व्यय के लिये	2,000	1,000
(घ) कारोबार की जगह के लिये	500	200

(8) लौटने वालों के लिये दूकानें / खोखे बनाने के लिए और रिहायशी प्लाटों के लिये उपयुक्त क्षेत्र की खोज के बारे में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

बिहार में शिक्षा के सम्बन्ध में प्रायोगिक सर्वेक्षण

* 227. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में शिक्षा के सम्बन्ध में प्रायोगिक सर्वेक्षण कराया है,

(ख) यदि हाँ, तो इस सर्वेक्षण का क्षेत्र क्या है, और

(ग) क्या सर्वेक्षण के प्रथम चरण का प्रतिवेदन तथा उसकी उपपत्तियाँ प्राप्त हो गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) जी, हाँ। 'भारत के द्वितीय शिक्षा सर्वेक्षण' के अन्तर्गत, बिहार को शामिल किया गया है।

(ख) दिसम्बर, 1966 के अन्त तक सर्वेक्षण के प्रथम चरण की रिपोर्ट मिलने की आशा है।

(ग) प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य स्कूल-आवासों के नवीनतम आंकड़ों को पूर्ण करना है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का वैज्ञानिक पुंज

* 228. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
डा० रानेन सेन :
श्री राजदेव सिंह :
श्री बाल कृष्ण सिंह :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से स्वदेश आने वाले वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक पुंज का सदस्य बनाने के बाद बड़ी निराशा होती है,

(ख) यदि हाँ, तो उनकी दशा को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक पुंज का आकार छोटा करने अथवा उसे पूर्णतया समाप्त करने का है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

संस्कृत की अनिवार्य पढ़ाई

*229. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिश की थी कि भारतीय भाषाओं (उर्दू तथा तमिल को छोड़कर) के शिक्षण के साथ मिश्रित पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य रूप में आरम्भ की जाये,

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों में प्रादेशिक भाषा अथवा हिन्दी के शिक्षण के साथ संस्कृत का मिश्रित पाठ्यक्रम लागू किया गया है और किस स्तर पर लागू किया गया है, और

(ग) अन्य राज्यों में इस नीति के क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) भारत सरकार ने अन्य भाषाओं के साथ मिश्रित पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत की अनिवार्य पढ़ाई के लिए राज्य सरकारों से कोई विशेष सिफारिश नहीं की थी। तो भी उन्होंने प्रादेशिक भाषाओं के साथ मिश्रित पाठ्यक्रम में श्रेण्य-शास्त्री भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के

सम्बन्ध में अथवा त्रि भाष-सूत्र के अन्तर्गत मातृ-भाषा के सम्बन्ध में जैसा कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा माना गया था—केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्यों को समादेश दिया था। उर्दू तथा तमिल इनसे अलग नहीं थी।

(ख) राज्य सरकारों से अब तक जो रिपोर्टें मिली हैं, उनसे प्रकट होता हैं कि मैसूर तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने उच्च उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रादेशिक भाषा अथवा मातृभाषा के साथ संस्कृत के मिश्रित पाठ्यक्रम को लागू किया है।

(ग) अन्य राज्य सरकारों ने इस प्रकार के मिश्रित पाठ्यक्रमों को लागू करना जरूरी नहीं समझा है। उन्होंने अभी तक कोई विशेष कारण नहीं बताए हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो

*230. **श्री विश्वनाथ राय: श्री हरि विष्णु कामत:**
श्री कृ० चं० शर्मा: श्री अल्वारेस:
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो का विचार कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी):

(क) जी हां।

(ख) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में वर्ष 1966 में सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं:—

(1) संबन्धित उपक्रम की सहायता से तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा स्वयं सेवी सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों की सहायता तथा सहेयाग से जानकारी इकट्ठा करना;

(2) चुने हुए ऐसे उपक्रमों में, जहाँ पर्याप्त उपाय हैं, भ्रष्टाचार के स्थानों की स्वीकृत सूची तैयार करना

(3) इन स्थानों पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सावधानी से बार-बार जांच तथा निरीक्षण

(4) भ्रष्टाचार लोग ठेकेदारों, संभरण कर्ताओं फर्मों तथा क्लीयरिंग एजेन्टों की उपक्रमों द्वारा सूची तैयार करना

(5) सी० बी० आइ० द्वारा अवांछित सम्पर्कवर्तायों की सूची तैयार करना

(6) उपक्रमों द्वारा जांच

(7) भ्रष्टाचार रोकने के लिये उपक्रमों द्वारा निरोधात्मक तथा प्रशासनिक उपाय काम में लाना

(8) अध्ययन दलों को बनाना तथा प्रशासनिक सुधार लागू करना

(9) सदाचारों की खबर मिलने पर सी० बी० आइ० द्वारा तलाशी

(10) भ्रष्टाचार विरोधी-अभियान में जनता की सहायता तथा सहयोग लेना

(11) कुछ उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सी० बी० आइ० के अफसरों के बीच बैठकें तथा बातचीत

(12) उपक्रमों की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों के प्रभाव का निर्धारण करना जिससे रिपोर्ट तैयार हो सके ।

Development of Hindi and other Modern Indian languages.

*231. **Shri Yashapal Singh:**
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Linga Reddy:
Shri Rishang Keishing:
Shri P. R. Chakraverti:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government propose to develop Hindi and other Modern Indian Languages more rapidly; and

(b) if so, the steps being taken to achieve this end?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) Yes, Sir.

(b) Besides continuing the existing schemes for the development of Hindi and other Modern Indian Languages and accelerating their pace of implementation, some new projects are proposed to be undertaken during the Fourth Plan. To achieve this objective, the outlay for Hindi schemes has been increased from Rs. 2.35 crores in the Third Plan to Rs. 8.62 crores and for other Modern Indian Languages from Rs.55 lacs to Rs. 5.25 crores.

मद्य-निषेध

*232. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री नाथ पाई :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री किशन पटनायक :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विभूति मिश्र :

श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 16 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य-निषेध के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और राज्यों को परामर्श दे दिया गया है कि मद्य-निषेध के बारे में टेकचन्द समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित मद्य-निषेध नीति का पालन करने के बारे में क्या नीति अपनाई जाये ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम की क्रियान्वित में होने वाले खर्च का कुछ भाग वहन करेगी ; और

(ग) क्या राज्यों को अपने साधनों में वृद्धि करने के लिये इस नीति में ढील देने की अनुमति दी जायगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क), (ख) और (ग) मद्य-निषेध की अध्ययन समिति की सिफ़ारिशों तथा उनपर राज्य सरकारों के विचारों पर अभी तक विचार किया जा रहा है। इन सिफ़ारिशों पर आगे की कार्यवाही करने के लिये अगस्त 1966 के अंत में राज्यों के आबकारी तथा मद्य-निषेध मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का विचार है।

विद्रोही मिज़ो लोगों की भारतीय सुरक्षा पुलिस से भिडंत

*233. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रा० बरुआ :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री काजरोलकर :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री डिगे :

श्री रघुनाथ सिंह : **श्री पन्ना लाल :**
श्री कोल्ला वेंकैया : **श्री वृज बासी लाल :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई के तीसरे सप्ताह में और उसके बाद जून और जुलाई में मिज़ो विद्रोहियों और भारतीय सुरक्षा दल में जोरदार भिड़न्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या 16-17 मई, 1966 को हुई भिड़न्त में काफी मिज़ो विद्रोही हताहत हुए ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) 14 झड़पें हुईं जिनमें सुरक्षा दल और मिज़ो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों के बीच मई के तीसरे सप्ताह से जुलाई 1966 के मध्य तक विभिन्न स्थानों पर गोली बारी हुई ।

(ग) जी हां ।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षा

* 234. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य शिक्षा संस्था (स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल स्तर पर शिक्षा में सुधार करने में सफल रही है,

(ख) यदि हाँ, तो किस दिशा में,

(ग) क्या ऐसी संस्थाएं सारे देश में काम कर रही हैं, और

(घ) यदि हां, तो उन पर कुल कितना वार्षिक व्यय होता है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) और (ख) जी, हां । अध्यापकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रमों, पढ़ाने वाले शिक्षकों तथा निरीक्षण करने वाले अधिकारियों और अच्छी पुस्तकों तथा शिक्षण-साधनों के निर्माण के जरिए । फिर भी संस्थाओं के असर का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि यह योजना केवल दो वर्ष पहले ही शुरू हुई थी और कुछ राज्यों ने 1965-66 में संस्थाएं स्थापित की हैं ।

(ग) जी, हां । नागालैण्ड को छोड़ कर प्रत्येक राज्य में एक ।

(घ) 1965-66 का कुल व्यय 25 लाख रुपए था और 1966-67 की बजट-व्यवस्था 20 लाख रुपए है ।

भारत का राष्ट्रीय कैलेण्डर

* 235. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** **श्री पन्ना लाल :**

श्री दिग्गे : **श्री बृज बिहारी लाल :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राष्ट्रीय कैलेण्डर के प्रयोग के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में राष्ट्रीय कैलेण्डर का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा अपने सचिवालयों और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में इस कैलेण्डर का प्रयोग किया जा रहा है ;

(घ) क्या विभिन्न अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा इस कैलेण्डर का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ङ) क्या इस कैलेण्डर का प्रयोग केन्द्रीय सरकार से राज-सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) :

(क) और (ख) राजपत्रित अधिसूचनाओं, सरकारी पत्र-व्यवहार, समझौतों, लेख-पत्रों तथा अन्य कानूनी दस्तावेजों, आल इंडिया रेडियो के प्रसारण, सरकारी कैलेण्डरों आदि जैसे विभिन्न सरकारी कार्यों के लिये ग्रीगोरियन तिथियों के साथ-साथ राष्ट्रीय कैलेण्डर (शक वर्ष) की तिथियों का भी प्रयोग किया जा रहा है ।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकारें भी उपरोक्त कार्यों में से अधिकांश के लिए शक वर्ष की तिथियों का प्रयोग कर रही हैं । राज्यों के अन्य कार्यालयों तथा संगठनों के बारे में और भी व्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और जब सूचना प्राप्त हो जायगी तब सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

तोड़-फोड़ की कार्यवाही से रेलवे लाइन पर चौकसी

*236. **श्रीमती रेणुका राय :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे लाइनों पर तोड़-फोड़ करने वाले लोगों के विरुद्ध सतर्कता को मजबूत बनाने के हेतु रेलवे को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) रेलवे लाइनों के निकट बसी बस्तियों में रहने वाले लोगों से कितनी सहायता ली गई है ।

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) आंतरिक तथा रेल की पटरियों को सुरक्षा की योजनाओं में विभिन्न उपाय किये

गए हैं ताकि परिवहन तथा संचार के महत्वपूर्ण साधनों की रक्षा की जा सके। इन साधनों में रेल की पटरियां, सुरंगें, पुल आदि शामिल हैं। ये योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा रेलवे अधिकारियों के परामर्श से बनाई जाती है और इनमें समय पर गुप्त सूचनाओं के संकलन संदेहास्पद व्यक्तियों की निगरानी, प्रमुख भागों की निगरानी और गश्त की व्यवस्था और रेलवेज़ के लिए जनशक्ति की व्यवस्था करना तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

(ख) रेल की पटरियों की निगरानी करना ग्रामीण होम गार्डों तथा ग्राम स्वयं सेवक दल के कर्त्तव्यों में शामिल है। नियामित पुलिस की गश्त के अलावा, जहां ज़रूरत हो, होम गार्ड तथा अन्य सहायक दलों और रेल की पटरियों के आस-पास रहने वाले लोगों की सहायता जहां तक सम्भव होता है विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ली जाती है। अभी हाल के संघर्ष के दौरान उन्होंने नियमित पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल की बहुमूल्य सहायता की।

गोआ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

* 237. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**   **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के 4,000 सरकारी कर्मचारियों ने 31 मई, 1966 से हड़ताल कर दी थी ;

(ख) क्या उनके प्रवक्ता ने यह आरोप लगाया था कि सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा कर्मचारियों को दिये गये वचनों का उल्लंघन किया है;

(ग) हड़तालियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(घ) और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पु० शे० नास्कर):

(क) सरकार को सूचना मिली है कि बिजली तथा जल सम्भरण विभागों के लगभग 734 कर्मचारियों ने 31 मई, 1966 को और उसके बाद हड़ताल की।

(ख) जी हां।

(ग) **और** (घ) हड़ताली कर्मचारियों की मांगे और उन पर सरकारी प्रतिक्रिया बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6637/66]

काश्मीर में पाकिस्तानी हथियार तथा गोलाबारूद बरामद किया जाना

* 238. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**   **श्री द्वारका दास मन्त्री :**

श्री तुला राम :   **श्री बड़े :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :   **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :   **श्री विभूति मिश्रा :**

श्री कपूर सिंह : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बूटा सिंह : **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी : **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में काश्मीर में बन्दीपुर के निकट पाकिस्तान में बने हुए हथियारों और गोलाबारूद का एक बड़ा जखीरा मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने हथियार तथा गोलाबारूद मिले हैं और वे किस-किस किस्म के हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) :

(क) जी हाँ ।

(ख) .303 बोर के 900 राउंड, स्टेन गन की 1,450 कार्तूस, 2 हथगोले, और स्टेन गन के स्फोटकों के 1,000 राउंड ।

जाँच आयोग (मध्य प्रदेश संशोधन) अध्यादेश 1966

*239. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1966 के मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचना की ओर दिलाया गया है :

जाँच आयोग (मध्य प्रदेश संशोधन)
अध्यादेश, 1966

यदि कोई व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से कोई ऐसा वक्तव्य देता है या प्रकाशित करता है या कोई ऐसा अन्य कार्य करता है जिसका उद्देश्य इस आयोग अथवा इसके किसी सदस्य को बदनाम करना हो, तो उस व्यक्ति को दो वर्ष तक की सादी कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।

(ख) क्या भाग (क) में निर्दिष्ट मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया गया था तथा उनकी अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो अनुमति किस आधार पर दी गई थी ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) विधि आयोग में अपने 24वें प्रतिवेदन में इस बात की जाँच की थी कि क्या जांच आयोग का अवांछनीय तथा भद्दी आलोचना से संरक्षण किया जाना चाहिए । विधि आयोग ने यह सिफारिश की है कि जब आयोग के विरुद्ध ऐसी आलोचना को न्यायालय का अपमान तो नहीं समझा जा सकता, इनको विशेष अपराध घोषित किया जाना चाहिये जिसके लिये दो वर्ष की सादी कैद अथवा जुर्माने अथवा दोनों की व्यवस्था की जानी चाहिये । चूंकि राज्य सरकार का प्रस्ताव विधि आयोग की सिफारिशों से संगत था, इसलिए इसे आपत्तिजनक नहीं समझा गया ।

काश्मीर में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत मामलों पर पुनर्विचार

1036. **श्री किशन पटनायक :** **श्री दशरथ देव :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री बागड़ी : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5148 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नज़रबन्द 526 व्यक्तियों के मामलों पर पुनर्विचार के बारे में इस बीच सरकार को कोई जानकारी प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या 11 मई, 1966 के बाद भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत उस राज्य में कोई नई गिरफ़ताररियां की गई हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्ररितक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) मामलों पर पुनर्विचार के बाद 332 को पैरोल पर या बिना शर्त रिहा कर दिया गया है ।

(ग) 21.

गंगापुर जिले में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ

1037. **श्री राम हरख यादव :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई पाकिस्तानी घुसपैठिये 1 जून, 1966 को राजस्थान के गंगापुर जिले में ताजेवाला गांव के समीप भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करके वहाँ से बहुत से ऊँट उठा कर ले गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो मुठभेड़ का व्यौरा क्या है ; और

(ग) गांव वासियों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) जी हां । तीन ऊंटों पर सवार पांच पाकिस्तानी अपराधी 1 जून 1966 को शाम के लगभग 7 बजे गंगानगर (न कि गंगापुर) जिले में ताजावाला तोबा (न कि ताजेवाला) के निकट भारतीय क्षेत्र में घुस आये । हमारे गस्तीदल ने उनका पीछा किया और दो जून 1966 को 3.00 बजे प्रात: फूलसर के निकट उनका मुकाबिला किया । पाक राष्ट्रिकों ने पीछा करने वाले दल को देख कर गोली चलाना शुरू कर दिया । हमारे गश्ती दल ने भी आत्मरक्षा में जवाबी गोली चलाई । किसी भी पक्ष का कोई आदमी मारा नहीं गया । अपराधियों द्वारा भारतीय ग्राम आनन्दगढ़ से चुराये गए 7 ऊंट बरामद कर दिये गए । किन्तु अपराधी अंधेरे की आड़ में बच निकले ।

(ग) जबर्दस्त गश्त तथा सतर्कता रखी जा रही है ।

रेल डाक सेवा डिवीजन, जयपुर

1038. **श्री राम हरख यादव:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जयपुर में डाक संबंधी व्यवस्था में सुधार करने के लिये वहां पर एक अन्य रेल डाक सेवा डिवीजन स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नया डिवीजन कब तक चालू हो जायेगा ;

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी हां ।

(ख) अजमेर स्थित मौजूदा 'जे' डिवीजन को जो इस समय उस इलाके के लिए है, विभाजित किया जाएगा और नए डिवीजन में 'जे' डिवीजन के कुछ अनुभागों डाक-और कार्यालयों को मिलाकर एक नए रेल डाक डिवीजन की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्यालय जयपुर में होगा ।

(ग) शीघ्र ही ।

नागा विद्रोहियों द्वारा अचानक आक्रमण

1039. **श्री प्रा० रं० चक्रवर्ती :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मई, 1966 को मनीपुर के उखरूल सब-डिवीजन में बंधा खुनाव गांव के समीप होमगार्डों की एक चौकी पर सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने अचानक आक्रमण कर दिया ;

(ख) क्या उस दिन उन्होंने उसी बस्ती में एक बाजार को भी लूट लिया ; और

(ग) यदि हां, तो इन आक्रमणों का और जन तथा सम्पत्ति की हानि का क्या ब्यौरा है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी)

(क) और (ग) सरकार के पास 6 मई, 1966 की घटना के बारे में कोई सूचना नहीं है । हां 6 जून, 1966 को दोपहर 12 बजे के लगभग, लगभग 20 सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दस्ते ने उखरूल सब-डिवीजन में बंधा खुनाव गांव के निकट 15 ग्राम स्वयं सेवकों को घेर लिया और उनसे दो राइफलें 100 राउंड कार्तूस और उनकी वर्दिया छीन ली । तब उन स्वयं सेवकों को छोड़ दिया गया ।

(ख) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

भारत की संस्कृति में दक्षिण का योगदान

1041. **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार इस देश की सामान्य सांस्कृतिक वरासत में दक्षिण भारत के यौगदान का मूल्यांकन करने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने तमिल के महात्मा थिरूवलूवर तथा केरल के महात्मा और समाज सुधारक श्री श्रीनारायण गुरू के आदर्शों का प्रचार करने की आवश्यकता पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी नहीं ।

(ख) जी, अभी तक नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंधु घाटी सभ्यता

1042. **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में एक नये साक्ष्य का पता लगा है जिससे सिन्धु घाटी सभ्यता के विस्तृत रूप का पता चलता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसक. ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी हाँ ।

(ख) कच्छ में की गई खोज के फलस्वरूप अभी हाल ही में नौ हड़प्पा के स्थान मालूम हुए हैं। इन खोजों से कच्छ में काफी समय तक हड़प्पा लोगों की बस्ती होने की अभिधारणा होती है और विशेष रूप से हड़प्पा संस्कृति के विस्तार और वितरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ।

केरल के सरकारी कालेजों में वैज्ञानिक

1043. **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने यूरोप तथा अमरीका से डी० एस० सी० तथा पी० एच० डी० की उपाधियाँ ली हैं और जो इस समय केरल के सरकारी कालेजों में काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से अधिकतर व्यक्तियों को राज्य के ऐसे दूरस्थ भागों में नियुक्त किया गया है जहाँ न तो स्नातकोत्तर कालेज हैं और न ही अनुसंधान सुविधाएँ उपलब्ध हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने हाल ही में इस आशय के आदेश निकाले हैं कि सरकारी कालिजों के कर्मचारी अन्यत्र किसी पद के लिये प्रार्थनापत्र नहीं भेज सकते; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला):

(क) केरल के सरकारी कालेजों में कार्य करने वाले 10 वैज्ञानिक ऐसे हैं, जिनके की पास यूरोप और अमरीका की पी० एच० डी० की डिग्रियाँ हैं, किन्तु किसी के पास डी० एस० सी० की डिग्री नहीं है ।

(ख) जी नहीं । उनमें से अधिकांश की नियुक्त त्रिवेन्द्रम एरनाकुलम और पालघाट के कालेजों में है, जहाँ उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम हैं । दाखिले के दबाव और उपस्कर को कीमत के कारण, उन्हें अध्यापन कार्य देने में तरजीह दी जाती है किन्तु अनुसंधान की उपलब्ध सुविधाएँ भी उन्हें दी जाती हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसंधान छात्रों की छात्रवृत्ति

1044. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों के विभिन्न विज्ञान तथा मानवशास्त्र विभागों में काम कर रहे स्नातकोत्तर अनुसंधान छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब भी केवल 200 रुपये प्रतिमास ही देता है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धि तथा अनुसंधान सम्बन्धी सामान की बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस धनराशि में वृद्धि करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान छात्रवृत्तियों की रकम 1 जुलाई, 1966 से 200 रुपये प्रतिमास से बढ़ा कर 250 रुपये प्रतिमास कर दी गई है ।

मिडिल स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा

1045. **श्री उटिया :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री मधु लिमये : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

श्री बसवन्त :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एलीमेन्टरी और मिडिल स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिये कोई प्रस्ताव तैयार किये हैं ;

(ख) क्या भारतीय भाषाओं में विज्ञान की सस्ती पुस्तकें प्रकाशित करने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां। पुस्तकें अच्छी कोटि की होंगी और अंग्रेजी और / अथवा हिन्दी में होंगी। आशा है कि ये पुस्तकें आयातित पुस्तकों के मुकाबले सस्ती होंगी। विभिन्न भाषाओं में अनुवाद का कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

(ग) ये पुस्तकें इस प्रकार की होंगी :—

(i) पाठ्य-पुस्तकें

(ii) अनुपूरक पाठ्य-सामग्री

(iii) अध्यापकों के लिये संदर्शन-पुस्तकें।

केरल में बेलियाथूवल में पुलिस की ज्यादतियां

1046. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को केरल के देवीकुलम ताल्लुक में स्थित वेल्लाथूवल के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध पिछले एक साल के दौरान भ्रष्टाचार, सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध झूठे मुकदमे चलाये जाने और जेल में उनको यातनाएं दिये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हां।

(ख) सभी आरोपों के बारे में राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

केरल में हरिजन

1047. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में अभ्यावेदन मिला है कि केरल में पथाममथिट्टा ताल्लुक को अंगुडी पंचायत में कुछ व्यक्तियों ने हरिजनों पर आक्रमण किया और उन्हें आतंकित किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आरोप लगाये गये हैं कि रान्नी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने में असफल रही है ; और

(ग) इस क्षेत्र में हरिजनों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं। किन्तु कुंजरुक्कन नामक एक व्यक्ति ने रान्नी थाने पर इस आशय का एक अभ्यावेदन दिया था कि उसे कुछ व्यक्तियों द्वारा आतंकित किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) उक्त अभ्यावेदन की जांच की गई थी और जवाबी अभ्यावेदन देने वालों को रान्नी पुलिस ने चेतावनी दे दी थी। अंगुडी पंचायत में शामिल क्षेत्रों में नियमित गश्ती दस्ते लगाये गए हैं। थाना अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस क्षेत्र का निरीक्षण करते रहे हैं। इस क्षेत्र में हरिजनों तथा अन्य लोगों के बीच सम्बन्ध अब सुधर गए बताये जाते हैं।

केरल में शराब बनाने के कारखाने

1048. **श्री अ० व० राघवन :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में शराब बनाने के कितने कारखाने हैं ;

(ख) उन कारखानों के नाम क्या हैं तथा उनसे 1954 से लेकर कितनी लाइसेंस फीस ली जानी थी और कितनी फीस ली जा चुकी है ;

(ग) क्या उनके साथ हुए करारों के अनुसार कोई शराबखाने फीस देने में असफल रहे हैं और यदि हां, तो क्या उनके लाइसेंसों की अवधि बढ़ा दी गई है हालांकि उन्होंने तय राशि देने से इन्कार कर दिया है ; और

(घ) बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कर्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) इस समय चार।

(ख) 1. मैसर्ज़ ट्रावन्कोर शूर्गज़ एण्ड केमिकल्ज़ लिमटिड, थीरुवैला।

2. मैसर्ज़ मैक डोवैल एण्ड को० लिमटिड, शरथैलाई।

3. मैसर्ज़ पोल्सन्ज़ डिस्टिलरी, चलाकुडी।

4. मैसर्ज़ डेवीकोलम डिस्टिलरी लिमटिड, वेकोम।

(शराब बनाने के कारखाने पांच थे उन में से एक 19 मार्च, 1966 को बन्द हो गया)

केन्द्रीय सरकर कोई भी लाइसेंस फीस वसूल नहीं करती। 1954 से लेकर राज्य सरकार द्वारा प्राप्य और वसूल की गई लाइसेंस फीसें निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	शराब बनाने के कारखाने की लाइसेंस फीस	बोतल भरने की लाइसेंस फीस	कम्पौडिंग और बेंलडिंग लाइसेंस फीस
	रुपये	रुपये	रुपये
1954-55	300	400	1,600
1955-56	300	400	1,600

वर्ष	शराब बनाने के कारखाने की लाइसेंस फीस	बोतल भरने की लइसेंस फीस	कम्पौंडिंग और ब्लैंडिंग लाइसेंस फीस
	रुपये	रुपये	रुपये
1956-57	400	600	2,400
1957-58	400	600	2,400
1958-59	400	600	2,400
1959-60	400	600	2,400
1960-61	500	800	3,200
1961-62	500	800	3,200
1962-63	500	800	3,200
1963-64	500	800	3,200
1964-65	500	800	3,200
1965-66	400	600	2,400
1966-67	400	600	2,400

(ग) कुछ नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गांवों में खेलकूद

1049. **श्री कर्णी सिंह जी :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने गांवों में खेलकूद को प्रोत्साहन देने की अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है तथा इस काम के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ग्राम खेल केन्द्रों की स्थापना के लिए राजस्थान की राज्य खेल परिषद ने वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना की है।

(ख) विषय विचाराधीन है।

Scheme to train Bhutanese in P & T Department.

1050. Shrimati Ramdulari Sinha :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to train the Bhutanese in connection with the expansion of the posts and Telegraphs Department in Bhutan ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jaganath Rao) :

(a) There is no scheme as such. Training of Bhutanese Nationals in P&T work is, however, being undertaken from time to time.

(b) A proposal to train 13 officials, 10 as linemen and 3 as Telephone Operators, at Calcutta has been finalised and the training is likely to commence from the middle of August this year. A proposal for training further 11 technical officials is being processed. Earlier 15 officials had been trained as Post Office clerks.

राज्यों में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए व्यवस्था

1051. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों की शिकायत सुनने के लिए प्रत्येक राज्य में क्या प्रशासनिक व्यवस्था की गई है तथा उसके अधिकार और कृत्य क्या है; और

(ख) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि इस व्यवस्था के काम-काज का क्या प्रभाव पड़ा है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री नन्दा) :

(क) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये । संख्या एल टी-6637/66**]**

(ख) जी नहीं।

दुर्लभ पाण्डुलिपियों की माइक्रोफिल्म तैयार करना

1052. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्लभ पाण्डुलिपियों तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों के माइक्रोफिल्म तैयार करने की कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिए यूनेस्को के माइक्रोफिल्म विभाग के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ग) क्या कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में यह कार्य आरम्भ किया जा चुका है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (ग) जी हाँ।

तेल का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण

1053. **श्री लखमू भवानी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में

पिछले एक वर्ष में तेल का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया तथा उस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायनम मंत्री (श्री अलगेसन) :

तेल और प्राकृतिक गैस अनयोग ने जम्मू और काश्मीर में कुड-ऊधमपुर-कटरा क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में सोलन-सुवाटू-अरकी और परोर-भामला-क्षेत्र में; उत्तर प्रदेश में वंजारी-सासाराम क्षेत्र में; आंध्रप्रदेश में गंतूर जिले और कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र में; असम में कच्छार और गारों पहाड़ियों के क्षेत्र में; त्रीपुरा में, अंडेमान द्वीपों में गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किये।

ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर लखीमपुर में और असम के शिव सागर क्षेत्रों में; पश्चमी बंगाल में 24 परगणा और मिदनापुर क्षेत्रों में; उड़ीसा में कटक और पुरी क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश में गंतूर जिले और कृष्णा गोदावरी क्षेत्रों में; मद्रास क्षेत्र में; कोरोमंडल तट में, कैम्बे खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों और पश्चिमी तट में, गुजरात में कच्छ, मेहसाना, अहमदाबाद, खेरा और सूरत क्षेत्रों में, राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्रों में; जम्मू और काश्मीर में कथुआ-रामकोट-ऊधम पुर क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में देहरादून, सहारनपुर, पीलीभीत, भरैच, गोंदा, अजमगढ़, दूरिया और जौनपुर जिलों के विभिन्न भागों में भूभौतिकी सर्वेक्षण किये गये हैं।

काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात के विभिन्न स्थानों में उथली खुदाई भी की गयी है।

गुजरात और राजस्थान राज्यों के कुछ स्थानों में गहरी खुदाई के कार्य भी किये गये।

परिणाम

गुजरात और राजस्थान के कुछ स्थानों में तेल और गैस के चिन्ह पाये गये हैं। कैम्बे खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भूकम्पीय कार्य से सरंचनात्मिक विशेषताओं के चिन्ह भी मिले हैं। 1965 में आयल इण्डिया लिमिटड ने असम/नेफा में दमदमा और निगंरू क्षेत्रों में 321 लाइन मील का भूकम्पीय सर्वेक्षण किया। तीन कुओं की खुदाई भी की गई जिन में से एक तेल दूसरे में गैस निकला और तीसरा सूखा था।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद

1054. **श्री बृजराज सिंह :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में 1 जनवरी, 1961 से लेकर 1 जनवरी, 1966 तक स्थाई तथा अस्थाई आधार पर कितने व्यक्ति काम कर रहे थे ?

(ख) उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को नौकरी से हटाया गया और उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के थे;

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिए कितने पद आरक्षित किये गये थे; और

(घ) उक्त अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों से

सेवाओं के लिये कितने आवेदन पत्र आये और उनमें से कितने व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया और कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) 75

(ख) आठ व्यक्तियों की सेवाएँ समाप्त की गई थीं, जिनमें से कोई भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित कबीलों का नहीं था।

(ग) अनुसूचित जातियाँ—5

अनुसूचित कबीले—1

(घ) (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या—34

(ii) इन्टरव्यू के लिये बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है और बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(iii) नियुक्त व्यक्तियों की संख्या—1

Separate Flag for J & K

1055. Shri Sidheshwar Prasad : Shri Rishang Keishing :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for having a separate flag for the State of Jammu and Kashmir; and

(b) when this anomaly would be removed?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) & (b) Section 144 of the Constitution of Jammu and Kashmir provides for a separate State Flag. The State Flag is in no sense a rival to the National Flag, which occupies the supreme position and has the same status and position as in any other part of India But for historical and sentimental reasons connected with the struggle for freedom in Kashmir, the people of the State wanted this State symbol to continue.

Mizo Rebels

1056. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mizo rebels are entering from the Cachar border :

(b) whether it is also a fact that houses in Voguradala village of Dolai Police Station were looted and several heads of cattle killed as a result of firing in the jungle ;

(c) if so, the extent of loss in that area; and

(d) the action taken in this regard?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) The loss has been valued at about two thousand rupees.

(d) Security measures have been further strengthened.

Shortage of cable and wire for telephone expansion

*1057. **Shri M. L. Dwivedi : Shri S. C. Samanta :**

Shri Subodh Hansda : Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the steps taken to remove the shortage of cable and wire for the expansion of telephone system in the country and to meet the requirements in that connection as also when the position is likeiy to improve ;

(b) the total number of reyuests for telephone connections pending till June, 1966 ; and

(c) the total number of applications for new telephone connections which are pending and the possibilities of their being complied with ?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jaganath Rao).

(a) Hindustan Cables is the only indigenous producer of Underground Cables for Telephone Systems. The capacity of this factory has been expanded and another expansion project has been taken up to increase the capacity further.

Availability of galvanized iron wire was limited owing to shortage of zinc. The shortage has been partly overcome by releasing zinc from departmental stocks. With the relaxation of conditions of imports, recently announced by Govt., steps are being taken to get more supplies.

(b) **and** (c) 3, 57, 539 as on 30-6-1966. The demands are being met progressively as and when additional capacity becomes available. In view of the limited resources, the expansion plans are considerably restricted and it is not possible to indicate the probable date by which the entire demand is expected to be complied with.

S. C. employees in Sales Tax Dapartment

1058. **Shri Naval Prabhakar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Caste Officers and employees in the Office of the Sales Tax Department in Delhi ;

(b) the percentage of such employees and the total number of employees in that Office ; and

(c) the number of such empioyees in Class I and II Posts ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) Seventy-Four.

(b) Total Strength			Percentage of Scheduled Castes employees.
Class	I	3	Nil
Class	II	24	8.33 0/0
Class	III	462	5.63 0/0
Class	IV	192	24 0/0
(c) Class	I	Nil	
Class	II	2.	

कलकत्ता उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले

1059. **डा० म० मो० दास :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में लगभग 30 हजार मुकदमे अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) इनमें से सब से पुराना मुकदमा कब दायर किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त तीस हजार से अधिक मुकदमों में से लगभग ग्यारह हजार मुकदमे वाणिज्यिक मामलों से सम्बन्धित हैं; और

(घ) क्या इस स्थिति में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी):

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 जून 1966 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में 47,112 मुकदमे अनिर्णीत पड़े थे ।

(ख) उस तारीख तक अनिर्णीत मुकदमों में से सबसे पुराना मुकदमा 1936 को दायर किया गया था ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) स्थिति को सुधारने के लिये कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्त के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना

1060. **श्री मधु लिमये :** **श्री लिंग रेड्डी :**

श्री किशन पटनायक : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 16 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के बारे में इस बीच और कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों को, जहाँ अभी तक न्यायपालिका को कार्य-पालिका से पृथक् नहीं किया गया है, एक निश्चित अवधि के अन्दर धीरे-धीरे ऐसा करने की सलाह दी है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश (न्यायायिक तथा कार्यपालन सम्बन्धी कर्त्तव्य) विधेयक 1966 के संसद के चालू अधिवेशन में लागू किए जाने का विचार है।

(ख) और (ग) कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई क्योंकि इस मामले पर प्रमुख रूप से राज्य सरकारों को विचार करना है।

University Vice-Chancellor's Conference

1061. Shri Vishwa Nath Pandey: **Shri Raghunath Singh:**

Shri Prakash Vir Shastri: **Shri Sideshwar Prasad :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of the Vice-Chancellors of the Universities located in Hindi-speaking States was convened in Delhi with the objective to have Hindi syllabii prepared for Post-Graduate and U.P.S.C. examinations ;

(b) if so, the decisions taken at the Conference ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) No, Sir.

(b) & (c) Questions do not arise.

Supply of Fertilizer Plants by Austria

1062. Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2623 on the 23rd March, 1966 regarding the fertilizer plants and state :

(a) whether the examination of the offer of M/s Voest of Austria for the supply of plants to manufacture certain types of fertilizers under the Austrian credit has since been completed ;

(b) if so, the result thereof ; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, when the examination is likely to be completed ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan):

(a) to (c) The offer of M/s Voest of Austria for the supply of plants to manufacture certain types of fertilizers under the Austrian Credit has been considered. The

types of fertilizers mentioned in the offer were limited to the production of ammonium nierate, calcium nitrate as well as phosphatic and compound fertilizers.

The two public sector projects, Durgapur and Cochin are however to produce only urea. Besides suppliers credit from Italy was offered for both the plants. In the circumstances, the Italian offer was accepted and the two projects are being implemented. The offer of M/s Voest of Austria could be considered if the fertilizers mentioned. in their offer are manufactured at any future date.

बस्तर कांड

1063. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कोल्ला वेंकैया :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री लखमू भवानी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर कांड के सम्बन्ध में स्थापित किये गये जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो प्रतिवेदन के कब तक दिये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) बस्तर की घटनाओं की जांच के लिए आयोग मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया था और वह अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष के अन्त तक प्रतिवेदन के प्राप्त होने की सम्भावना है। अतः उपपत्तियों का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर-पालिका के वित्तीय साधन

1064. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री 23 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 716 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच आयोग ने दिल्ली नगर निगम के वित्तीय साधनों के बारे में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक आयोग अपना प्रतिवेदन दे देगा। उपरोक्त अवधि के लिए आयोग कार्य काल को बढ़ाने का प्रश्न विचारधीन है।

विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

1065. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मन्त्री 20 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा आरम्भ करने की योजना पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) और (ख) : विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा आरम्भ करने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

निष्क्रमण आयोग का प्रतिवेदन

1066. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री हेम राज :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दलजीत सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 23 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 714 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निष्क्रमण आयोग का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी):

(क) जी हां।

(ख) आयोग ने कोई सिफ़ारिशें नहीं की।

Government College, Kirtinagar Delhi

***1067. Shri Naval Prabhakar:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) when the building of Government College, Kirtinagar Delhi is expected to be ready ; and

(b) the cost of construction thereof ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :

(a) & (b) The question of construction of a building for the Degree College, Kirtinagar, the management of which has since been transferred to a Governing Body constituted for the purpose, is under consideration.

Stabbing cases in Delhi

1068. **Shri Naval Prabhakar :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of stabbing cases committed in Delhi from January to June, 1966 ; and

(b) the steps taken to prevent such incidents ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) 63.

(b) Police patrolling in the areas where such cases are reported has been in tensified and strict vigilance is kept over the bad characters.

Application of Articles of Constitution to J & K

1069. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri P. C. Barooah :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Linga Reddy :**
Shri Raghunath Singh : **Shri P. R. Chakraverti:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the articles of the Indian Constitution which are still to be made applicable to Jammu and Kashmir State ;

(b) the reasons for not revoking Article 370 of the Constitution, which had been provided as a temporary measure ; and

(c) when a final decision is likely to be taken in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence. (Shri Hathi) :

(a) A statement is attached.

[Placed in the Library. See No. LT-6638/66]

(b) Article 370 of the Constitution is useful for the application of the provisions of the Constitution to the State of Jammu and Kashmir.

(c) There is no proposal to delete article 370.

Anniversaries of Chhattarpati Shivaji and Maharana Pratap

1070. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Raghunath Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any suggestion to celebrate the anniversaries of Chhattarpati Shivaji and Maharana Pratap on a national level has been received by him ; and

(b) if so, the action being taken in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Farewell parties to Central Government Oficers

1071. Shri Bibhuti Mishra : Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Class I and II Officers of the Central Government are given farewell parties at the places which they leave particularly on the occasion of their transfer or retirement ; and

(b) the preventive measures adopted to check such sort of things ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidyacharan Shukla) :

(a) and (b) : Under the Conduct Rules, farewell entertainments of a substantially private and informal character can be held in honour of a Government servant or any other Government servant on the occassion of his retirement or transfer. Exercise of pressure or influence of any sort on any Government servant to induce him to subscribe towards any farewell entertainment is prohibited even if such farewell entertainment is of a substantially private or informal character. The collection of subscriptions from Class III or Class IV employees for the entertainment of any Government servant not belonging to Class III or Class IV is also prohibited.

दिल्ली में चोरी की घटनाएं

1072. **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशोरावस्था वाले लड़कों के एक गिरोह का पता लगा है, जो दिल्ली में खूब चोरियां कर रहा है ; और

(ख) अप्रैल तथा मई में कितनी ऐसी चोरियां हुईं जिन में अपराधी पकड़े नहीं गये ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा किशोरों के ऐसे दो दल पकड़े गए थे।

(ख) अब तक जिन 484 मामलों की पड़ताल की गई है उनमें से 408 मामलों में अभियुक्तों का पता नहीं चल सका। 1074 मामलों की अभी तक जांच की जा रही है।

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली

1073. **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :(क) कमी बहुत अधिक नहीं है।

(ख) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण की दिशा में सामान्य कार्रवाई की जा रही है

तार इंजीनियरी सेवा

1074. **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हसदा** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार निदेशालय में सहायक मुख्य इंजीनियरों तथा सहायक उप-महा निदेशकों के पदों पर नियुक्तियों के लिये तार इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों के चयन, नियुक्ति तथा पदावधिके बारे में कोई नियम बनाये गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय बहुत से अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नतियां दी गई हैं, परन्तु वे दूर-संचार इंजीनियरी के स्नातक नहीं हैं और न ही उनके पास कोई अन्य तकनीकी तथा शैक्षिक योग्यता है ; और

(ग) डाक तथा तार महानिदेशालय में कार्य सुचारु रूप तथा कुशल ढंग से हो तथा इसमें नियुक्तियां अन्य मंत्रालयों तथा निदेशालयों की ही तरह की जायें, इस उद्देश्य से डाक तथा तार महानिदेशालय में इन पदों पर नियुक्तियां करने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) तार इंजिनियरी शाखा के सहायक मुख्य इंजीनियरों तथा सहायक महानिदेशकों के पद (सहायक उप महानिदेशों के कोई पद नहीं हैं) तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 (प्रवर वेतनमान) में सम्मिलित है और उन पदों पर 700-1250 रुपये के वेतनमान के अतिरिक्त 100 रुपये का विशेष में वेतन भी मिलता है क्योंकि ये पद तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 में सम्मिलित हैं और इनके सम्बन्ध संघोय लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाए गए भर्ती नियम मौजूद हैं, इन पदों पर सेवा सम्बन्धी शर्तों और अधिकारियों की योग्यता को ध्यान में रखते हुएतार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 (उन अधिकारियों सहित जिन्हें श्रेणी 11 से श्रेणी 1 में पदोन्नोंत कर दिया गाया है) के प्रवर वेतनमान के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

(ख) पदोन्नत अधिकारियों के मामले में तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 में पदोन्नोंति के नियमों में इंजीनियरी की उपाधि होने की कोई शर्त निर्धारित नहीं है। अतः तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 11 से तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 में पदोन्नत किये गए विभागीय अधिकारियों कें लिए दूरसंचार इंजीनियरी के स्नातक होना आवश्यक नहीं है। फिर भी ऐसे अधिकारी अपने अनुभव के कारण सहायक मुख्य इंजीनियरों तथा सहायक महानिदेशकों के पदों से सम्बन्धित जिम्मेवारियां वहन करने में समर्थ होते हैं।

(ग) इन पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां सेवा सम्बन्धी शर्तों तथा इन पदों के लिए

अधिकारियों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए की जाती है। अन्य मंत्रालयों तथा निदेशालयों में, जहां इसी प्रकार के पद हों, अपनाई जाने वाली क्रियापद्धति से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध नहीं हैं., लेकिन अनुमानतः वहां भी यही सिद्धान्त अपनाये जाते हैं।

नागा विद्रोही

1075. **श्री मधु लिमये : श्री बागड़ी :**
श्री किशन पटनायक : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री रिशांग किशिंग :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागा-विद्रोहियों द्वारा युद्ध-विराम समझौते के परे अपनी विद्रोहात्मक कार्यवाहियों बढ़ाये जाने के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या सरकार ने नागा विद्रोहियों द्वारा युद्ध-विराम क्षेत्रों में अब तक किये गये विभिन्न उल्लंघनों के बारे में भी ऐसा अनुमान लगा लिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) जी हां।

(ग) मनीपुर में युद्ध-विराम समझौते के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में 1965 में समझौते के उल्लंघन की 59 घटनाएं हुई और 1966 में 30 जून तक 114। इस क्षेत्र से बाहर 1965 में 20 घटनाएं हुई और 1966 में 30 जून तक 35। इनमें सुरक्षा चौकियों पर आक्रमण, अपहरण, धोखे से हमला करना, लूट मार, कतल आदि शामिल हैं। नागालैंड में भी ऐसी ही घटनाएं (1965 में 210 और अप्रैल 1966 तक 203) हुई हैं। सामान्यतः यह नागा तत्व समझौते के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने और सशस्त्र संघर्ष उत्पन्न करके उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं -

विज्ञान के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां

1076. **श्री मधु लिमये : श्री बागड़ी :**

क्या शिक्षा मंत्री 11 मई, 1966 के **अतारांकित प्रश्न** संख्या 5146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस परीक्षा के परिणाम इस बीच घोषित कर दिये गये हैं ;

(ख) कितने छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे ;

(ग) यह छात्रवृत्ति कितनी अवधि के लिये होगी और प्रति मास छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जायेगी ; और

(घ) कितनी लड़कियों तथा हरिजन/आदिवासी छात्रों ने यह परीक्षा पास की ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) जी हां ।

(ख) 350 तक ।

(ग) छात्रवृत्तियां बी० एस-सी डिग्री पाठ्यक्रम के लिए तीन वर्ष की हैं और उनकी राशि 100 रु० प्रति मास है तथा साथ ही 100 रु० का पुस्तक अनुदान भी मिलता है । इसके अलावा, विद्यार्थियों से शिक्षा-शुल्क भी नहीं लिया जाता ।

(घ) 88 लड़कियां चुनी गई हैं। हरिजन/आदिवासी उम्मदीवारों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

जैसलमेर में गैस और तेल की खोज

1077. **श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर में तेल और गैस के खोज-कार्य में किसी और प्रगति का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क) जी हां ।

(ख) अब तक चार कुंएं व्यधित किये गये हैं । जिनमें तेल और गैस के चिन्ह पाये गये हैं। और कार्य हो रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उपकुलपतियों की सेवा निवृत्ति की आयु

1078. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, और

(ख) क्या शीघ्र ही इसे कार्यान्वित करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) जी हां ।

(ख) जहाँ तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध है, मामला सरकार के विचाराधीन है ।

भ्रष्ट अधिकारियों से उनकी आय के अनुपात से अधिक आस्तियों की वसूली

1080. **श्री कोल्ला वेंकैया :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्ट अधिकारियों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की असमानुपाती आस्तियों को वसूल करने के लिये आवश्यक कानून बनाने अथवा संविधान में संशोधन करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या करण है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) भ्रष्ट अधिकारियों एवं सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के बारे में आवश्यक कानूनी व्यवस्था पहले ही कर ली गई है। आगे संविधान में किसी परिवर्तन अथवा और कानून बनाने के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान कानून को पर्याप्त माना जाता है।

Higher Education

1081. Shri M. L. Dwivedi : Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda : Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his Ministry is contemplating to take any steps to implement the decision that only intelligent students should be admitted to colleges and other higher institutions and the remaining students should take up one or the other technical courses ;

(b) the programme prepared by Government to implement this policy throughout the country ; and

(c) whether this policy would first be implemented on an experimental basis in the centrally administered areas also and if so, by what time ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla)

(a) to (c) The Government is already of the view that admissions to colleges/institutions of higher learning should be on the basis of selection and that the educational system after the school stage should be diversified so as to absorb those students not considered suitable for higher education. With this objective in view a beginning has already been made to give a vocational bias to education at the secondary level through the establishment of Junior Technical Schools and at the post-secondary level through the Polytechnics. There are at present 104 Junior Technical Schools with an admission intake of 6000 students and 274 Polytechnics with an admission capacity of 48,000 students in India.

The Education Commission has emphasised the importance of selective admissions to institutions of higher education and suggested a detailed programme for the purpose for implementation by the concerned institutions. The recommendations of the Education Commission are still to be considered.

Compulsory Primary Education

1082. **Shri M. L. Dwivedi : Shri S. C. Samanta : Shri Subodh Hansda : Shri Bhagwat Jha Azad :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the percentage of children upto the age of eleven years who are receiving compulsory education under the compulsory education scheme as at the end of the Third Five Year Plan ;

(b) the scheme formulated by his Ministry for making further progress in this direction during the Fourth Plan ;

(c) when compulsory education would be provided to all the children upto the age of fourteen years as provided in the Constitution ; and

(d) the total expenditure incurred by Government on compulsory education during the Third Five Year Plan period and the manner in which it was shared by the States ?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :

(a) About 79.8 percent of the children in the age-group 6-11 were estimated to be in schools by the end of Third Plan. The percentage of those under compulsion is not available.

(b) Schemes costing Rs. 192 crores for additional enrolment in 6-14 age group are proposed to be included in the Fourth Plan; of this approximately Rs. 87 crores will be for 6-11 age group for additional enrolment of 190 lakhs in this group.

(c) According to the present estimates, universal education of this age group might be reached by the end of 1985-86, if the requisite resources—human and financial—are available.

(d) Central assistance is released to States as bulk grant on "General Education" as a whole; it is not possible to indicate the expenditure incurred on this scheme alone.

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए कार्ड पास

1083. **श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी : श्री भागवत झा आजाद : श्री सुबोध हंसदा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न डिवीजनों/सर्किल के लिये मुफ्त रेलवे कार्ड पास तथा कुछ कार्ड पास अखिल भारतीय रेलों के लिये दिये जाते है ;

(ख) यदि हां, तो ये व्यक्ति अपने अन्तिम कार्य स्थान से गैर-सरकारी कार्य के लिए छुट्टी पर जाते समय अथवा अधिकारी द्वारा अपना गैर-सरकारी कार्य करवाने के लिये कार्ड पास वाले व्यक्ति को किसी स्थान पर भेजे जाने के प्रयोजनार्थ इन कार्ड पासों का दुरुपयोग न कर सकें इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से बहुत से पासधारी इन कार्ड पासों पर अपने अन्तिम कार्य स्थान तक यात्रा करने के पश्चात् छुट्टी मनाने के लिये आम तौर पर दिल्ली आते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्ड पासों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी हां।

(ख) पास का दुरुपयोग करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। ये पास बड़े कार्यालयों में जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में रखे जाते हैं और रेलवे कर्मचारियों द्वारा उनकी जांच की जा सकती है। ये पास केवल अनुमति-प्राप्त यात्राओं के लिये जारी किये जाते हैं।

(ग) जी नहीं। केवल एक ऐसे मामले का पता चला है जिसमें कि एक अधिकारी ने ड्यूटी कार्ड पास से दिल्ली तक यात्रा करके उसका अनधिकृत प्रयोग किया। इस मामले की जांच की जार ही है।

(घ) उक्त (ख) में बताये अनुसार।

Repatriates from Burma.

1084. Shri Lahtan Chaudhry:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 565 on the 16th March, 1966 and state :

(a) whether he has ascertained that the number of displaced persons repatriated from Burma to settle in Bihar is about 2,000 and not 804 only ; and

(b) the details of the arrangements so far made to rehabilitate them and the progress made in regard thereto ?

Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan):

(a) There are 284 families consisting of 1096 repatriates from Burma in the Maranga Camp in Purnea. The exact number of repatriates in Bihar living outside the camp is not known.

(b) The State Government is considering a scheme for rehabilitating 154 families of Burma repatriates in non-agricultural occupations. Some schemes for rehabilitation of agriculturist families on land are also under consideration.

बिक्री कर सलाहकार समिति

1085. **श्री वारियर :** **श्री रा० बरुआ :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री द्वारका दास मन्त्री :**

श्री राम हरख यादव : **श्री बृजबासी लाल :**

श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रसासन की बिक्री कर सलाहकार समिति ने सरकार को मन्त्रणा दी थी कि दिल्ली में बिक्री कर को बढ़ाने का प्रस्ताव समाप्त कर दिये जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय मे प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) जैसा कि 23 फरवरी 1966 को तारांकित प्रश्न संख्या 151 के उत्तर में बताया गया था, आय के अतिरिक्त साधनों को बढ़ाने और दिल्ली तथा उसके साथ लगने वाले राज्यों के बीच बिक्रीकर की दरों का अन्तर मिटाने की दृष्टि से दिल्ली के बिक्री-कर की वर्तमान दरों में कुछ परिवर्तन करने के कुछ सुझाव विचाराधीन है । दिल्ली के मुख्यायुक्त द्वारा दिल्ली में बिक्री-कर के प्रशासन पर सलाह देने के लिये गठित बिक्री-कर की सलाहकार समिति ने अपनी 28 अप्रैल, 1966 की बैठक में यह सिफारिश की थी कि दिल्ली तथा पड़ोसी राज्यों में बिक्री-कर की एक जैसी दरें रखने की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए क्योंकि यह दिल्ली के व्यवसाय की वितरक प्रकृति के लिए हानिकारक होगी । समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने के प्रश्न को भारत सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए और जब तक इस मामले पर फैसला न हो जाय, तब तक बिक्री-कर की दरों में एक-रूपता लाने का फैसला रोक दिया जाय ।

(ख) बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन-शुल्क लगाने की सिफ़ारिश, जो सलाकार समिति ने की थी, व्यावहारिक नहीं ज्ञात हुई । अतिरिक्त साधनों की अविलम्ब आवश्यकता को देखते हुए बिक्री-कर की दरों में कुछ वृद्धियां की गई है, और की जा रही है किन्तु ऐसा करते समय दिल्ली के व्यवसाय की वितरक प्रकृति पर यथोचित विचार किया गया है ।

आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्धकालेजों को सहायता

1086. **श्री किन्दर लाल :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किन-किन डिग्री कालेजों को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी ; और

(ख) जिन योजनाओं के लिये यह सहायता दी गई उनमें कितनी प्रगति हुई ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एलटी-6638/66]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

1087. **श्री किन्दर लाल :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (उत्तर प्रदेश) में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या अनिर्णीत मुकदमों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि वर्तमान न्यायाधीश दिन प्रति-दिन के काम को निबटाने की स्थिति में नहीं हैं ;

(ग) रिक्त पदों पर अभी तक नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियाँ करने का विचार है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) अतिरिक्त न्यायाधीश का एक पद रिक्त है।

(ख) मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य सरकार ने ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं किया है।

(ग) और (घ) रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए राज्य अधिकारियों से प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई घटनायें

1088. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **शिक्षा** मन्त्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5291 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्दुल बशीर खान के मामले में सरकार ने अपना निर्णय दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्दुल बशीर खां के विरुद्ध मामले की वापसी के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दया के आधार पर, अब अपनी स्वीकृति जारी की है। अलीगढ़ न्यायालय ने, जो मामले की सुनवाई कर रहा है, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मामले की वापसी की स्वीकृति अभी तक नहीं मानी है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, पूरे मामले को अलीगढ़ से किसी अन्य जिले में स्थानान्तरित करने की राज्य सरकार की प्रार्थना का अभी तक निपटारा नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विट्ठल भाई पटेल भवन, नई दिल्ली में हत्या

1089. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री नाथ पाई :**
श्री हेम बरुआ : **श्री हुकम चन्द्र कछवाय :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री 27 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4460 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या विट्ठल भाई पटेल भवन, नई दिल्ली में की गई हत्या के बारे में इस बीच जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) अभी तक मामले की जांच जारी है ।

Meeting of the Central Advisory Board of Education.

1090. **Shri Sidheshwar Prasad: Shri Rishang Keishing:**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 321 on the 2nd March, 1966 and state the action taken by the Central and State Governments to implement the decisions taken by the Central Advisory Board of Education at their sittings held on the 28th and 29th October, 1965 ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :

The recommendations made by the Central Advisory Board of Education in its session held in October, 1965 were communicated to the State Governments and other authorities concerned on 9.12.65.

A statement indicating the action taken on the important recommendations in so far as they relate to the Ministry of Education is attached.

[Placed in the Library. See No. LT-6640/66]

Reports from most of the States are still awaited.

Recommendations of Santhanam Committee

1091. **Shri Sidheshwar Prasad: Shri Rishang Keishing:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have now accepted all the recommendations of the Santhanam Committee ;

(b) if so, the steps taken to implement them; and

(c) if not, the recommendations which have not been accepted and the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in the Library. See No. LT-6641/66]

Letter from Mizo Leaders to the President of Indonesia

*1092. **Shri Rishang Keishing: Shri Sidheshwar Prasad:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1233 on the 20th April, 1966 and state :

(a) whether further investigations have been made in regard to the letter written by the rebel Mizo leaders to the President of Indonesia ;

(b) if so, the result thereof ; and

(c) the means used by the Mizo rebels for maintaining contacts with foreign countries ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) & (b) Investigations are going on.

(c) The Mizo rebels, while operating from Pakistan, have been using the normal means of contact and correspondence.

Berne Convention

1093. **Shri Sidheshwar Prasad**:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government are considering the question of disassociating themselves from the Berne Convention;

(b) if so, the steps taken in this regard; and

(c) when the country will be self-dependent freeing itself from the obligation of the International Copyright Rules?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :

(a) & (b) This issue may be considered only after August, 1967, when the revised version of the Berne Convention will become available.

(c) The obligations under the Convention are not one-sided. Indian works are now protected in Convention Countries abroad. Resiling from the Convnetion would necessarily deprive Indian works of such protection.

मनीपुर को एक राज्य बनाना

1094. **श्री वी० च० शर्मा** :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर राज्य कांग्रेस ने मांग की है कि मनीपुर को एक पूरा राज्य बनाया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) जी हाँ।

(ख) इस संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति में कोई परिवर्तन करने का सरकार का विचार नहीं है।

दिल्ली में पाठ्य पुस्तकें

1095. **श्री वी० च० शर्मा** :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी घोटाला, जिसके कारण पुस्तकों की कमी हो जाती है और पुस्तकें नहीं मिलती हैं, प्रति वर्ष की घटना हो गई है तथा इस वर्ष स्थिति अधिक गम्भीर है; और

(ख) यदि हां तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) जी नहीं। कुछ पुस्तकों के संबन्ध में थोड़ी देरी हुई थी जो अप्रैल-मई तक बाजार में नहीं आई थीं। किसी गिरोह (Racket) का कोई प्रश्न नहीं है। इस वर्ष के लिए सभी पाठ्य पुस्तकें, छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर अब बाजार में उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली महानगर परिषद्

1096. **श्री दी० च० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर परिषद की स्थापना के लिए कोई सम्भावित तिथि निर्धारित कर दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह परिषद कब से कार्य आरम्भ कर देगी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) राजधानी परिषद अगले वर्ष आम चुनावों के बाद स्थापित होगी । जब तक राजधानी परिषद नहीं बन जाती तब तक दिल्ली के लिए एक अंतरिम राजधानी परिषद बनाने का विचार है । दिल्ली के इलैक्टोरेल कालिज के सदस्यों से अंतरिम राजधानी परिषद के लिये 42 सदस्य चुनने को कहने वाली एक अधिसूचना के 9 अगस्त 1966 को प्रकाशित होने की आशा है । उस महीने के अंतिम सप्ताह तक चुनाव समाप्त हो जायंगे । आशा है कि सितम्बर 1966 के शुरू में अंतिम राजधानी परिषद की स्थापना हो जायगी ।

विदेशों से बुलाये गये वैज्ञानिक

1097. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 से 1966 तक की अवधि में, प्रतिवर्ष तथा देश-बार विदेशों से परामर्श देने, लेक्चर देने, अध्ययन करने तथा रिपोर्ट देने अथवा वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए भारत सरकार ने कितने वैज्ञानिक तकनीकी विशेषज्ञ तथा प्रवीण लोग (स्पैशिलस्ट) बुलाए हैं और वे कितने समय तक भारत में रहे हैं और उन पर भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में पृथक-पृथक कितना व्यय हुआ है; और

(ख) विदेशों द्वारा कितने भारतीय वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ अथवा प्रवीण लोग (स्पैशिलस्ट) आमंत्रित किये गये हैं और यदि उन पर सरकार ने कोई व्यय किया है तो कितना ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गोहाटी तेल शोधक कारखाना

1098. **श्री प्र० च० बरुआ :** **श्री दी० च० शर्मा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाटी स्थित तेल शोधक कारखाने की तेल साफ करने की क्षमता को बढ़ाने की परियोजना की क्रियान्वित में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में पैट्रोलियम की माँग की संभावना के बारे में हाल में कोई सर्वेक्षण किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या तेल साफ करने की क्षमता को और बढ़ाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण कब किया गया था और इसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) :

(क) गोहाटी शोधनशाला के प्रति वर्ष 1.00 मिलियन मीटरी टन तक विस्तार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) जी हाँ। हाल ही में आसाम में मुख्य पैट्रोलियम, तेल और लुब्रीकेण्ट्स के उत्पादों की माँग के बारे में सर्वेक्षण कार्य किया गया गया है, जिससे यह मालूम हुआ कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस क्षेत्र की माँग को गोहाटी और डिगबोई शोधनशालाओं से पूर्णतया पूरा किया जा सकता है।

गोहाटी के तेल शोधक कारखाने की गैस का प्रयोग

1099. **श्री प्र० च० बरुआ :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाटी के तेल शोधक कारखाने में निकल रही गैस के इस्तेलाल में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस गैस से घरेलू ईंधन के प्रयोग के लिये तरल पैट्रोलियम गैस के उत्पादन और वितरण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वहाँ पर अब भी प्रति दिन कितनी गैस निकल रही है ?

पैट्रोलियम रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) :

(क) और (ख) तरल पैट्रोलियम गैस के निर्माण के लिए शोधनशाला के गैस के उपयोग की एक योजना तैयार की जा रही है।

(ग) लगभग 45 मीटरी टन।

Conversion of Hindus to Christianity

1100. Shri Hukum Chand Kachhavaiya: Shri Raghunath Singh:
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that out of 15,000 Hindus living in Nicobar Islands, about 12,000 have been converted to Christianity and some have been converted to Islam also ;

(b) whether it is also a fact that the clerigies get money from England and USA for the propagation of Christianity there ;

(c) whether it is also a fact that there is a ban on Hindus to settle there ; and

(d) if so, the action taken in this connection ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) According to census figures, the number of Hindus in the Nicobar Islands was as follows :—

Year of Census.		Number of Hindus.
1921		6
1931		15
1941	...	7
1951	...	No religionwise break up is given.
1961	...	352

The question of conversion of 12,000 Hindus therefore does not arise.

(b) Govererrnment have no information on this point.

(c) No, Sir. The Andaman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956, provides for protection of the interests of aboriginal tribes in the Islands. Under this Regulation, outsiders are required to obtain a pass from the competant authority for entry into reserved areas, and licence from the Chief Commissioner for carrying on any trade or for acquiring any interests in such areas.

(d) Does not arise.

Attack on the Guard of a Central Minister in New Delhi

1101. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Hari Vishnu Kamath: Shri Prakash Vir Shastri: Shri Alvares: Shri Raghunath Singh:

Will the minister of Home Affairs be pleased to refer to the statement made on the 18th May, 1966 regarding the attack on Minister's Gun-man and state:

(a) whether the Gun-man has since recovered and has been discharged from the hospital;

(b) whether any assistance was given to the family of the Gun-man; and

(c) the present position of investigations and the case against the assailant, Abdul Hamid?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Ministry of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) Yes, Sir.

(b) The question is under consideration of the Delhi Administration.

(c) The case is pending trial in a court.

Burning of Jhuggies.

1102. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Sonavane:**
Shri Bhagwat Jha Azad: **Shri Raghunath Singh:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a dozen jhuggies were burnt to ashes and there was a loss of five thousand rupees as a result of a fire which broke out in Jhuggies near Green Park Delhi on or about 24th May, 1966; and

(b) if so, the financial assistance provided to each sufferer by Government?

Minister of State in the Ministry Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) Only 5 Jhuggies were destroyed by fire at Madangir Jhuggi-Jhopri Colony (and not near Green Park) Delhi. As the Jhuggies were very old the loss could not be of the order of Rs. 5,000/-.

(b) Financial assistance of Rs. 125/- at the rate of Rs.25/- per family was given.

Picketing by West Bengal Teachers

1103. **Shri Rameshwaranand:** **Shri Raghunath Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Dr. Ranen Sen:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 1200 primary teachers of West Bengal staged picketing (Dharna) and squatted before the Raj Bhawan out of whom about 500 teachers were arrested;

(b) whether it is also a fact that they had demonstrated against the non-increase in their salaries and they informed the Central Government also; and

(c) if so, the action taken by the central Government in this connection?

Minister Of Education (Shree M. C. Chagla)

(a) to (c) Press reports have appeared indicating that Primary School Teachers of West Bengal staged picketing, squatted and courted arrest in April, 1966. The Central Government has not yet received from the State Government detailed information about the agitation and the reported arrests. No action on behalf of the Central Ministry of Education is called for as the matter is primarily the concern of the State Government.

न्यायिक सुधार

1104. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में वादकारी (मुकदमे-बाज) जनता के लिये शीघ्र तथा कम खर्च पर न्याय सुलभ कराने के लिये प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ कोई न्यायिक सुधार का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ग) ऐसे कोई सुधार सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु विधि मन्त्री ऐसे उपायों की खोज में हैं जिनसे उच्च न्यायालयों को बकाया काम से छुटकारा मिल सके और मामले शीघ्रता से निपटाये जा सकें।

मिहिर सेन को पुरस्कार

1106. **श्री बागड़ी :** **श्री राम सेवक यादव :**

श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री किशन पटनायक :

क्या शिक्षा मन्त्री 11 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1613 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में मिहिर सेन के साहसपूर्ण कार्य की सराहना में उन्हें पुरस्कार से विभूषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) क्या खेल कूद के विषय में देश के नवयुवकों को शिक्षा दिलाने के हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी श्रीमान्, अभी नहीं, किन्तु अगले पुरस्कारों के लिए विचार किया जाएगा।

(ख) भारत का तैराकी संघ इस बात की जाँच कर रहा है कि श्री मिहिर सेन की सेवाओं का अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कर्मचारी

1107. **श्री बागड़ी :** **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये : **श्री राम सेवक यादव :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या शिक्षा मन्त्री हिन्दी निदेशालय के कर्मचारियों के बारे में 11 मई 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के बारे में अब कोई निर्णय कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अस्थाई पदों का कुछ प्रतिशत स्थाई पदों में बदलने का निर्णय किया गया है।

रूद्रसागर तेल क्षेत्रों से तेल का संभरण

1108. **श्री बागड़ी :** **श्री दे० द० पुरी :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में रूद्रसागर तेल क्षेत्रों से सप्लाई किये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य के बारे में भारतीय तेल निगम और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच गहरा मतभेद है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन):

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूर-संचार उपकरण

1109. **श्री म० ला० द्विवेदी : श्री सुबोध हंसदा :**

श्री भागवत झा आजाद : श्री स० चं० सामन्त :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सम्पूर्ण दूर-संचार उपकरण बनाने के लिये कार्यवाही की हैं; और

(ख) इस कार्य में बम्बई की टेलीफोन वर्कशापों का कितना योगदान है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं। इस देश में व्यावहारिक रूप में प्रयोग में आने वाले प्रायः सभी प्रकार के दुर संचार उपस्कारों का उत्पादन इसी देश में होता है।

(ख) विभाग के ट्रंक टेलीफोन केन्द्र आदि जैसे करचल टेलीफोन केन्द्र उपस्कारों की सारी मांग की पूर्ति डाक-तार विभाग की तीन निर्माणशालाओं द्वारा की जाती है और इन मदों के निर्माण की दिशा में बम्बई स्थित निर्माणशाला का मुख्य स्थान है। बम्बई टेलीफोन निर्माणशाला करचल प्रचालित ट्रंक टेलीफोन केन्द्र, केन्द्रीय बैटरी बहुद्देशीय टेलीफोन केन्द्र, निजी शाखा टेलीफोन केन्द्र तथा प्रचालक डायलिंग रिले सेट, सिक्का बक्स टेलीफोन आदि जैसे विशेष उपस्कारों का उत्पादन करती है। बम्बई की टेलीफोन निर्माणशाला इस समय गैल स्ट्रीट, जैकब सर्किल, बम्बई में काम कर रही है। यह फैक्टरी देवनार में एक नये स्थान पर स्थानान्तरित की जानी है जहाँ एक आधुनिक फैक्टरी की इमारत निर्माणाधीन है।

कोठागुडम में उर्वरक कारखाना

1110. **श्री कोल्ला वैंकैया :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी कम्पनी, एलाइड कैमिकल्स के साथ, घटिया कोयले के बजाय, जिसके बारे में पहले आन्ध्र शूगर कम्पनी आफ एलाइड कैमिकल्स द्वारा करार दिया गया था, नापथा से उर्वरक बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडम में एक उर्वरक कारखाना लगाने के लिए कोई समझौता कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समझौता किया गया है और सहयोग की क्या शर्तें हैं; और

(ग) घटिया कोयले के बजाय नापथा इस्तेमाल करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) :

(क) मैसर्ज हिन्दुस्तान एलाइड कैमीकल्स लि० का अमरीका के मैसर्ज एलाइड कैमीकल्स कारपोरेशन के सहयोग से प्रति वर्ष 100,000 मीटरी टन यूरिया के निर्माण के लिये कोठागुडम में एक नाफ्था आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ख) आशा है कि अमरीका के मैसर्ज एलाइड कैमीकल्स कारपोरेशन मैसर्ज हिन्दुस्तान एलाइड कैमीकल्स को साम्य पूंजी में नकदी के रूप में 2.612 मिलियन डालर और जानकारी के लिये निःशुल्क साम्य के तौर पर 1.000 मिलियन डालर तक अंश दान देंगी।

(ग) उर्वरक तकनीकी में हाल के विकासों के कारण कुछ परिस्थितियों में एक नाफ्था आधारित उर्वरक संयन्त्र कोयला-आधारित संयन्त्र के मुकाबले में अधिक किफायत वाला होता है।

आसाम में ड्रिलिंग

1111. **श्रीमती रेणुका बड़कटी** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने आसाम के तेल वाले क्षेत्रों से तेल निकालने और उसके लिये ड्रिलिंग कार्य करने के लिए अनुमति माँगी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रार्थना पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब से विस्थापित लोग

1112. **श्री दलजीत सिंह** : **श्री बागड़ी** :

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेष रूप से खेमकरण क्षेत्र के विस्थापित लोगों ने कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें पुनर्वासित होने में क्या कठिनाइयाँ आ रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) :

(क) जी, हाँ।

(ख) मुख्य कठिनाइयाँ जिनका सामना करना पड़ा निम्न थीं :—

(1) घरों और दूकानों का पुर्ननिमाण जिन्हें पीछे हटते समय पाकिस्तानी सेना ने व्यवस्थित ढंग से विनाश किया था।

(2) भूमि की जुताई ।

(3) खड़ी फसलों की हानि ।

(ग) इसके साथ साथ सरकार द्वारा घर और दूकान बनाने के अनुदान और ऋण दिये जा रहे हैं, उचित कीमतों पर निर्माण सामग्री दिये जाने की व्यवस्था कर दी गई है; कृषि-भूमि पर नि:शुल्क हल चलाया जा रहा है; बरबाद हुई फसलों के लिये सरकार तदर्थ एक्स-ग्रेशिया सहायता दे रही है। अब तक 18310 एकड़ भूमि पर ट्रैक्टर चला कर बुवाई कर दी गयी है और 29.29 लाख रुपये घरों और दूकानों के पुन: निर्माण के लिये अनुदान के रूप में वितरित किये जा चुके हैं।

जम्मू तथा काश्मीर में पाठ्य पुस्तकें

1113. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों में साम्यवाद को मानव जाति का आदर्श लक्ष्य बताया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या संविधान के अन्तर्गत ऐसी अभिव्यक्ति की अनुमति है; और

(ग) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई सलाह दी है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला):

(क) जी नहीं। माओत्से तुंग और चीन के पुनर्निर्माण कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ संदर्भ 1962 से पहले लिखी तथा उसके बाद भी व्यवहार में लाई जा रही पुस्तकों में देखे गये थे।

(ख) इस दृष्टिकोण से उद्धरणों की जांच नहीं की गई है; लेकिन राज्य सरकार ने आपत्तिजनक सामग्री को निकालने के आदेश पहले ही दे दिये हैं।

(ग) जनवरी 1966 में राज्य सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वह यह सुनिश्चित करे कि पाठ्यपुस्तकों में से आपत्तिजनक अंश अगले शिक्षा सत्र से पहले ही निकाल दिए जाएं।

बुनियादी तथा गैर-बुनियादी स्कूल

1114. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी तथा गैर-बुनियादी स्कूलों के पाठ्यक्रम में इस समय जो अन्तर है उसे सभी राज्यों में दूर कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इससे बुनियादी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है अथवा घटी है और सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार उसकी प्रतिशतता क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन).

(क) पूरी तरह से नहीं। फिर भी, दोनों प्रकार के स्कूलों के बीच की खाई को पाटने के लिए, बुनियादी शिक्षा की ऐसी प्रमुख विशेषताएँ, जिनके लिये बहुत बड़ी रकम अथवा विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं चाहिए, लगभग सभी राज्यों के पाठ्यचर्याओं में शामिल दी गई हैं।

(ख) 1950-51 में बुनियादी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 29.13 लाख थी, जो 1962-63 में बढ़कर 121.26 लाख हो गई, अर्थात 317 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी

1115. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों में केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों की संख्या बढ़ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बहुत से योग्यता प्राप्त उम्मीदवार अब भी बेरोजगार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पु० शे० नास्कर) :

(क) **और** (ख) तुलनात्मक आंकड़े केवल 1959 से उपलब्ध हैं केन्द्रीय सरकार की सेवा में (प्रतिरक्षा सेवाओं को छोड़कर) सभी श्रेणियों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति अधिकारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

			गत वर्ष से बढ़ा हुआ प्रतिशत	
तिथि	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
1.1.59	2,15,940	30,518	—	—
1.1.60	2,23,124	35,652	3.3	16.8
1.1.61	2,28,497	37,704	2.4	5.7
1.1.62	2,36,408	38,708	3.4	2.6
1.1.63	2,67,401	43,532	13.1	12.4
1.1.64	2,83,208	47,377	5.9	8.8
1.1.65	2,94,782	61,267	4.08	8.2

(ग) विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिये अलग-अलग योग्यतायें निर्धारित हैं। अतः यह सम्भव नहीं है कि इस प्रश्न के उत्तर में कोई सामान्य वक्तव्य दिया जाय।

मूल्य नियंत्रण समिति

1116. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य नियंत्रण समिति ने, जो भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उनके कहने पर बनाई गई थी, मूल्य नियंत्रण तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कोई उपाय सुझाये हैं; और

(ख) इस समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी):

(क) और (ख) मूल्य नियंत्रण समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(1) केवल उन्हीं वस्तुओं की जो जन साधारण के लिये अत्यावश्यक हों सप्लाई जारी रखी जाये तथा मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाय ।

(2) नियन्त्रित कपड़े पर थोक तथा खुदरा व्यापारी का लाभ निश्चित होना चाहिये तथा मिलों द्वारा सशर्त बिक्री की प्रथा की समाप्त करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये ।

(3) दिल्ली में खाद्य तथा सब्जी के बाजारों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये ।

(4) उपभोक्ता सहकारी स्टोरों तथा उचित मूल्य की दूकानों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये ।

(5) अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई, वितरण तथा उनके मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिये वर्तमान अधिनियमों के पालन में अधिक कड़ाई से काम लेना चाहिये ।

(6) दिल्ली के विभिन्न बाजारों में अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के भाव की जनता को नियमित सूचना देने के लिये तथा इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने के लिये दिल्ली प्रशासन के अधीन एक सैल स्थापित किया जाना चाहिए ।

(ख) लोक सभा समिति की दो बैठकें हुई हैं ।

कुप्रबन्धित औद्योगिक उपक्रम

1117. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री सेझियान :**

श्री कर्णी सिंहजो :

क्या **श्रम-रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुप्रबन्धित औद्योगिक उपक्रमों को सहकारिता के आधार पर सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से श्रमिकों की संचित भविष्य निधि का उपयोग करने के लिये एक योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में श्रमिक संघों की राय ले ली गई है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Attack on Ukhrul Check-Post

1118. Shri Bhagwat Jha Azad: Shri Raghunath Singh: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Sonavane:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4046 on the 20th April, 1966 and state:

(a) Whether the investigations regarding the attacks made on the check-posts of Ukhrul sub-division of Manipur have been completed;

(b) If so, the details thereof; and

(c) the assistance provided by Government to the next of the kin of those who were killed and to the wounded?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The family of the deceased constable was paid immediately Rs. 2,000 from the Home Minister's discretionary grant. In addition the family is entitled to extraordinary pension. The question of giving any assistance to those injured is under consideration.

Insult to the National Flag

1119. Shri Bhagwat Jha Azad: Shri Raghunath Singh: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Sonavane:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5139 on 11th May, 1966 and state :

(a) whether the enquiry about the young man who set the national flag ablaze while shouting anti-Hindi slogans has been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the punishment given to that young man ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) to (c) Yes Sir. The accused has been convicted and awarded six months rigorous imprisonment.

Ladakh Embezzlement Case

1120. Shri Bhagwat Jha Azad: Shri Raghunath Singh: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Sonavane:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5255 on the 11th May, 1966 and state .

(a) whether the information in regard to Ladakh embezziement case has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the extent of Government property and the particulars of the pers involved in the above embezzlement case ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Sup in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) Yes, Sir.

(b) A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

[Placed in the Library. See No. LT-6642/66.]

(c) An excess payment of Rs. 18,27,874/- was involved. 2 Divisional Engi neers, 4 Assistant Engineers and 12 Overseers were involved in the case.

Financial Assistance to Delhi Teachers.

1121. Shri Sonavane: Shri Bhagwat Jha Azad: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3999 on the 20th April, 1966 and state :

(a) whether the teachers of all the aided schools in Delhi are given any financial assistance by way of pension or Provident Fund after their retirement ;

(b) if so, the rates thereof ; and

(c) if not, whether Government are considering any such proposalf or their future to enable them to support their families after retirement ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla):

(a) & **(b)** Contributory Provident Fund facilities are available in all the schools subject to fulfilment of the requirements of rules in this behalf ; the rate of contribution to the Contributory Provident Fund by the employer and employee each is 8-1/3 percent of the basic pay of the employee.

For teachers of Government aided schools, a Triple Benefit Scheme has been introduced with effect from 1.4.1965 under which the teachers will be entitled to pension gratuity and Contributory Provident Fund Benefits subject to the fulfilment of prescribed conditions.

(c) Does not arise.

Telephone Exchange in Motihari (Bihar)

1122. Shri Bibhuti Mishra: Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government had sanctioned a scheme for the installation of an automatic telephone exchange in Motihari, Distt. Champaran (Bihar) some years back but the building has not been constructed so far ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jaganath Rao):

(a) Yes.

(b) The building construction has not been completed so far, as the contractor to whom the work was initially awarded did not start the work and the same had to be entrusted to another party, who commenced construction in September, 1965. Since the work could not proceed as scheduled on account of difficulty in obtaining cement. Every effort is now being made to speed up the progress.

Shortage of Kerosene Oil in Bihar

1123. **Shri Bibhuti Mishra:** **Shrimati Ramdulari Sinha:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a great scarcity of keresene oil in District Champaran (Bihar) during May-June and till the 25th July, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that kerosene oil was not available there at any price ;

(c) whether during this period a large number of marriages took place ; and

(d) the details of arrangements made by Government for supply of kerosene oil during the said period and why kerosene oil was not available to the common people ?

Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan):

(a) & **(b)** : No.

(c) Yes.

(d) In Bihar the kerosene dealers have been attached to the Agents (Wholesalers). The latter supply kerosene to the retailers attached to them. The distribution is supervised by by the District Supply staff, Anchal Adhikaris, Block Development Officers and Mukhiyas of the Gram Panchayats. There was a slight shortfall in the availability of kerosene during the said period due to Metre Gauge tankwagons having been blocked in Assam, following floods and breaches. The position has since improved.

शारीरिक क्षति प्रतिकर (बीमा) अधिनियम पर्सनल इंजरीज कॅम्पेनसेशन (इंश्योरेंस) एक्ट

1124. **श्री काशी राम गुप्त :**

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शारीरिक क्षति प्रतिकर (बीमा) अधिनियम के अधीन आने वाले सभी कारखानों, खानों तथा संस्थानों से इस अधिनियम के अन्तर्गत अब भी तिमाही प्रीमियम वसूल कर रही है; और

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं और सरकार का विचार इसे कब तक जारी रखने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम):

(क) 30 सितम्बर, 1966 को समाप्त होने वाली तिमाही के सम्बन्ध में दिए जाने वाले अग्रिम-प्रीमियम की राशि इस प्रकार अधिसूचित की गई है :—

(i) उन व्यक्तियों के मामले में, जिनकी पालिसी 30 जून, 1966 को चालू थी, कुछ नहीं; और

(ii) किसी अन्य मामले में, 30 जून, 1966 को समाप्त होने वाली तिमाही मजूरी-बिल के प्रति सौ रुपये पर छः पैसे की दर से ।

(ख) जैसा कि देखा जायगा, अग्रिम प्रीमियम की वसूली, ऐसे प्रतिष्ठानों को छोड़कर, जो कि 30 सितम्बर, 1966 को समाप्त होने वाली तिमाही में पहली बार प्रीमियम अदा करने के उत्तरदायी बने हैं, सभी प्रतिष्ठानों के बारे में बन्द कर दी गई है । इन प्रतिष्ठानों से प्रीमियम वसूल करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इन लाभों के शीघ्र ही उपलब्ध होने के बाद वे विधान के लाभों को प्राप्त करेंगे । प्रीमियम की भावी मांगों के बारे में निर्णय उस समय व्याप्त परिस्थिति के अनुसार लिया जायगा ।

न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें

1125. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री द्वारका दास मन्त्री :
श्री लिंग रेड्डी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री किशन पटनायक :
श्री लखमू भवानी :
श्री मधु लिमये :
श्री दिगे :
डा० राममनोहर लोहिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अ० व० राघवन :
श्री दे० जी० नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० पी० श्री निवासन :
श्री रा० बरुआ :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ कुछ प्रारम्भिक परामर्श कर लिये गये हैं । और आगे परामर्श किये जाने हैं । इस परामर्श के परिणाम के बारे में कुछ कहने के लिये अभी जल्दी है ।

Arrest of Walcott

1126. Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount spent by Government to arrest the notorious international smuggler, Walcott and his accomplices ;

(b) whether Government have got any information regarding those persons

who used to help him and his accomplices and whether some Government Officials and big businessmen were also involved therein ; and

(c) the extent of gain to Government as a result of their arrest ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) It is not at present possible to give an indication of the expenditure incurred by Government in arresting Walcott and his accomplices.

(b) As the whole matter is under adjudication by Courts of Law in India, it would not be appropriate at this stage to disclose the names of the persons who used to help Walcott and his accomplices.

(c) Walcott and his accomplices are being prosecuted for the offences alleged to have been committed by them. But for their arrest, they might have carried on smuggling operations to the detriment of Indian economy.

अलगप्पा शिक्षा न्यास संस्थायें

1127. **श्री उमानाथ :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारैक्कुडी में अलगप्पा शिक्षा न्यास संस्थाओं का दर्जा बढ़ा कर उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के बारे में क्या कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) क्या उस प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्य शिक्षा मन्त्रियों के 1962 में हुए सम्मेलन और श्री पी० एन० सप्रू की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा की समिति ने, प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस आम प्रश्न के संदर्भ में कराहकुडी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया था और शिक्षा आयोग के पास उसकी सलाह के लिये भेज दिया था। शिक्षा आयोग ने राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का समर्थन नहीं किया है।

फिर भी, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना है।

एर्णाकुलम और कालीकट स्थित विश्वविद्यालय केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना

1128. **श्री उमा नाथ : श्री अ० व० राघवन :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम और कालीकट में स्थित विश्वविद्यालय केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें पूर्णरूपेण विश्वविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में समस्त केरल साहित्य परिषद् अथवा किसी अन्य संस्था की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) और (ख) समस्त केरल साहित्य परिषद् से एर्णाकुलम और कालीकट में स्थित विश्वविद्यालयों का दर्जा बढ़ाने से सम्बन्धित कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु केरल प्राइवेट कालेज प्रबन्ध-मण्डल संस्था, एर्णाकुलम से केरल में नये विश्वविद्यालयों की आवश्यकता से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। शिक्षा आयोग को भेजे गए एक ज्ञापन में, उन्होंने एर्णाकुलम और कालीकट में स्थित विश्वविद्यालय केन्द्रों को पूरे विश्वविद्यालयों में बदलने के पक्ष में अपनी राय जाहिर की है। शिक्षा आयोग ने केरल के लिये एक अतिरिक्त विश्वविद्यालय की सिफारिस की है। आयोग की सिफारिश पर अभी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार द्वारा विचार किया जाना है।

कालेज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की मांगें

1129. **श्री उमानाथ :** **डा० श्रीनिवासन :**

श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापक संगठन फेडरेशन के जून, 1966 में मसूरी में हुये सम्मेलन में व्यक्त किये गये इस आशय के मत की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि उन्होंने जिन नये वेतनक्रमों की घोषणा की है, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा अध्यापकों को दिये गये आश्वासन के अनुरूप नहीं हैं ; और ये वेतनक्रम अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितनी भिन्नता है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) जी हां। किन्तु यह सच नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया था ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक अनुसन्धान संस्था के लिए कार्यकारिणी परिषद्

1130. **श्री तुला राम :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में प्रत्येक मुख्य अनुसन्धान संस्था के लिये एक-एक कार्यकारिणी परिषद् स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि संस्था के दिन-प्रतिदिन के काम में प्रक्रिया सम्बन्धी देरी को कम किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परिषदें कब स्थापित की जायेंगी ;

(ग) कार्यकारिणी परिषद् की तालिका के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस योजना पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) देश की मुख्य अनुसंधान संस्थायें स्वायत्त निकायें हैं तथा सरकार ऐसी निकायों के लिये कार्यकारिणी परिषद स्थापित नहीं कर सकती। फिर भी सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी संस्थाओं तथा प्रयोगशालाओं के लिये आदर्श विधान प्रचालित किया है और उन से यह सिफारिश की गई है कि वे इन संस्थाओं का गठन उस विधान के आधार पर करें।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क परिवहन के लिए मजूरी बोर्ड

1131. **श्री तुला राम** : **श्री इम्बीचीबावा** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क परिवहन उद्योग के लिए एक केन्द्रीय मजूरी बोर्ड स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ; और

(घ) बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) जी हां।

(ख) और (घ) उस सरकारी संकल्प संख्या WB-14(1)/64, तारीख 28 मई, 1966 की प्रतियां, जिसके द्वारा बोर्ड की स्थापना की गई है और जिसमें इसकी रचना और विचारार्थ-विषय दिए गए हैं, 27 जुलाई, 1966 को सभा की मेज़ पर रख दी गई थीं।

(ग) निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि इस मजूरी बोर्ड पर कितनी राशि खर्च होगी।

पश्चिम बंगाल में कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापक

1132. **डा० रानेन सेन** :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संस्था का एक प्रतिनिधि मंडल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से मिला था और उसने अपनी शिकायतों के बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रतिनिधि मंडल की मांगों के प्रति अध्यक्ष का रुख सहानुभूति पूर्ण था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला):

(क) जी हां,

(ख) और (ग) अध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल को सूचित किया था कि संस्था के ज्ञापन-पत्र में उठाए प्रश्नों पर, पश्चिम बंगाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच विचार-विनिमय होने के समय, उपयुक्त रूप से विचार किया जायगा। प्रस्तावित विचार-विनिमय अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक इन वेतन मानों को लागू करने के मानदंडों का निर्णय करने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

1133. **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा किन-किन स्थानों पर ये संस्थायें स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) उनमें से मालाबार क्षेत्र में कितनी संस्थायें होंगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम):

(क) दस्तकारी प्रशिक्षण योजाना विस्तार कार्यक्रम के अधीन केरल में चौथी पंचवर्षीय योजना के पहिले वर्ष में, नए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार नहीं है। अतः केरल सरकार ने राज्य में नए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होते।

राजधानी में यातायात नियंत्रण

1134. **श्री राम हरख यादव :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में यातायात नियंत्रण के लिए कोई यातायात नियंत्रण समिति नियुक्त की हैं ;

(ख) यदि हां, तो समिति की कार्य प्रणाली का व्यौरा क्या है और यह कितनी सफल रही ; और

(ग) अब तक सड़क नियमों का उल्लंघन करने वाले कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष	चलाये गये मामले
1964	65,954
1965	68,438
1966 (30.6.66 तक)	28,844

आसाम में टेलीफोन सेवा

1135. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण आसाम में डाक, तार और टेलीफोन सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई थीं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और बाढ़ से कितना नुकसान हुआ ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6643/66]

जम्मू तथा काश्मीर में पकड़े गये पाकिस्तानी निर्माण चिन्ह अंकित हथियार तथा गोलाबारूद का जखीरा

1136. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसवन्त :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काशमीर राज्य के गुप्तचर अधिकारियों को बुदगांव के निकट हथियारों तथा गोली बारूद का एक अन्य जखीरा, जिसमें अनेक हथगोले तथा गोला बारूद था और जिन पर पाकिस्तान के आयुध कारखानों के निशान थे, मिला है; और

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) जी हां।

(ख) सरकार बराबर सतर्कता रख रही है ।

मैसूर विधान सभा के उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी

1137. **श्री पन्ना लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री गुलशन :

श्री द्वारका दास मन्त्री : श्री शिव मूर्ति स्वामी :
श्री बड़े : श्री काशी राम गुप्त :
श्री हुकम चन्द्र कछवाय : श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री प्र० के० देव : श्री मा० ल० जाधव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी : श्री ओंकार लाल बेरवा
श्री कपूर सिंह : श्री हेम राज :
श्री यशपाल सिंह : श्री दलजीत सिंह :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति के विरुद्ध आन्दोलन के सिलसिले में गोकाक रोड रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर 10 जून, 1966 को पूना बंगलौर मेल को रोकने के आरोप में मैसूर विधान सभा के उपाध्यक्ष को अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) :

(क) जी हाँ, 11 जून 1966 को ।

(ख) सरकार इस प्रकार की गतिविधियों की, जिनमें खास तौर पर विधान निर्माताओं की सभाओं के अध्यक्षीय अधिकारियों द्वारा कानून तोड़ा जाना तक शामिल है, भर्त्सना करती हैं ।

Primary Education Survey in Bihar

1138. **Shri Kishen Pattnayak:** **Shri Madhu Limaye:**
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar have collected any data regarding the primary schools and primary education in urban areas of the State.;

(b) whether the objective of imparting "free and compulsory" education in the urban areas of Bihar has been actually achieved ; and

(c) whether similar data has been received from Orissa and other States also?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) to (c) Such data are collected periodically and supplied to the Central Government by Bihar, Orissa and other States. The Central Government is not aware whether any special information is collected from urban areas of Bihar separately. The latest information available from Bihar shows that at the end of the Third Plan, their enrolment of children in 6-11 age group was 59.8% of children in that group.

दिल्ली के कालेजों में दाखिला

1139. श्री महेश्वर नायक : श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री वाडीवा :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू अधिवेशन में कुल कितने क्षात्र कालेजों में दाखिला लेना चाहते हैं और वास्तव में कितने छात्रों को दाखिला मिल सका है;

(ख) उच्चतर माध्यमिक तथा मैट्रीकुलेशन परीक्षा पास करने के पश्चात् कितने छात्रों ने तकनीकी संस्थाओं में दाखले के लिये प्रार्थनापत्र दिये और वास्तव में कितने छात्रों को दाखला मिला; और

(ग) उन उम्मीदवारों को, जिन्हें दाखला नहीं मिला, अपने अध्ययन जारी रख सकने के अवसर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और क्या दिल्ली के कालेजों में दो पारियों की व्यवस्था चालू की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) दिल्ली के कालिजों में दाखिले के लिये 12,579 विद्यार्थियों ने अपने नाम रजिस्टर कराए थे; उनमें से अभी तक 10,953 विद्यार्थी पूर्व-मेडिकल और प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिल हुए है।

विद्यार्थियों की इस संस्था में ऐसे विद्यार्थी शामिल हैं जो और जगहों में भी दाखिला लेते हैं अथवा अन्य कारणों से अन्त में दाखिले के लिये आ नहीं पाते।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जिन विद्यार्थियों को कालिजों में दाखिला नहीं मिला है और महिला विद्यार्थियों के लिये स्त्री-शिक्षा (नॉन-कालेजिएट) के महिला सलाहकार बोर्ड में नाम लिखाने पर डाक-पाठ्यक्रमों द्वारा पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

बहुत से कालिजों में सायंकालीन क्लासें पहले ही ली जा रही हैं। कुछ कालिजों में कार्य के घंटे बढ़ाकर अतिरिक्त दाखिलों की व्यवस्था भी की गई है। इस सम्बन्ध में और भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा-प्रथम श्रेणी में पदोन्नति

1140. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय द्वारा स्थापित विभागीय पदोन्नति समिति ने हाल में अनुभाग अधिकारियों (सेक्शन आफिसर) की गोपनीय (कांफीडेंशियल) रिपोर्टों के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिये इन्टरव्यू लिये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि कथिति समिति ने बहुत से वरिष्ट अधिकारियों को, जो द्वितीय श्रेणी के पदों पर काम कर रहे हैं और जिन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक प्रथम श्रेणी के पदों पर भी स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, इन्टरव्यू तक के लिये नहीं बुलाया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का वरिष्ठता के आधार पर भी स्थायी पदोन्नति के अवसर देने के लिये नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ;

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) सम्भवत: केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी- तथा चयन पदों पर पदोन्नति) विनियम, 1964 के अधीन केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-I में अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति के लिये निर्मित चयन समिति की ओर संकेत है । यदि ऐसा है तो उत्तर हाँ है ।

(ख) यह बात असम्भव नहीं कि ऐसे कुछ मामले हों किन्तु जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में कहा गया है, अधिकारियों को उनके गोपनीय अभिलेखों (कांफीडेंशियल रिपोर्टों) के आधार पर साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था, न कि उनके श्रेणी-1 में स्थानापन्न रूप से काम करने के आधार पर ।

(ग) जी नहीं ।

Hockey Tournament

1141. Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hockey tournament is proposed to be arranged in India with the consent of Government from January next;

(b) if so, the number of countries likely to participate therein; and

(c) the nature of assistance to be provided by the Central Government ?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) Yes, Sir.

(b) It is difficult to give the exact number at this stage, but the Hockey Federation has extended invitations to 12 countries.

(c) It may not be possible for Government to release any foreign exchange or make any significant financial contribution for the holding of the Tournament because of economy measures. Other assistance, if any, asked for by the Indian Hockey Federation, will be given due consideration.

Wrong information in Text Book in J&K

1142. Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one text book prescribed in Kashmir contains wrong information about our national leaders;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reasons for not correcting the error ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :

(a) to (c) Information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the House.

भुखमरी से मृत्यु

1143. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के पहले छः मासों में (एक) दैवी विपत्तियों जैसे अकाल, लू, महामारियों से ; (दो) दुर्घटनाओं से ; (तीन) आत्महत्याओं तथा हत्याओं से हुई असाधारण तथा अस्वाभाविक मृत्युओं की कुल संख्या क्या है और पिछले तीन अर्ध-वर्षों के तत्सम्बन्धी आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कम है या अधिक ;

(ख) असाधारण मृत्युओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क),(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों का सुरक्षित रखा जाना

1144. **श्री अ० व० राघवन :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सेवाओं में सेना से मुक्त किये गये व्यक्तियों के लिये पदों को सुरक्षित रखने के मामले में कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या उनको आयु तथा अर्हता के मामले में कोई रियायत दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उनको क्या रियायतें दी गयी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :

(क) जी हां। भारत सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/पदों में सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले स्थानों में स्थायी रिक्तियों संघ की सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व अधिकारियों/सैनिकों के लिये आरक्षित की गई है जिनकी सूचना नीचे दी जा रही है :--

I. 1.11.62 **से भरती एमरजेंसी कमीशन तथा शौर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन्ड आफिसरों के लिये जो बाद में सेवा मुक्त किये जांय।**

भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय परराष्ट्र सेवा	20 %	21.1 66 से
भारतीय पुलिस सेवा	30 %	वर्ष की अवधि
केन्द्रीय सेवाएं/पद श्रेणी 1 (गैर तकनीकी)		के लिये आरक्षित
(रेलवे के अधीन अधिकारियों को मिलाकर)	25 %	
केन्द्रीय सेवाएं/पद श्रेणी 11 (गैर तकनीकी)		
(रेलवे के अधीन अधिकारियों को मिलाकर)	30 %	

इसमें आरक्षण की एक सीमा है कि एमरजेंसी कमीशन्ड शौर्ट सर्विस रैगुलर कमीशन्ड

अाफिसरों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित मामलों में बढ़ाई नहीं जाती :—

(i) भारतीय प्रशासन सेवा/ भारतीय परराष्ट्र सेवा और केन्द्रीय असैनिक सेवाएं पद श्रेणी I (गैर तकनीकी) भरती के एक वर्ष में स्थायी पदों का 45% भरा जायगा ; और

(ii) भारतीय पुलिस सेवा/केन्द्रीय असैनिक सेवाएं/ पद श्रेणी II (गैर तकनीकी) भरती के एक वर्ष में स्थायी पदों का 50% भारा जायगा ।

II. **स्नातक इंजीनियरों तथा डाक्टरों के लिये जो वर्तमान आपातकाल में अस्थायी आधार पर भरती किये जाते हैं और बाद में निकाल दिये जायं ।**

इंजीनियरिंग तथा मैडिकल सेवाएं/ पद श्रेणी I और श्रेणी II 50%

III. **भूतपूर्व सैनिकों के लिये**

श्रेणी III सेवाएं/पद	.... 10 %	पहले पहल 1.7.66 से दो वर्ष की अवधि के लिये आरक्षित
श्रेणी IV सेवाएं/पद	.... 20 %	

इसमें आरक्षण की एक सीमा है भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या भारती के एक वर्ष में स्थायी रिक्तियों के से अधिक का आरक्षण नहीं होगा ।

(ख) और (ग) आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिये आयु तथा शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में निम्नलिखित छूट दी गई हैं :—

(1) **आयु सम्बन्धी रियायतें**

अखिल भारतीय सेवाएं और केन्द्रीय सेवाएं/पद श्रेणी I तथा II (गैर तकनीकी)

सेना से सेवा मुक्त अधिकारियों को विहित आयु-सीमा में ही जायगा, यदि वे कमीशन से पहले के प्रशिक्षण पर जाने से पहले सम्बन्धित सेवा/पद के लिये अधिकतम आयु से अधिक आयु के न हो गए हों ।

इंजीनियरिंग तथा मैडिकल सेवाएं/पद, श्रेणी I तथा II

ऐसे सेवा मुक्त अधिकारियों को विहित आयु सीमा में ही माना जायगा जो सेना की सेवा में न जाने पर सम्बन्धित सेवा/पद के लिये उपयुक्त होते ।

केन्द्रीय सेवाएं/पद, श्रेणी III और श्रेणी IV

भूतपूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सेना की सेवा की अवधि काटने का अधिकार होगा । यदि फलस्वरूप प्राप्त होने वाली आय अधिकतम विहित आयु से तीन वर्ष से ज्यादा न होगी तो उनकी आयु की शर्त पूरी हो गई मानी जायगी, बशर्ते कि उन्होंने कम-से कम छः महीने सैनिक सेवा की हो ।

(2) **सैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी छूट**

चपड़ासी, दफ्तरी, जमादार और रिकार्ड सार्टों के पद

भूतपूर्व सैनिकों को विहित सैक्षनिक योग्यताओं से छूट दे दी जायगी बशर्ते कि उन्होंने

सशस्त्र सेना से छूटते समय कम-से-कम तीन वर्ष तक सेवा की हो या उनकी सशस्त्र सेना अथवा असैनिक विभागों की सेवा तीन वर्ष से कम न हो।

Teachers and Civil Servants

1145. **Shri Bade:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring the teachers of the All India Teacher's Union at par with the civil employees of the Central Government in respect of Pay, Dearness and House Rent Allowances and Pension after retirement ;

(b) whether Government also propose to appoint a Tribunal to safeguard the interests of the teachers of the educational institutions ;

(c) if so, the details thereof ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :

(a) No, Sir, this concerns the State Governments.

(b) & (c) There is no proposal to appoint any tribunal. The Education Commission's recommendations on this issue are under examination along with others.

Armed Mizo Rebels

1146. **Shri Bade:** **Shri Vishwanath Pandey:**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state : -

(a) whether it is a fact that Armed Mizo Rebels have been entering into the Indian territory from East Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that the Pradhan of Bangloai was shot dead near Koloshiva ; and

(c) if so, the action taken in this connection.

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) Yes, Sir.

(b) There is no such information.

(c) Does not arise.

मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रम

1147. **श्री रिशांग किशिंग :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय वेतन आयोग ने मनीपुर के सरकारी कर्मचारियों को आसाम सरकार के वेतन-क्रम देने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या यह सच है कि अभी द्वितीत वेतन आयोग की सभी सिफारिशों की क्रियान्विति पूरी होनी बाकी है ;

(ग) यदि हाँ, तो इनकी क्रियान्विति में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इनकी शीघ्र और अन्तिम रूप से क्रियान्वित के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) से (घ) द्वितीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को आसाम के वेतन-क्रमों के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। इस सिफारिश को सरकार ने मन्जूर कर लिया और इन कर्मचारियों के वेतन-क्रम जुलाई, 1959 से संशोधित कर दिये गए। इस बारे में कोई सुझाव सरकार के पास बाकी नहीं है।

आसाम सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में 1 अप्रैल 1965 से दोबारा संशोधन किया। तदनुसार, मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रम 1 अप्रैल, 1964 से फिर संशोधित किये गए हैं। किन्तु फिर भी कुछ ऐसे पद हैं जिनके वेतन-क्रमों में अभी संशोधन किये जाने हैं। इनके बारे में प्राप्त सुझावों की मनीपुर सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है और यथाशीघ्र उन पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया जायगा।

नेफा का आर्थिक सर्वेक्षण

1148. **श्री रिशांग किशिंग :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कभी नेफा का कोई आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसा सर्वेक्षण करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी):

(क) से (ग) नेफा में दो आर्थिक सर्वेक्षण अलग-अलग किये गए हैं। इनमें से एक व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा शुरू किये गये तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण से सम्बन्धित है और दूसरे का सम्बन्ध 1961 की जनगणना के भाग के रूप में भारत के महा-पंजीकार के निदेशानुसार नेफा प्रशासन द्वारा चलाये गये सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से है।

गोहाटी-आसाम और इम्फाल-मनीपुर के बीच तार परिपथ (सर्किट)

1149. **श्री रिशांग किशिंग :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोहाटी, आसाम तथा इम्फाल, मनीपुर के बीच सीधा भूमि मार्ग तार परिपथ स्थापित करने की अविलम्ब आवश्यकता के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार का इस समस्या का अध्ययन करने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी हाँ, गोहाटी और इम्फाल के बीच कोहिमा होकर मोर्स प्रणाली का एक सीधा भूमार्गीय तार परिपथ पहले से ही मौजूद है। गोहाटी भी एक तार प्रणाली द्वारा कोहिमा से सीधे सम्बद्ध है।

(ख) मौजूदा सुविधाओं में सुधार लाने की दृष्टि से इस मामले की जांच की गई है।

(ग) दीमापुर-कोहिमा के भू-लाइन खण्ड में सुधार लाने की दृष्टि से इस खण्ड के पुनर्निर्माण के काम को मन्जूरी दी जा चुकी है। कोहिमा-इम्फाल के अगले लाइन खण्ड के इसी तरह के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पहले से ही विभाग के विचाराधीन है।

विज्ञान शब्दावली

1150. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि विज्ञान शब्दावली सभी भारतीय भाषाओं में समान हो तथा समूचे देश में सभी भाषाओं में उसी शब्दावली का प्रयोग किया जाये;

(ख) अब तक की गई कार्यवाही कहाँ तक सफल रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विज्ञान शब्दावली प्रकाशित करने का है जो कि सभी भारतीय भाषाओं के समान हो तथा कितने प्रतिशत समान शब्दों के बारे में सभी भाषाओं के विशेषज्ञ सहमत हो गये हैं तथा कितने प्रतिशत समान शब्दों के बारे में सहमत नहीं हो सके हैं; और

(घ) समान विज्ञान शब्दावली के आधार पर अब तक कितनी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, जो वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों में हिन्दी में शब्दावली तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है, शब्दावली तैयार करने में सभी प्रादेशिक भाषाओं के साथ यथासंभव अधिकतम समानता लाने का प्रयत्न कर रहा है; और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विशेषज्ञ सलाहकार समितियों द्वारा ध्यान-पूर्वक अध्ययन किए जाने के बाद ही शब्दों को अन्तिम रूप दिया जाता है। इन समितियों में विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के विद्वान सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे इस शब्दावली को, सम्बन्धित भाषा की प्रतिभा और व्याकरण के उपयुक्त आवश्यकतानुसार स्वरूपों और शीर्षकों में उपयुक्त संशोधनों के साथ प्रयोग करें। इस कार्य को तेज करने के लिए विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करने का सुझाव है ताकि शब्दावली को प्रादेशिक भाषाओं में स्थान्तरित किया जा सके।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है शब्दावली का अभी प्रादेशिक भाषाओं की

लिपियों में रूपान्तरित किया जाना है और इस कार्य के पूरा होने के बाद ही ऐसे शब्दों की शब्दावलियां प्रकाशित की जाएंगी । किन्तु, ऐसी सम्भावना है कि समान शब्दावली 80 से लेकर 90 प्रतिशत तक भिन्न होगी जो सम्बन्धित भाषा की प्रतिभा और व्याकरण के उपयुक्त आवश्यक भिन्नताओं पर निर्भर करेगी ।

(घ) अभी तक विश्वविद्यालय स्तर की 73 पुस्तकें (हिन्दी में 57 और प्रादेशिक भाषाओं में 16) प्रकाशित की गई हैं जिनमें आयोग द्वारा तैयार की गई शब्दावली का प्रयोग किया गया है । प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकों के मामले में, सम्बंधित भाषा की प्रतिभा और व्याकरण के उपयुक्त यथासंभव समान शब्दावली का प्रयोग किया गया है ।

मिजो समस्या का सुलझाना

1151. **श्री रिशांग किशिंग :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया : **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : **श्री काजरोलकर :**
डा० महादेव प्रसाद : **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री मधु लिमये : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री किशन पटनायक : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्रीमती रेणुका राय : **डा० म० मो० दास :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जून में मिजो यूनियन का एक प्रतिनिधिमण्डल उनसे प्रधान मन्त्री से मिला था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रतिनिधिमण्डल ने मिजो नैशनल फ्रन्ट की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने तथा देश भक्त मिजो लोगों और देश के लिये मिजो समस्या का संतोषजनक हल निकालने के लिये कोई ठोस सुझाव दिया है; और

(ग) क्या मिजो यूनियन के साथ वार्ता जारी रहेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हां ।

(ख) कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया ।

(ग) यह वार्त्ता औपचारिक नहीं थी और इसके कोई स्पष्ट विषय भी निर्धारित नहीं थे । इसलिये इसे जारी रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पैट्रोलियम उत्पादकों की खुदरी बिक्री

1152. **श्री बसवन्त :** **श्री राम हरख यादव :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री काजरोलकर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पैट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री को बढ़ाने सम्बन्धी अध्ययन करने के लिये एक समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस समिति के सदस्यों के नाम तथा इसके निर्देश-पद क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(क), (ख) और (ग) जी हां । देश में पैट्रोलियम उत्पादों के फुटकर बिक्री के पम्पों (Retail out lets) की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई है । समिति का गठन निम्न प्रकार हैं :—

1	श्री आर० आर० मोरारका, लोक सभा सदस्य	चेयरमैन
2.	श्री आई० के० गुजराल, राज्य सभा सदस्य	सदस्य
3.	डा० बी० जी० भाटिया, निदेशक (परिवहन गवेषणा) परिवहन, पोत तथा पर्यटन विभाग, परिवहन स्कंध, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री एस० डी० भाम्बरी, जैनरल सेल्ज़ मैनेजर, इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० (मार्किटिंग प्रभाग), 254 / सी, डा० एन्नी बसन्त रोड, वरली बम्बई-18	सदस्य
5.	श्री आर दयाल, मैसर्ज बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लि०, पोस्ट बाक्स नं० 688, बम्बई-1	सदस्य
6.	श्री पी० बी० मैनन, मैसर्ज़ एस्सो स्टैण्डर्ड ईस्टर्न इंक, 17-जमशेदजी टाटा रोड, पोस्ट बाक्स नं० 355, बम्बई-1	सदस्य
7.	श्री बी० लाल, मैसर्ज काल्टेक्स (इण्डिया) लि०, 8-बल्लार्ड रोड, पोस्ट बाक्स नं० 1047, बम्बई-1	सदस्य
8.	श्री ए० आर दामोदरन, प्रधान, अखिल भारतीय पैट्रोलियम ट्रेडर्ज़ की फेडरेशन, कलकत्ता ।	सदस्य
9.	श्री एम० कुरीयन, वैज्ञानिक, पैट्रोलियम की इण्डियन इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली ।	सदस्य

10. श्री कुन्दन लाल, प्रधान सचिव, अखिल भारतीय मोटर संघों की कांग्रेस। सदस्य

11. श्री ए० पी० वर्मा, उप-सचिव, पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय, नई दिल्ली। सदस्य सचिव

II. समिति निम्न कार्य करेगी :—

(क) पछिले दस वर्षों में फुटकर पम्पों की वृद्धि तथा प्रत्येक पम्प की औसत बिक्री की मात्रा का वास्तविक अध्ययन, दूसरे देशों की स्थिति का भारत के साथ तुलना करना और इन वृद्धियों की आवश्यकता एवं परिणाम का आंकन करना।

(ख) उपर्युक्त 'क' को दृष्टि में रखते हुए, (1) शहरी और देहाती क्षेत्रों की अलग-अलग स्थिति और आवश्यकताओं तथा (2) देश और कम्पनी-वार कुल व्यापार की सम्भावित वृद्धि ; और ऐसे नियमनों के बारे में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भविष्य में फुटकर पम्पों की वृद्धि को नियन्त्रित करने के उपायों तथा आवश्यकता पर रिपोर्ट तैयार करना।

(ग) अन्तर कम्पनी आवास तथा या वर्तमान पम्पों में संतुलन की सम्भाव्यता एवं आवश्यकता पर विचार करना।

कुमाऊँ और उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों की स्थापना

1153. **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुमाऊँ और उत्तराखंड डिवीजनों में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है अथवा विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव किया है कि नैनीताल में एक नया शिक्षण-एवं-सम्बन्धन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए और इसके लिए डी० एस० बी० राजकीय डिग्री को केन्द्रबिन्दु मान लिया जाए जो राज्य के कुमायूँ और उत्तराखण्ड प्रभागों के सात जिलों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करे। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

प्राथमिक स्कूलों की सहायता

1154. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री 20 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3993 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना-अवधि में प्राथमिक स्कूलों के लिये राज्यों को दी

जाने वाली केन्द्रीय सहायता के रूप सम्बन्धी मामले पर इस बीच विचार कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तों उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख) विषय अभी विचाराधीन है । फिर भी 1966-67 के दौरान सहायता उसी पैमाने पर दी जाएगी जिस पैमाने पर तीसरी आयोजना के दौरान दी गई थी ।

जम्मू तथा श्रीनगर (जम्मू तथा काश्मीर) में दवाइयां बनाने वाले कारखाने

1155. **श्री श्याम लाल सरार्फ :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और काश्मीर सरकार के दो दवाइयां बनाने वाले कारखानों को, जो एक जम्मू और दूसरा श्रीनगर में है. तथा कुछ औषध क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 1962-63 से अपने अधिकार में ले लिया है, और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त कारखानों को अपने अधिकार में लिए जाने से पहले वहां पर कौन-कौन सी तथा किस प्रकार की दवाइयां बनाई जाती थी और उनके गुण, प्रकार तथा मात्रा को बढ़ाने में कितनी और प्रगति हुई है तथा औषध क्षेत्रों का आकार बढ़ाने तथा उनमें विशेष जड़ी बूटियों वाली दवाइयां उगाने में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने, पहली फरवरी, 1964 से दो औषध कारखानों को, जो एक जम्मू में और दूसरा श्रीनगर में है तथा कुछ औषध क्षेत्रों को जो जम्मू व काश्मीर सरकार के अधिकार में थे—अपने अधिकार में ले लिया है ।

(ख) उत्तर निम्न प्रकार है :—

1. **दवाई के कारखाने :**

(i) **औषध फैक्टरी (जम्मू) :** यह कारखाना कई प्रकार की दवाइयां निर्माण कर रहा था । अपने अधिकार में लेने के बाद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने उन बनाई जाने वाली दवाइयों की संख्या को कम कर दिया जिनके लिए कच्ची सामग्री "सेन्ट्रल इंडियन मेडिकल प्लांट्स आर्गनाइजेशन" तथा जम्मू व काश्मीर के बनों से उपलब्ध होती थी जैसे "बेलाडोना, हियोसिमस, डिओको-रिया, स्ट्रामेनियम तथा मेन्था अर्वेन्सिस" नामक औषध । कारखाने को औषध अधिनियम के अनुकुल बनाने के लिए नवीन रूप दिया गया है । दो कोल्ड रूप (शीतलकक्ष) कपूर के तेल से सुगन्धित पदार्थ को अलग करने के लिए तथा संकेन्द्रित सतों के स्टोर के लिए स्थापित किए गए । आधुनिक अर्क निकालने वाले तथा गाढ़ा करने वाले यन्त्र के आदेश दिए गए हैं । इस साल के अन्त तक संयत्र चालू हो जाएगा । "डिओसोजेजिन, मेन्थोल, सेलरी ओइल और बेलाडोना के समूचे वनस्पति पदार्थ बड़े पैमाने पर हाथ में ले लिए गए हैं ।

(ii) **औषध कारखाना : श्रीनगर :** यह कारखाना पाइरेथ्रम, ओलिओरेसिन तथा देवदारू तेल बना रहा था। अधिकार में लेने के बाद देवदारू तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए थे, जिसके लिए देश में काफी माँग है । पुराना प्लांट खर्चीला तथा पुराना था। सी० एस० आई० आर० के विशेषज्ञों ने एक नए प्लांट का डिजाइन तैयार किया था, जिसका निर्माण हो रहा है। प्लांट के चालू वर्ष के अन्त तक शुरू होने की आशा है । तेल निकालने वाले नये प्लांट की क्षमता मौजूदा प्लांट के 80 प्रतिशत की अपेक्षा 95-98 प्रतिशत अधिक होगी। माँग को पूरा करने के लिए कारखाना चौबीस घन्टे काम कर रहा है। लिनालोल तथा लिनोलयल इसेटेट का उत्पादन शुरू किया जा रहा है ।

II. औषध क्षेत्र

(i) औषध क्षेत्र--जम्मू पुराने ट्रेक्टरसाफ किए गए हैं और तीन नये ट्रेक्टर खरीदे गए हैं। छः इंच डाइ वाले चार नल कूपों में पर्याप्त पानी की सप्लाई के लिए पाइप लगाए गए हैं और आठ बड़े साइज़ वाले नल कूपों का काम चालू है । "मेन्था अर्वेन्सिस" के निस्यन्दन के लिए नये बोइलर तथा आधुनिक भभकों की व्यवस्था में प्रगति हुई है । "मेन्था अर्वेन्सिस" वनस्पति जड़ी को उगाने के लिए 1000 एकड़ भूमि बढ़ाई जा रही है। वाणिज्यिक महत्व के नये प्लांट लगाए जा रहे हैं ।

(ii) औषध क्षेत्र--श्रीनगर : बेलाडोना तथा पायरेथ्रम जड़ी-बूटी को उगाने के लिए आधारभूत कच्ची सामग्री के लिए दो कारखानों को काफी बढ़ाया जा रहा है। इस कार्य के लिए दो ट्रेक्टर खरीदे गए हैं। वाणिज्यिक मूल्य के नये पौधों को बड़े पैमाने पर खेती करने का काम भी हाथ में लिया जा रहा है ।

इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेकनिकों में स्थान (सीटें)

1156. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय इंजीनियरी कालेजों और पालिटेकनिकों में कितने स्थान हैं ;

(ख) चौथी योजना के अन्त तक देश में उन संस्थाओं में कितने स्थान हो जाने की संभावना है ; और

(ग) इंजीनियरी की डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त वर्तमान बेकार व्यक्तियों को किस प्रकार रोजगार दिलाने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) 1965-66 के अन्त में दाखिले की क्षमता थी :

इंजीनियरी कालेज :   24690

पालिटेकनिक

1. सामान्य 48,050

2. लड़कियों के पालिटेकनिक 1,855

(ख) चौथी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक कितने स्थानों की व्यवस्था का विचार है, इसके बारे में अभी तय नहीं हुआ है। पांचवी आयोजना के लिए कितने इंजीनियरों और टेक्नोलोजिस्टों की आवश्यकता होगी तथा चौथी आयोजना के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित स्थानों की संख्या के पुन : मूल्यांकन के लिए डा० वी० के० आर० वी राव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति नियुक्त की जा रही है।

(ग) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि इंजीनियरी कर्मचारी-वर्ग की मांग व पूर्ति के बीच संतुलन प्राप्त होने की संभावना है। इस निष्कर्ष के पक्ष में कोई सबूत नहीं है कि इस समय इंजीनियरी कर्मचारी-वर्ग फालतू है। फिर भी, कुछ वर्ग के इंजीनियरी कर्मचारी-वर्ग में कुछ व्यक्ति आमतौर पर आंशिक बेरोजगारी के रूप में, मामूली तौर पर फालतू हो सकते हैं।

त्रि-भाषा सूत्र

1157. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :** **श्री लिंग रेड्डी :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में त्रि-भाषा सूत्र लागू करने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में अधिक संख्या में स्नातकोत्तर संस्थाएं आरम्भ करने के पक्ष में हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) मन्त्रालय द्वारा समय समय पर यह सूत्र लागू करने के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जाती है।

(ख) जी, हां।

त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

1158. **श्री बीरेन दत्त :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को अब तक मिलने वाला मकान किराया भत्ता हाल ही में बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण है ; और

(ग) क्या इस कार्यवाही के विरुद्ध कर्मचारियों ने कोई अभ्यावेदन दिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्र हाथी) :

(क) से (ग) त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को मुख्यायुक्त द्वारा 1 जुलाई 1966 से

मकान किराया भत्ता इस धारणा के अनुसार दिया गया था कि अगरतला में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता पूर्वोक्त लोगों को भी दिया जाना था। त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की दरों पर आधारित हैं। त्रिपुरा सरकार के अगरतला में नियुक्त कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तभी मिलता जब पश्चिम बंगाल सरकार उसके समान नगरों में नियुक्त अपने कर्मचारियों के लिये भत्ता मंजूर करती। तदनुसार यह उचित नहीं समझा गया कि त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर भत्ता दिया जाय। इसलिये 1 अप्रैल 1966 से यह भत्ता बन्द कर दिया गया। त्रिपुरा सरकार को इस विषय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

जम्मू तथा काश्मीर में जासूसों का गिरोह

1159. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में सक्रिय जासूसों के गिरोह को जम्मू तथा काश्मीर पुलिस ने जून, 1966 में तहस नहस कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या, उनके नाम तथा उनकी राष्ट्रीयता क्या है और इस मामले में किस प्रकार के दस्तावेज पकड़े गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) जून, 1966 में जम्मू तथा काश्मीर पुलिस ने दो पाकिस्तानी एजेंटों, गुलाम नबी और अली मुहम्मद को, गिरफ्तार किया जो पाक-अधिकृत काश्मीर से आये थे। उन के आने का उद्देश्य विध्वंसक कार्यवाहियां तथा मुख्य मन्त्री और अन्य प्रमुख नेताओं को हत्या करना था। उन पर मुकदमा चलाया गया और सज़ा हो गई। उनके कब्जे से बरामद कागजों से पता चलता था कि उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों ने भेजा था।

नागाओं का प्रवेश

1160. **श्री राम हरख यादव :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून के आरम्भ में सशस्त्र नागा विद्रोही पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से आसाम के मिजो जिले के दक्षिणी भाग में घुस आये ;

(ख) यदि हां, तो उन की तोड़ फोड़ सम्बन्धी कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार के पास क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत में पुस्तकों का प्रकाशन

1161. **श्री थारियर :** **श्री प्रभात कार :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकें लिखने तथा प्रकाशित करने में भारतीय लेखकों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव है ताकि अन्य देशों से पुस्तकों का आयात कम से कम किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) और (ख) जी हां, प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

ब्रिटेन के लिये प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक

1192. **श्री कर्णी सिंहजी :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्र-मंडलीय देशों से अध्यापक मंगाने की अपनी योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापक भेजने के लिये प्रार्थना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो 1965-66 में, राज्यवार, कितने अध्यापकों का चयन किया गया ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गंगोत्री पर गुजरात विश्वविद्यालय का आरोहण-दल

1163. **श्री हरि विष्णु कामत :** **डा० महादेव प्रसाद :**

श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगोत्री पर आरोहण के लिये गुजरात विश्वविद्यालय के हाल ही में संगठित अभियान दल के नेता को पाकिस्तानी राष्ट्रजन होने के कारण इस दल के साथ जाने से रोक दिया गया ;

(ख) क्या इस बारे में गुजरात पुलिस और अथवा गुजरात विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यही व्यक्ति, जो पाकिस्तानी राष्ट्र-जन है, 1964 में चन्द्रप्रभा चोटी पर चढ़ने वाले भारतीय दल का एक सदस्य था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) जी हाँ । किन्तु इस आरोहण को गुजरात सरकार द्वारा संगठित किया गया था न कि गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा ।

(ख) और (ग) इस तथ्य पर सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान नहीं गया कि वह पाकिस्तानी राष्ट्रिक था ।

(घ) वह 1965 में न कि 1964 में, चन्द्रा पर्वत पर चढ़ने के लिये गैर सरकारी तौर पर संगठित एक अभियान दल का सदस्य था ।

(ङ) अभियान के संगठकों को इस बात का पता नहीं था कि वह पाकिस्तानी राष्ट्रिक है ।

त्रिपुरा में पुलिस की ज्यादतियां

1164. **श्री बीरेन दत्त :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के चछार बाजार क्षेत्र में पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति के बारे में उन्हें कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के लोगों के बचाव के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) त्रिपुरा के मुख्यायुक्त को सम्बोधित अभ्यावेदन की एक प्रति प्राप्त हुई थी; और

(ख) अभ्यावेदन-कर्त्ताओं के दो प्रतिनिधियों की उपस्थिति में त्रिपुरा सरकार के एक जिम्मेदारी अधिकारी द्वारा इस मामले की जाँच की गई थी । उक्त अधिकारी ने साक्षियों से जिरह की । आरोप सिद्ध नहीं हुए ।

विद्रोही मिजो

1165. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री लीलाधर कटकी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मिजो विद्रोहियों ने कई बार आसाम राज्य के कर्मचरियों को भगा कर ले जाने की धमकियाँ दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सुरक्षा सेना को स्थिति का सामना करने के आदेश दे दिये हैं; और

(ग) मिजो विद्रोहियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) जी हां।

(ग) कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा तथा साथ ही विद्रोहियों की गतिविधियों को सामान्यतः समाप्त करने की व्यवस्था करने के लिये सुरक्षा के सख्त कदम उठाये गए हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में गोष्ठी

1166. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोडैकनाल में प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक गोष्ठी हाल में हुई थी, जिसका उद्देश्य यह था कि सर्वव्यापी शिक्षा का शीघ्रातिशीघ्र लक्ष्य पूरा करने के लिये मार्गोपाय निकाले जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस अत्युत्तम उद्देश्य को शीघ्र पूरा करने के लिये इस गोष्ठी ने किन निश्चित उपायों के सुझाव दिये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) जी हां।

(ख) सर्वव्यापक शिक्षा के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिये, सेमिनार ने निम्नलिखित उपायो की सिफारिस की है :—

(i) पूर्व-स्कूल शिक्षा को और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रोत्साहन

(ii) उन राज्यों के द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम का अधिनियमन, जिन्होंने अभी तक ऐसा न किया हो।

(iii) मुफ्त अथवा आंशिक रूप से सहायता प्राप्त दोपहर का भोजन, पुस्तकें और लेखन-सामग्री तथा मुफ्त वर्दी।

(iv) उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित कबीले रहते हों, प्रत्येक विद्यार्थी पर अधिक खर्च और अध्यापक-विद्यार्थियों का कम अनुपात।

(v) ऐसे बच्चों को जो अपने माता-पिता की आर्थिक स्थिति के कारण नियमित स्कूलों में नहीं जा सकते, उपयुक्त अंशकौलिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था।

(vi) जहां कहीं अध्यापिकाएँ उपलब्ध न हों, वहां स्थानीय महिलाओं को स्कूल-माइयों के रूप में प्रशिक्षण, ताकि अधिक संख्या में लड़कियां दाखिल हो सकें।

(vii) जहां कहीं विशेष रूप से आवश्यक हो, वहाँ लड़कियों के लिये अलग प्राथमिक स्कूल खोलना।

(viii) समाज के सहयोग से उपयुक्त और आकर्षक स्कूल भवनों का निर्माण ।

(ix) स्कूली पढ़ाई के प्रथम और द्वितीय वर्ष में कोई औपचारिक उन्नति परीक्षा न लेना ।

पटना में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर

1167. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में 500 रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वाले डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टरों की कुल प्रतिशतता 80 प्रतिशत से अधिक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटना में 110-249 रुपये तथा 250-499 रुपये वेतन पाने वाले डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टरों की कुल प्रतिशतता लगभग 10 प्रतिशत है ; और

(ग) यदि हां, तो 110-249 रुपये तथा 250-499 रुपये वेतन ग्रुप वालों के क्वार्टरों को 'अपग्रेड' किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) 'अप-ग्रेड' करने के आदेश निर्माण तथा आवास मन्त्रालय द्वारा अपनाये गए नये बचत-प्रतिमानों के कारण दिये गये हैं । फिर भी, पटना में अभी तक वास्तव में कोई भी क्वार्टर 'अप-ग्रेड' नहीं किये गये हैं ।

पटना में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टरों का निर्माण

1168. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटना में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टरों के निर्माण-कार्य का दूसरा चरण कब आरम्भ होगा तथा उसका व्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

90 टाइप I और 200 टाइप II के क्वार्टरों के नक्शे को अन्तिम रूप दिया जा चुका है । इन क्वार्टरों के निर्माण का योजनाबद्ध कार्यक्रम फंड उपलब्ध होने की स्थिति में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ किया जाएगा ।

Propaganda regarding illness of Sheikh Abdullah

1169. Shrimati Ram Dulari Sinha:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the action being taken against those newspapers and magazines of Kashmir which have been carrying on misleading propaganda through Pakistani newspapers in connection with Sheikh Abdullah's illness ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

The J & K State Government have stated that no newspaper or magazine of the State has been carrying on such propaganda.

Shortage of Kerosene oil in U. P.

1170. Shri Mohan Swarup:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is an acute shortage of kerosene oil in various parts of Uttar Pradesh ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps takan to remedy the situation ?

Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan):

(a) & (b) No. However, there may have been some local shortages in the month of July on account of a strike by truck owners.

(c) Does not arise.

"Drilling in U. P."

1171. Shri Mohan Swarup:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the result of drilling and boring in Bareilly and Badaun areas of U. P. for exploration of oil ;

(b) the amount spent thereon so far ; and

(c) the number of persons employed ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan):

(a) No deep or structural well has so far been drilled in the Bareilly area. The drilling operations carried out in Badaun area have not indicated the presence of hydrocarbons.

(b) Upto 31.3.1966, an expenditure of about Rs. 64 lakhs was incurred.

(c) The number of persons employed in the last stage of drilling (in August, 1962) was 408.

दिल्ली में टेंटों में स्कूल

1172. **श्रीमती विमला देवी :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी दिल्ली में प्रत्येक छः सरकारी उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकेन्डरी) स्कूलों में से एक स्कूल टेंटों में है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला):

(क) 249 स्कूलों में से 40 तम्बुओं में हैं ।

(ख) मुख्य कारण है :—

(i) धन की कमी;

(ii) स्थानों का उपलब्ध न होना;

(iii) निश्चित किए गए स्थानों के खाली होने में देरी;

(iv) किफायती उपाय जिनके कारण नए निर्माणों में कमी करना आवश्यक हो गया;

(v) भवन-निर्माण सामग्री की कमी; और

(vi) प्रत्येक वर्ष भारी नई भर्ती ।

श्रीलंका से लोगों का स्वदेश लौटना

1173. **डा० महादेव प्रसाद :**

क्या **श्रम रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के मजदूर कांग्रेस के प्रधान ने अनुरोध किया है कि श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले लोगों को भूमि दी जाये;

(ख) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) यह सुझाव दिया गया है कि श्रीलंका से लौटने वाले लोगों को बसाने के लिये 50,000 एकड़ भूमि जो चाय, रबड़ तथा सब्जियों की खेती के लिये उपयुक्त हो अलग रख दी जाये और आरम्भ में 1,000 एकड़ भूमि के बारे में मार्गदर्शी परियोजना हाथ में ली जाये ।

(ग) सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

Post Offices in Rural Areas

1174. **Dr. Mahadeva Prasad:**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of places in rural areas in respect of which suggestions regarding the opening of Post Offices were given by the Members of Parliament during 1964-65 ;

(b) the number of such Post Offices opened so far ;

(c) whether opening of new Post Offices was stopped due to the proclamation of Emergency ; and

(d) if so, whether that decision is now being reconsidered ?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jaganath Rao):

(a) 101.

(b) 49.

(c) Yes.

(d) The ban on opening of new post offices has since been lifted. Post Offices can, however, be opened only if they fulfil the prescribed conditions.

केरल में पंचायतों के कर्मचारियों की हड़ताल

1175. **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पंचायतों के कर्मचारियों ने यह धमकी दी है कि यदि उनकी कुछ मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे हड़ताल करेंगे; और

(ख) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्ष सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं। उन्होंने अपनी मांगों में से कुछ माँगों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये 30 जुलाई 1966 को एक प्रदर्शन किया।

(ख) उनके वेतन क्रमों में 1 जनवरी 1966 से संशोधन किया गया, किन्तु वे इसे अपर्याप्त समझते हैं। इस पर सरकार और आगे विचार कर रही है। उनकी सेवा की बेहतर शर्तों की माँग पर पंचायत स्थापना नियमों के साथ-साथ विचार किया जा रहा है। उनकी वेतन क्रमों तथा मकान किराया भत्ते के बारे में सरकारी कर्मचारियों से समानता की मांगों को स्वीकार करना सरकार व्यवहार्य नहीं समझती।

गुप्तचर विभाग (इंटैलीजेंस ब्यूरो) का पुनर्गठन

1176. **श्री द्वारका दास मन्त्री :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो पुनर्गठन योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) :

(क) और (ख) गुप्तवार्ता विभाग इंटैलिजैंस ब्यूरो के चालू कामों की तुलना में उसकी आवश्यकताओं का लगातार पुनरेक्षण किया जाता रहता है और जब-जब जरूरत पड़ती है ब्यूरो के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाती है और उसके संगठन का उसके कार्यों की जरूरतों के अनुसार अनुकूल न किया जाता है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने या अनुकूलन की प्रकृति बताना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

पत्थर की प्राचीन मूर्तियों का पकड़ा जाना

1177. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान 30 जून, 1966 के (कलकत्ता के एक बंगाली दैनिक समाचारपत्र) आनन्द बाजार पत्रिका में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि सीमा शुल्क तथा गुप्तचर पुलिस ने कलकत्ता में एक पेटी से, जिस पर "इन्जीनियरी सामान" लिखा हुआ था, पत्थर की तीन प्राचीन मूर्तियाँ पकड़ी हैं।

(ख) क्या ये पेटी मुंगेर में एक इन्जीनियरी फर्म द्वारा कलकत्ता में एक व्यक्ति को भेजी गई थीं और क्या कोई जाँच की गई है ; और

(ग) क्या मूर्तियाँ किन्हीं संग्रहालयों से चोरी चली गई थीं ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

(ग) अभी तक यह मालूम नहीं हो सका है कि मूर्तियाँ किसी संग्रहालय से चोरी गई हैं, अथवा नहीं।

सीमा विवाद

1178. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य पुनर्गठन नियम के बाद उत्पन्न हुए कितने सीमा विवाद (क्षेत्रों तथा सीमाओं की दृष्टि से राज्यवार) अभी तक नहीं निबटाये गये हैं; और

(ख) कितने सीमा विवाद आपसी समझौते द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से निबटा लिये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) आन्ध्र तथा मद्रास राज्यों के बीच सीमा के समायोजन का प्रश्न जो उस समय दोनों सरकारों के विचाराधीन था जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, उस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद आपस में सहमत सिद्धान्तों के आधार पर तय हो गया।

उस अधिनियम के पारित किये जाने के बाद भारत सरकार को उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मैसूर की सरकारों से पड़ोसी राज्यों के क्षेत्र उन्हें हस्तांतरित किये जाने के सुझावों से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। भारत सरकार की नीति सामान्यतः यह रही है कि पुनर्गठन योजना के अधीन निर्धारित सीमाओं में कोई समायोजन सम्बन्धित पक्षों में समझौते के आधार पर ही किया जाना चाहिये। उड़ीसा सरकार को सूचित कर दिया गया था कि उनके सुझावों पर राज्य पुनर्गठन के समय पूरी तरह विचार किया गया था और भारत सरकार का इस बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं था। आंध्र प्रदेश की सरकार को भी इन मामलों को दोबारा न उठाने की सलाह दी गई थी। महाराष्ट्र तथा मैसूर के बीच सीमाओं के समायोजन पर फैसला होना बाकी है।

कर्मचारियों की छंटनी

1179. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के अभाव तथा कम क्रयादेश मिलने के कारण बहुत सी इन्जीनियरी फर्मों को संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप बहुत से कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है; अतः उसे राज्य सरकारों से एकत्र किया जा रहा है । प्राप्त होने पर, इसे सभा की मेज़ पर रख दिया जायगा ।

पश्चिमी बंगाल में दंगे

1180. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में 16 फरवरी से 6 अप्रैल, 1966 तक हुए हाल के दंगों के बारे में गैर-सरकारी आयोग के सर्वसम्मत निष्कर्ष की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी):

(क) सरकार ने गैर सरकारी आयोग के प्रतिवेदन के सार की एक प्रति देखी है ।

(ख) इस प्रतिवेदन पर राज्य सरकार को, जैसी भी वे जरूरी समझें, कार्यवाही करनी है ।

Telephone Connections

1181. **Shri Onkar Lal Berwa: Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Bade:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Communication** be pleased to state:

(a) the number of applications for new telephone connections pending at Delhi, Bombay and Calcutta separately and the years for which applications have not been covered so far;

(b) the years and the date up to which applications have been covered so far and the date when the work of installation of telephones was completed as also the number of the remaining applications together with the date when telephones are likely to be provided;

(c) whether Government find it conveient to provide telephones under O. Y. T. seheme but are not in a position to provide general telephones;

(d) whether Government have got any scheme to provide general telephones to people, whose applications are pending for the last 8 to 10 years; and

(e) if so, the particulars thereof?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jaganath Rao) :

(a) & (b) Statements showing the number of pending applications together with the dates upto which the waiting list have been cleared are annexed.

[Placed in the Library. See No. L T—6644/66].

New connections are being given as and when additional capacity become available. This is done by expanding the existing exchanges, opening new exchanges and laying underground cables to meet the pending demands to the maximum possible extent. It is not possible to indicate the date by which the pending demands are likely to be met as the expansion is considerably restricted due to limited resources.

(c) Applicants under OYT Scheme get priority over applicants under the 'General' category.

(d) As and when adequate capacity becomes available after meeting the demands of OYT applicants, demands under 'General' category are met with to the extent possible.

(e) Does not arise.

औद्योगिक शान्ति संकल्प

1182. **श्री कोल्ला वेंकैया :** **श्री दशरथ देव :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय मजदूर संगठन में औद्योगिक शान्ति समझौते को भंग कर देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) जी हाँ, एक संगठन ने ऐसी मांग की है ।

(ख) 29-30 जुलाई, 1966 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 24वें अधिवेशन में केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने सम्बन्धित संगठनों से औद्योगिक शांति संकल्प का पालन करते रहने की अपील की ।

नेहरू स्मारक निधि

1183. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री दशरथ देव :**

श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों ने श्रमिकों से छुट्टियों में काम करने तथा उस मजूरी को नेहरू स्मारक निधि में देने की अपील की थी;

(ख) क्या सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ;

(ग) किन सङ्गठनों ने इस अपील पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(घ) छुट्टियों में श्रमिकों के काम करने से कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ, यह अपील

की गई थी कि सार्वजनिक छुट्टियों के दिन और विशेषतः राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन काम किया जाय।

(ख) नेहरू स्मारक निधि सरकारी निधि नहीं है। अतः सरकार द्वारा उसे स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उस अपील पर जिन संगठनों ने हस्ताक्षर किये थे, वे हैं—भारतीय राष्ट्रीय कर्मिक संघ कांग्रेस, अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा तथा यूनाइटिड कार्मिक संघ कांग्रेस।

(घ) ज्ञात हुआ है कि श्रमिकों द्वारा छुट्टियों में काम करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त धन राशि का अलग खाता नहीं रखा गया है।

श्रीलङ्का से वापस आये व्यक्ति

1184. **श्री अ० क० गोपालन : श्री म० ना० स्वामी :**
श्री दशरथ देव : श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का श्रीलंका से वापस आए भारतीयों को वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी सहायता की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) :

(क) से (ग) भारत-श्रीलंका करार 1964 के अन्तर्गत भारतीयों का स्वदेश लौटना अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। उनके स्वदेश लौटने पर भारत में उनके लिये सहायता तथा पुनर्वास की योजनायें विचाराधीन हैं।

केरल में रसायन उद्योग-समूह के लिये भूमि का अर्जन

1185. **श्री अ० क० गोपालन : श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी : श्री दशरथ देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के एर्णाकुलम जिले में चेमानन्द गांव में उर्वरक तथा पैट्रोलियम-रसायन उद्योग-समूह के लिये भूमि अर्जित करने के परिणामस्वरूप कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या प्रभावित परिवारों ने सरकार को कोई ज्ञापन पत्र भेजा था; और

(ग) उन परिवारों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) लगभग 500 परिवार।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रत्येक प्रभावित परिवार को दस सेन्ट भूमि दी जा रही है और उनकी सहायता के लिए अन्य आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कोलोनाइजर द्वारा धोखाधेही

1186. **श्री अ० क० गोपालन : श्री कोल्ला वेंकैया :**

श्री इम्बीचीबाबा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक कोलोनाइजर द्वारा जिसने दिल्ली में पटपगंज के निकट आचार्य निकेतन नामक कालोनी में दिल्ली के कुछ प्राथमिक अध्यापकों को जाली प्लाट बेच कर छलने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उस कोलोनाइज़र का क्या नाम है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) जी हां ।

(ख) इस कोलोनाइज़र फर्म का नाम मित्तलसन्स प्राइवेट लिमिटेड, आसफ अली रोड, दिल्ली है । इसका प्रबन्धक-संचालक श्री एच० आर० मित्तल हैं ।

(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 420/120- ख के अधीन पुलिस में मामला दर्ज किया गया है ।

मिट्टी के तेल की कमी

1187. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई और जून, 1966 में सारे आसाम राज्य में मिट्टी के तेल की भारी कमी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) :

(क) जी नहीं । मई और जून, 1966 में आसाम में 16,789 किलो लिटर मिट्टी का तेल बेचा गया जबकि 1964 और 1965 के इसी अवधि में क्रमशः 14,831 किलो लिटर तथा 17,563 किलो लिटर तेल बेचा गया था ।

(ख) मामूली कमी के होने के निम्न कारण हो सकते हैं :—

(1) बढ़िया मिट्टी के तेल को तैयार करने वाले डिगबोई शोधनशाला का एक प्लांट 21 अप्रैल से लेकर 17 मई, 1966 तक मरम्मत के लिए बन्द रहा ।

(2) बाढ़ों से रेल-मार्ग में रूकावटों के कारण 17 मई से 25 मई 1966 तक तथा 11 जून से 27 जून 1966 तक लुम्बडिंग और कचार को माल भेजना बिल्कुल बन्द रहा।

शरणार्थियों का दण्डकारण्य के पुनर्वास केन्द्रों को छोड़ कर चले जाना

1188. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य में मलकानगिरी, परेलकोटे, उमरकोटे तथा रायगढ़ में पुनर्वास केन्द्रों को गत मार्च के बाद 1500 से अधिक परिवार छोड़ कर चले गये हैं;

(ख) तो क्या उनके इन केन्द्रों को छोड़ कर चले जाने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मार्च 1966 से जून, 1666 तक 1080 परिवार छोड़ कर चले गये हैं।

(ख) दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन समय समय पर सामान्य जांच करता रहा है।

(ग) परिवारों के चले जाने के निम्नलिखित मुख्य कारण प्रतीत होते हैं :—

(1) परिवारों के अन्य सदस्यों के साथ रहने की इच्छा जो और कहीं रह रहे हैं;

(2) दण्डकारण्य की नई कृषि बस्ती में श्रममय जीवन को छोड़ने की प्रवृति; और

(3) धान की खेती का न होना तथा गतवर्ष की व्यापक अभाव की स्थिति।

डाक सामग्री की कमी

1189. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई तथा जून, 1966 में डाकखानों में (विशेषकर नैनीताल तथा बम्बई में) डाक सामग्री अर्थात लिफाफों, अन्तर्देशीय पत्रों तथा टिकटों की बहुत अधिक कमी रही ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) भविष्य में ऐसी कमी न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) नैनीताल में तथा बम्बई के कुछ डाकघरों में 10 पैसे के अन्तर्देशीय पत्रों की कुछ कमी रही थी। एम्बास लिफाफों, डाक टिकटों आदि की कोई कमी नहीं रही।

(ख) नियंत्रक डाक टिकट, नासिक की क्षमता कम होने के कारण वहां से उपयुक्त सप्लाई नहीं हो सकी।

(ग) अतिरिक्त मशीने खरीदेने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करके अन्तर्देशीय पत्रों, कार्डों आदि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है ।

Arrest of Pakistani National in Delhi

1190. Shri Bade:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Pakistani, named Mukhtar Ali, was arrested in South Avenue, New Delhi as reported in 'Vir Arjun' of the 22nd July, 1966;

(b) if so, since when he was residing here ; and

(c) the action taken against him ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) A Pakistani national named Mumtaz Ali Khan and not Mukhtar Ali was arrested from South Avenue, New Delhi, on 30th June, 1966.

(b) For the last two-three years.

(c) A case under the Foreigners Act, 1946 has been registered against him which is under investigation. He has, however, been released on bail.

सीमा का फिर से पार किया जाना

1191. **श्री दे० जी० नायक : श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छम्ब-जौरियां क्षेत्र के अनेक निवासी, जो भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान चले गये थे, चोरी-छिपे भारत वापस लौट रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी):

(क) छम्ब-जौरियां क्षेत्र में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और बोनस का दिया जाना

1192. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सुरक्षा नियमों को लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव के कारण बहुत सी राज्य सरकारों को अनेक औद्योगिक उपक्रमों के अनेक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और बोनस दिलाने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) ऐसी राज्य सरकारें कितनी हैं और सम्बन्धित औद्योगिक उपक्रमों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) ऐसे मामलों में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस दिलाने के लिये क्या तरीका अपनाने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) से (ग) केवल बंगाल सरकार ने अभ्यावेदन दिया है कि यदि बंगाल में अधिकांश इंजीनियरी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नियमित करने के लिए भारत सुरक्षा नियमों के नियम 126 एए के अन्तर्गत किए गए उनके आदेश लागू नहीं रहते, तो वहां औद्योगिक अशांति होने की सम्भावना है ।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के लाभ जारी रखने के लिए मालिकों के संगठनों के साथ समझौता या संधि, करने के दृष्टिकोण से, यदि सम्भव हो , बातचीत कर रही है ।

इस बीच केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की अंतरिम वृद्धि के सम्बन्ध में सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और सम्बंधित नियोजकों से उन्हें लागू करने के लिए प्रार्थना कर दी गई है । इससे, मालिकों के साथ राज्य सरकार की बात-चीत असफल होने की सूरत में उन द्वारा बताई गई कठिनाई को दूर करने में, उन्हें सहायता मिलने की सम्भावना है ।

English Medium Central Schools

1193. **Shri Kishen Pattnayak: Shri Madhu Limaye:**
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of English Medium Secondary Schools set up in various parts of the country by the Centre (statewise) ;

(b) the extent of the expenditure thereon borne by the Centre ; and

(c) when, where and how the decision for setting up such schools with Central Government's assistance was taken ?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :

(a) to (c) The Central Government have not set up any English Medium Secondary Schools as such in different States.

They have, however, set up Central Schools following the All India Higher Secondary Course of the Central Board of Secondary Education ; examinations in this Course are conducted in Hindi and English media. A statement showing Statewise distribution of these Schools is laid on the Table of the Sabha.

[Placed in the Library. See No. LT-6645/66]

Some of these Schools are preparing students for taking the examinations in Hindi Medium and some in English Medium. The object is to develop both media as soon as feasible.

The entire approved expenditure on Central Schools is borne by the Central Government.

Decision to establish these Schools for eliminating dislocation in the education of children of transferable Central Government employees and other floating population was taken by the Cabinet on the 20th November, 1962.

स्कूलों में तकनीकी शिक्षा

1194. **श्री मा० ल० जाधव :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यमिक (सेकेन्डरी) स्तर पर तकनीकी शिक्षा देने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के लिये और अधिक स्कूल स्थापित करने का है; और

(ग) क्या तकनीकी शिक्षा न होने के कारण शिक्षित वर्गों में बेरोजगारी बढ़ रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री चागला) :

(क) अध्ययन समाप्त करने के बाद लड़कों को उद्योगों में रोजगार तलाश करने के लिये तैयार करने हेतु, भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में अवर तकनीकी स्कूल स्थापित करने की एक योजना लागू की थी। तीसरी आयोजना के अन्त में, देश में ऐसे स्कूलों की संख्या 104 थी और इनमें 6,600 विद्यार्थी पढ़ते थे।

इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रवाह के बहुत से तकनीकी हाई स्कूल और बहूद्देशीय स्कूल हैं, जिनमें स्कूल स्तर तक तकनीकी शिक्षा दी जाती है ।

(ख) आयोजन आयोग ने 14-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिये तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों का, निरीक्षण करने के लिये और इस क्षेत्र के कार्यकलापों में तालमेल रखने के उपायों की सिफारिश करने तथा इस स्तर पर शिक्षा के सात्रिक स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिये, एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की थी। कार्यकारी दल ने अभी तक अपनी शिफरिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है। इसी बीच शिक्षा आयोग ने स्कूल स्तर पर व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का पुनर्गठन करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि अवर सेकेंडरी स्तर पर कुल विद्यार्थियों का लगभग 20 प्रतिशत और कक्षा X के बाद कुल विद्यार्थियों का 50 प्रतिशत अल्पकालिक अथवा पूर्ण-कालिक व्यावहारिक अथवा पेशेवर पाठ्यक्रमों में लग जाने के लिये कुछ उपायों की सिफारिश पर विचार कर रही हैं।

(ग) इस धारा का कार्य निरक्षणात्मक सबूत उपलब्ध नहीं है कि तकनीकी शिक्षा न होने के कारण शिक्षित वर्गों में वेरोजगारी बढ़ रही है।

तूतुक्कुडि में उर्वरक कारखाना

1196. **श्री मुथिया :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में तूतुक्कुडि में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये मैसर्स कोठारी एण्ड संज को दिये गये लाइसेन्स को उनके द्वारा वापस किये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार ने तूतुक्कुडि में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सुझाव पर विचार कर लिया है; और

(ख) क्या सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में तूतुक्कुडि में इस कारखाने को स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :

(**क**) **और** (ख) चौथी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में तूतुक्कुडि में एक उर्वरक सन्यन्त्र लगाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। उर्वरक शिष्टमण्डल ने, जिसने हाल ही में अमरीका और कनाडा का दौरा किया था, एक उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना के लिये अन्य उपलब्ध स्थानों के साथ साथ तूतुक्कुडी के लिए भी मतार्थन किया।

केरल विश्वविद्यालय का डिग्री-पूर्व प्रमाणपत्र

1197. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय के डिग्री पूर्व प्रमाणपत्रों को भारत के सभी अन्य विश्वविद्यालयों ने मान्यता दे रखी है; और

(ख) यदि नहीं, तो किन विश्वविद्यालयों ने इन प्रमाणपत्रों को मान्यता नहीं दी है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) और (ख) केरल विश्वविद्यालय के पूर्व-डिग्री प्रमाण-पत्रों को अभी तक 22 विश्वविद्यालयों ने मान्यता दी है। अन्य विश्वविद्यालयों में से अधिकतर इन प्रमाण-पत्रों को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

दिल्ली के कालेजों द्वारा लिये जाने वाले फण्ड

1198. **श्री जेधे** :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न कालेज अलग-अलग फंडों में अंशदान लेते हैं और एक ही फंड के लिये अंशदान की राशि में अन्तर होता है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सामान्य नियम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक कालेज द्वारा लिये जाने वाले विभिन्न फंडों और उनमें अंशदान की राशि में एकरूपता लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) जी हां। ट्यूशन फीसों को छोड़कर, जो सभी कालेजों में एक जैसी होती हैं।

(ख) और (ग) इस संबन्ध में कोई सामान्य नियम नहीं है। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आग्रह पर, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 10-12-1963 को हुई प्रिंसिपलों की बैठक में ट्यूशन फीसों के अलावा अन्य फीसों के वसूल करने में व्यापक एकरूपता की नीति अपनाने की सम्भावना पर विचार किया था और यह निर्णय किया कि वर्तमान प्रेक्टिस जारी

रह सकती है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये फीसें लाभ अथवा घाटा पूरा करने के लिए लगाई जाती हैं।

पंजाब में सेवा कर्मचारियों का विभाजन

1199. **श्री हेम राज :**　　　　　　**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :　　　　　　**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत, प्रादेशिक, सचिवालय स्तर, जिला स्तर और स्थानीय निकाय स्तर के सेवा कर्मचारियों का पंजाब के तीन राज्यों में विभाजन का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विभाजन और उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये क्या कसौटी और सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) क्या नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) पंजाब में सेवा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इन तीन राज्यों को कितने कितने व्यक्ति मिलेंगे ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) से (घ) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी-6646/66]

पंजाब की आस्तियां तथा दायित्व

1200. **श्री हेम राज :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पंजाब की आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन-कार्य पूरा कर लिया गया हैं ;

(ख) यदि हां, उनको पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मिलने वाले पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों इन तीन एक्कों में किन सिद्धांतों के आधार पर बांटा जायेगा ; और

(ग) क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं। वर्तमान पंजाब राज्य के परिसम्पत तथा दायित्वों के उत्तराधिकारी

राज्यों के बीच बटवारे के ब्यौरे तैयार करने के लिये श्री वी० टी० दहेजिया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। यह समिति शीघ्र ही अपना काम शुरू कर देगी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

संघ राज्य-क्षेत्रों में अपराधों के मामले

1201. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्रों में 7 अप्रैल, 1966 के बाद कितने अपराध हुए; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :

सूचना एकत्रित की जा रही और सभा के पटल पर रख दी जायगी।

राजधानी में सेंधमारी और हत्या के मामले

1202. **धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में गत तीन महीनों में चोरी, हत्या, और हत्या करने तथा छुरा घोंपने की प्रयासों की पृथक पृथक कितनी घटनाएं हुईं; और

(ख) इनमें से कितनी घटनाओं में सरकारी कर्मचारी अपराधी पाए गये अथवा इन घटनाओं का शिकार हुए ?

गृह कार्य मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी-6647/66]

उड़ीसा में डाक सेवाएँ

1203. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1966 के अन्त तक उड़ीसा के कितने गांवों में डाक सेवाओं की व्यवस्था थी; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) उड़ीसा के सभी 46,466 गांवों में डाक सेवा की व्यवस्था है।

(ख) इन गांवों में डाक-वितरण की आवृत्ति के ब्यौरे इस प्रकार हैं—

प्रतिदिन	21,216
सप्ताह में तीन बार	17,671
सप्ताह में दो बार	6,907
सप्ताह में एक बार	672

इस राज्य में 17 प्रधान डाकघरों, 438 विभागीय उप डाकघरों, 34 अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों, एक विभागीय शाखा डाकघर, एक डाक सेवक और 4,211 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों द्वारा डाक-व्यवस्था की जा रही है।

उड़ीसा में बेरोजगार तकनीकी व्यक्ति

1204. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1966 तक उड़ीसा के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने तकनीकी व्यक्तियों के नाम दर्ज थे; और

(ख) जून, 1966 के अन्त तक उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में सहायता की गई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) 5740.

(ख) इस श्रेणी के अधीन नाम लिखाने वालों में से 778 उम्मीदवारों को जनवरी-जून, 1966 के बीच नौकरी दिलाने में सहायता दी गई।

बरौनी उर्वरक कारखाना

1205. **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस के सहयोग से बरौनी में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) :

बरौनी में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए भारतीय उर्वरक निगम को तकनीकी आर्थिक सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Sites for Rehriwalas of Delhi Shahdara

1206. **Shri Brij Raj Singh:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have removed about 2,500 Rehriwalas of the Capital in Shahdara-Delhi without providing them alternative sites ;

(b) whether it is a fact that these Rehriwalas hold licence for the past 18 years;

(c) whether it is also a fact that Government had assured them that they would be provided with alternative sites before being evicted from there ; and

(d) if so, the reasons for their removal now ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) to (b) There are about 2,200 rehriwalas, holding licence from the Delhi Municipal Corporation in Delhi-Shahdara for some years. One of the conditions of the licence is that no obstruction should be caused to traffic. Only such of the licensed **rehriwallas** who obstruct the free flow of traffic are removed and directed to stand their rehris at other suitable places till they are provided alternative sites on a permanent basis by the Delhi Municipal Corporation. The Corporation have decided that licensed rehriwallas should be rehabilitated as close as possible to their place of business in stalls to be constructed at selected sites. As soon as a decision is taken on the size of the stalls, the licensed **rehriwallas** will be shifted to stalls as and when construction is completed in different areas.

आंध्र प्रदेश की सीमाएं

1207. **श्री हु० च० सोय :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उड़ीसा तथा अन्य पड़ौसी राज्यों के साथ लगने वाली अपनी सीमा में फिर से फेर-बदल करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) किस सीमा तक राज्यों के पुनर्गठन की अनुमति दी जा सकती है और उस पर विचार किया जा सकता है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) 1958 में आंध्र प्रदेश विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया जिसमें उड़ीसा के पर्लाकिमिदि तालुक पर दावा किया गया था। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि मामले को दोबारा उठाना ठीक नहीं होगा क्योंकि इस तरह उड़ीसा राज्य द्वारा जवाबी दावे पेश किये जायंगे।

1959 में आंध्र प्रदेश विधान सभा ने एक अन्य संकल्प पारित किया जिसमें होसर तालुक के तेलगु क्षेत्र और सलेम जिले में वन पल्ली जागीर फिरका, मद्रास राज्य के गुद्याति-अम तालुक में और मैसूर राज्य के कोलार जिले में तेलगु ग्रामों पर दावा पेश किया गया था। राज्य सरकार को अगस्त 1959 में सूचित किया गया कि मद्रास राज्य के क्षेत्रों पर उनके दावों पर श्री एच० वी० पाटस्कर ने विचार किया था और रद्द कर दिया था। श्री पाटस्कर को आंध्र प्रदेश और मद्रास के मुख्य मन्त्रियों ने दोनों राज्यों के बीच सीमाओं के समायोजन के लिये नियुक्त किया था। कोलार जिले के बारे में यह कहा गया कि क्योंकि इसके आंध्र प्रदेश, राज्य को हस्तांतरण के प्रश्न का राज्य पुनर्गठन आयोग ने निपटारा कर दिया था, इसलिए

न तो इस मामले को दोबारा उठाना व्यावहारिक ही है और न ही ऐसा करने की जरूरत है ।

(ग) सरकार की सामान्य नीति यह है कि राज्य पुनर्गठन योजना के अधीन निर्धारित क्षेत्रों में कोई भी समायोजन सम्बन्धित पक्षों के समझौते के आधार पर ही होना चाहिये ।

इंजीनियरी उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड

1208. **श्री म० ना० स्वामी** **श्री इम्बीचीबाबा :**

श्री प० कुन्हन : **डा० सारादीश राय :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने इंजीनियरी उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड से अपना नाम वापस ले लिया है ?

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) और (ख) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि उसने अपने प्रतिनिधियों को हिदायत दी थी कि वे, बोर्ड द्वारा सिफ़ारिश की गई अन्तरिम मजूरी वृद्धि को स्वीकार करने में देरी के कारण, 1 जुलाई को बोर्ड की बैठक में भाग न लें ।

(ग) संगठन को मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों से सूचित कर दिया गया है और उसे सलाह दी गई है कि वह मजूरी बोर्ड को काम पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करे ।

Murder in the Capital

1209. **Shri Brij Raj Singh:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a person named Jawahar Lal was murdered in broad day light at the crossing near Lajpat Nagar, New Delhi on the 23rd June, 1966;

(b) whether it is also a fact that the murdered person continued uttering the name of the murderer till his last breath ;

(c) whether the said criminal has not been arrested so far ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) & **(d)** : Four suspects have been arrested and the weapon of offence has also been recovered. The case is under investigation.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में पदोन्नतियां

1210. **श्री लखमू भवानी :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद तथा उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं संस्थाओं के सभी सीनीयर टेकनीकल असिस्टेंटों तथा अन्य अधिकारियों की प्रति पांच वर्ष के बाद उनके अगले पदों पर स्वतः पदोन्नति की जायेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना में जूनियर टेकनीकल असिस्टेंटों तथा अन्य छोटे पदों को शामिल नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) प्रवर वैज्ञानिक सहायकों और वैज्ञानिक 'सी' स्तर के सहायकों को इस विषय पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के उपनियमों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड के लिए आंका जा सकता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) अवर वैज्ञानिक / तकनीकी सहायकों को योग्यता मूल्यांकन योजना में लेने का प्रश्न विचाराधीन है । इस योजना में अन्य नीचे पदों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । यह योजना केवल उन्हीं की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए है जो वैज्ञानिक कार्य में लगे हैं और अवर वैज्ञानिक सहायक इस दर्जे में सबसे नीचे हैं ।

हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं का विकास

1211. **श्री लखमू भवानी :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए कितनी राशि मन्जूर की है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :

संघ की राज भाषा हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए वर्तमान वर्ष के बजट में कुल 90.13 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । अन्य भाषाओं के विकास के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

पंजाब हरियाना और हिमाचल प्रदेश के बीच समन्वयात्मक सम्पर्क

1212. **श्री हेमराज :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब हरियाना और हिमाचल प्रदेश के बीच कोई समन्वयात्मक सम्पर्क बनाये रखने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मामलों में और क्या इन मामलों की कोई सूची तैयार कर

ली गई है और क्या सरकार को इस बारे में पंजाब के राजपाल से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश के बीच कोई समन्वयात्मक सम्पर्क बनाये रखने के प्रश्न की जाँच की जा रही है। किन्तु इस बारे में अभी तक पंजाब के राज्यपाल से कोई पत्र-व्यवहार प्राप्त नहीं हुआ।

आसनसोल (पश्चिमी बंगाल) के डाकघरों में सफाई की दशा

1213. **डा० रानेन सेन :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल के डाक व तार घरों में हाल ही में उपस्थिति बहुत कम थी ; क्योंकि उन कार्यालयों में सफाई की व्यवस्था खराब होने के कारण बहुत लोग बीमार हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन डाक-तार कार्यालयों में सफाई की व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अर्थ सम्बन्धी अपराध

1214. **डा० रानेन सेन :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थ सम्बन्धी अपराधों की शीघ्र सुनवाई तथा जांच के लिए सरकार कुछ उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी**--6648/66]

भारत में पाकिस्तानी लोग

1215. **श्री जसवन्त मेहता :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद के प्रमुख दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक हजार पाकिस्तानी नागरिक जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आये थे, लापता हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन समाचारों की जांच करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) गुजरात में पाकिस्तानी नागरिकों की नवीनतम स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

हल्के डीज़ल तेल की सप्लाई

1216. **श्री जसवन्त मेहता :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून और जुलाई, 1966 में विभिन्न राज्यों को हल्के डीजल तेल की कितनी सप्लाई की गई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन):

महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों को जून और 24 जुलाई 1966 तक की गई लाईट डीजल तेल की सप्लाई निम्नलिखित है :—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

राज्य	जून में की गई सप्लाई	1 से 24 जुलाई 1966 तक की गई सप्लाई
महाराष्ट्र	11,848	9,928
गुजरात	14,217	6,832
राजस्थान	3,970	2,962

अन्य राज्यों को की गई लाईट डीज़ल तेल की सप्लाई के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रखी जायगी।

दिल्ली-नैनीताल टेलीफोन लाइन

1217. **श्री कृ० चं० पन्त :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नैनीताल के बीच टेलीफोन लाइन प्रायः खराब रहती है ;

(ख) क्या नैनीताल को दिल्ली से मिलाने वाली टेलीफोन लाइन केवल एक ही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली और नैनीताल के बीच दूसरी टेलीफोन लाइन बिछाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) दिल्ली और नैनीताल के बीच की टेलीफोन लाइन के कार्यसंचालन की औसत मासिक कुशलता जनवरी, 1966 से जून, 1966 (मई 1966 को छोड़कर) की अवधि के दौरान 63 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक रही। मई महीने के दौरान परिपथ की कुशलता तूफानी मौसम के कारण लाइनों में निरन्तर गड़बड़ी रहने के फलस्वरूप 53 प्रतिशत ही रही।

(ख) जी हां।

(ग) फिलहाल नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिये ईरान से अशोधित तेल का आयात

1218. **श्री लखमू भवानी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तेल शोधक कारखाने में साफ करने के लिये ईरान से 28,000 टन अशोधित तेल मंगाया गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में कुछ और अशोधित तेल आने की आशा है ; और

(ग) इसका भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रेषण की तारीख से 120 दिन के अन्दर अमरीकी डालरों में भुगतान किया जाता है।

पंजाब प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1219. **श्री गुलशन :** **श्री प० ह० भील :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब प्रशासनिक सुधार आयोग ने हाल में सिफारिश की है कि पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भंग कर दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस बोर्ड के पास कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं ; और

(घ) हाल के महीनों में इस बोर्ड द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों के उम्मीदवारों का क्या होगा तथा क्या उनके द्वारा दी गई फीस उन्हें वापस कर दी जायेगी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

1220. **श्री गुलशन : श्री प० हु० भील :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य का पुनर्गठन होने तक कर्मचारियों की भर्ती के लिए नये नियम लागू किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) पंजाब सरकार ने अपने विभागाध्यक्षों को आदेश दिये हैं कि नये पदों के लिए चाहे वे फिलहाल हों या इसके बाद बने, भरती शुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर होनी चाहिए और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को यह बता दिया जाना चाहिये कि हो सकता है 30 सितम्बर 1966 के बाद उनकी सेवाओं की आवश्यकता न रहे।

हाई स्पीड डीजल तेल का उत्पादन

1222. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में कितना हाई स्पीड डीज़ल तेल देश में निकाला गया तथा कितना तेल विदेशों से मंगवाया गया ; और

(ख) किन-किन देशों से इसका आयात किया गया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) :

(क) भारत प्रतिरक्षा नियमावली के आधीन लगाई पाबन्दियों को ध्यान में रखते हुये सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ख) हाई स्पीड डीज़ल तेल की कमी को रूस, इटली, ईरान और बहरीन से की गई आयातों से पूरा किया गया।

बोइलेवगंज डाकघर, आगरा

1223. **श्री काजरोलकर :**

क्या संचार मन्त्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 5295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में बोइलेवगंज डाकघर में हुए गबन की राशि 70 हजार रुपये से अधिक हो गई है ;

(ख) जिन जमाकर्त्ताओं के खाते में से गबन हुआ है क्या उनमें से कुछ लोगों ने अपना धन वापिस लेने की मांग की थी परन्तु उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई थी ;

(ग) क्या अब उस धन को वापिस देने के बारे में सरकार विचार कर रही है ; और

(घ) इस षडयन्त्र में जिन लोगों का हाथ है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं। बोइलेवगंज डाकघर में हुए गबन की कुल राशि का जो अब तक पता चला है, वह लगभग 30,000 रुपये है।

(ख) तथा (ग) इसमें जिन जमाकर्त्ताओं के बचत बैंक लेखाओं की राशि फंसी है, उन्होंने अपनी राशि का निपटान करने के लिए मांग की थी और उन्हें यह सूचित कर दिया गया है कि उनकी मांग पर जांच-पड़ताल खत्म होने पर विचार किया जाएगा।

(घ) पुलिस ने उप-डाकपाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसे मुअत्तिल कर दिया गया है। इस गबन के लिए केवल यही कर्मचारी जिम्मेवार है।

Payment of Advance Increments

1224. Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 54 on the 18th November, 1964 and state :

(a) the average number of months taken after the declaration of the result of Pragya examination to grant the advance increments and prizes for obtaining high marks to non Hindi-knowing Government employees ;

(b) the percentage of cases in which the prescribed increments and prizes were given after more than three months ; and

(c) the measures adopted or proposed to be adopted to avoid such delays ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidyacharn Shukla) :

The information regarding cash prizes is given below :—

(a) 7 months from the date of declaration of the results and 4 months from the receipts of the merit lists ;

(b) In all cases.

(c) Instructions have now been issued to finalize award lists in future within three months of the announcement of the results.

Information regarding grant of advance increments is being collected from various Ministries and will be laid on the table of the House.

Hindi Teleprinters

1225. **Shri Jagdev Singh Siddhanti:**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Hindi teleprinters with the Posts and Telegraphs Department in the country at present ;

(b) the number out of them being used regularly for sending Hindi telegrams ; and

(c) the reasons for keeping such teleprinters which are at present not being used regularly ?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jaganath Rao) :

(a) 72.

(b) Excepting a few teleprinters kept at different centres and worked during sudden rise in the number of Hindi telegrams, none is used regularly in any telegraph office on account of meagre volume of Hindi traffic.

(c) So far, 38 teleprinters have been allotted to Government and Press parties to be worked on telegraph circuits leased to them. The balance of 34 Teleprinter machines are fully used for training and maintenance purposes and also on special occasions.

Chinese and Pak Spies

1207. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri Raghunath Singh:**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a large number of Chinese and Pakistani spies have infiltrated into the Eastern States of India ;

(b) whether some persons have also been arrested in connection with the anti-Indian activities there ; and

(c) if so, whether secret clue and information has been obtained from them ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) No, Sir.

(b) Some persons have been arrested on suspicion of being involved in espionage activities for Pakistan and China.

(c) It would not be in the public interest to disclose this information on the floor of the House.

नेफा में ईसाई धर्म प्रचारक

1227. **श्री जसवन्त मेहता :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से ईसाई धर्म प्रचारक नेफा में आदिम जातियों के बीच काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे धर्म प्रचारक कितने हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि नेफा में आदिम जातियों के बीच काम करने के लिए माइकल स्काट वापिस आ रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

"शान्ति दूत" नामक समाचार पत्र का प्रकाशन

1228. **श्री बड़े :**　　　　　　　　　　**श्री बृजराज सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांस्कृतिक सम्बन्धों के लिये भारतीय परिषद ने सूरीनाम से "शान्ति दूत" नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके उद्देश्य तथा प्रयोजन क्या हैं और उसके सम्पादक का क्या नाम है;

(ग) इसके प्रकाशन के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मन्जूर की गई हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि सूरीनाम में भारतीय आयुक्त ने उक्त समाचारपत्र के प्रकाशन पर आपत्ति की है और यदि हाँ, तो उसने क्या आपत्ति की है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : "शाति दूत" पत्रिका सांस्कृतिक सम्बन्धों के लिए भारतीय परिषद ने प्रकाशित नहीं की है, बल्कि इसे सूरीनाम की भारतीय सांस्कृतिक समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों की एक स्वयंसेवी गैर-सरकारी संगठन है।

(ख) इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के दर्शन का प्रचार करना तथा सूरीनाम में हिन्दी भाषा को बढ़ावा देना है। सम्पादक बोर्ड में सूरीनाम सरकार का शैक्षिक सलाहकार, एक स्थानीय नागरिक—मालवी जग्गु तथा सूरीनाम में सांस्कृतिक सम्बन्धों के लिये भारतीय परिषद के अध्यापक श्री महातम सिंह सम्मिलित हैं।

(ग) संस्कृतिक सम्बन्धों के लिये भारतीय परिषद इस पर कोई खर्च नहीं करती है।

(घ) जी नहीं, इसके विपरीत उच्चायुक्त यह अनुभव करता है कि इस पत्रिका से लाभकारी प्रयोजन सिद्ध होते हैं।

केरल में एस० एस० एल० सी० परीक्षाएं

1229. **श्री मुहम्मद कोया :**　　　　　　　　　　**श्री मे० क० कुमारन :**

श्री अ० व० राघवन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में केरल राज्य में एस० एस० एल० सी० परीक्षा में कितने छात्र बैठे और कितने छात्र परीक्षा में सफल हुए;

(ख) क्या असफल छात्रों की संख्या काफी अधिक है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) केरल राज्य में 1966 वर्ष में एस० एस० एल० सी० परीक्षा में 1,73,805 विद्यार्थी बैठे थे और उनमें से 64,835 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।

(ख) जी हाँ।

(ग) इन असफलताओं का मुख्य कारण व्यापक शिक्षा का असर और शिक्षा की कोटि में सुधार के बिना उसकी संख्या का विस्तार है।

जयपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

1230. **श्री राम हरख यादव :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में एक नया स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का सरकार का विचार है ताकि अन्य शहरों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह एक्सचेंज कब से चालू हो जायगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जयपुर में भारत के अन्य शहरों के साथ सीधे सम्बन्ध की सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार जयपुर का सम्बन्ध केवल दिल्ली के साथ ही नहीं वल्कि अन्य महत्वपूर्ण शहरों के साथ भी हो जायगा। इस उद्देश्य से जयपुर स्थित टेलीफोन केन्द्र का सम्बन्ध दिल्ली में स्थापित किये जाने वाले क्रासवार ढंग के एक ट्रंक स्वचल केन्द्र से जोड़ दिया जाएगा। अन्दरुनी तौर पर काम करने के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योगशाला से प्राप्त हुआ उपस्कर जयपुर में लगाया जाएगा।

(ख) दिल्ली के ट्रंक स्वचल केन्द्र की स्थापना का कार्य अभी जारी है। इस प्रायोजना पर कुल 50.84 लाख रुपये की लागत आएगी।

(ग) दिल्ली के ट्रंक स्वचल केन्द्र के साथ जयपुर के अतिरिक्त जिन दूसरे शहरो का सम्बन्ध जोड़ा जाएगा उनके नाम हैं—आगरा, जालन्धर और श्रीनगर। बाद में अन्य शहरों का सम्बन्ध जोड़ने की दिशा में भी तेजी से प्रगति की जाएगी। दिल्ली ट्रंक स्वचल केन्द्र का सम्बन्ध मद्रास और बम्बई के साथ तथा इन केन्द्रों के माध्यम से उन क्षेत्रों के अन्य स्थानों के साथ भी जोड़ा जाएगा। क्रमश: इन ट्रंक स्वचल केन्द्रों तथा अन्य केन्द्रो के साथ बहुत से शहरों

का सम्बन्ध जोड़ दिया जाएगा जिससे किसी भी एक शहर का किसी भी दूसरे शहर के साथ सीधा सम्बन्ध हो सकेगा।

(घ) आशा है कि दिल्ली का ट्रंक स्वचल केन्द्र 1967 में काम करना आरम्भ कर देगा। मद्रास तथा बम्बई के ट्रंक स्वचल केन्द्र भी अगले वर्ष के मध्य में खुल जाएगा।

विदेशों में स्थापित किये गये भारतीय अध्ययन-पीठ

1231. **श्री बड़े :** **श्री बृजराज सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने विदेशों में कितने भारतीय अध्ययन-पीठ स्थापित किये;

(ख) उक्त अवधि में कितने पीठ बन्द किये गये अथवा रिक्त रहे और उसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि में कितने और कौन-कौन से अध्यापक नियुक्त किये गये और उनके वेतन, कार्यालय के रख रखाव तथा यात्रा भत्तों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मन्जूर की गई; और

(घ) क्या इस परिषद् ने अफ़्रीकी देशों के लिये एक अतिथि प्राध्यापक नियुक्त किया है जिसका मुख्यालय मोरक्को में है और यदि हां, तो उसका मुख्य कार्य क्या है और उसके काम में कितनी प्रगति हुई है तथा परिषद् ने उस पर कितना खर्च किया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पाँच। (ख) दो। कम्बोडिया में बुद्ध विश्वविद्यालय में एक अध्ययन-पीठ बन्द कर दिया गया, क्योंकि कम्बोडिया सरकार को भारत से संस्कृत के अध्यापक की सेवाओं की और अधिक समय के लिये आवश्यकता नहीं थी।

तेहरान विश्वविद्यालय में एक अध्ययन पीठ रिक्त रहा, क्योंकि आयातकाल के कारण 1962 में यह निर्णय किया गया कि इस पद को रिक्त रखा जाय। बाद में चमन किया गया प्रोफेसर अपने पद पर नहीं जा सका। अब एक योग्य आदमी को नियुक्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) गत पांच वर्षों में परिषद ने 3 प्राध्यापक नियुक्त किये थे, जो इस प्रकार है :— गियाना के लिये श्री देवदत्त विद्यार्थी, ट्रिनिडाड के लिये श्रीमती कलकर और सूरीनाम के लिए महातम सिंह। इस अवधि में उनके वेतन, कार्यालय के रखरखाव तथा यात्रा भत्तों आदि के लिये 82,000 रुपये की विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी।

(घ) हाल में परिषद् का अफ़्रीकी देशों के लिये कोई अतिथि प्राध्यापक नहीं है, जिसका मुख्यालय मोरक्को में हो।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPOR TANCE

लगभग 400 नागा और मिजो विद्रोहियों का सैनिक प्रशिक्षण के लिए पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाना

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I call the attention of the Defence Minister to the following matter of urgent Public importance and request him to his statement to that effect :—

"Movement of about 400 Naga and Mizo Hostiles towards East Pakistan for Military training."

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : यह बात ठीक है कि दो दल, जिनकी संख्या शक्ति का अनुदान लगभग 350 है, तमेंगलांग सब डिवीजन को पार करते और मिजो पर्वतीय ज़िलें में पूर्वी पाकिस्तान की ओर, और आगे बढ़ते देखे गये। सम्भवत: वे वहाँ सैनिक सहायता प्राप्त करने और उस देश से प्रशिक्षण प्राप्त करने के विचार से वहाँ जा रहे थे।

उन पर पूरी नजर रखी जा रही है और उन्हें रोकने के लिए जो सम्भव कार्यवाही हो सकती है वह की जा रही है। इससे आगे और कुछ विस्तार से कह पाना सम्भव नहीं और वह लोकहित में नहीं होगा।

Shri Madhu Limaye : Whenever we draw the attention of our Government towards Pakhtoonisthan and East Bengal Revolt, we are shown immediately the Tashkant Agreement. It is stated that we should not interfere in the internal matters of Pakistan. But we see that Pakistan is openly helping our rebels. Government have so far done nothing in this connection. I want to know that in view of all what the Pakistan is doing, will it be possible for the Government not to create hinderances in the ways of those who will help Pakhtoonisthan movement and the East Bengal revolt.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम इन लोगों की गति विधियों पर पूरी जागरूकता से नजर रख रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether our Government have written to the Government of Pakistan regarding this.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : अभी तो हम चौकसी कर रहे हैं परन्तु अन्ततोगत्वा तो पाकिस्तान से बातचीत करनी ही होगी। उनकी कार्यवाहियों को रोकने के लिए भी जो कुछ अपने से सम्भव है किया जा रहा है।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : यह बात तो सिद्ध हो ही गई है कि पाकिस्तान नागाओं और मिजो विद्रोही तत्वों की सहायता कर रहा है। क्या इस तथ्य की ओर रूस का ध्यान दिलाया गया है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : ऐसी बातों की ओर रूस का ध्यान तो आकृष्ट करवाया ही जाता है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : यह प्रथम बार नहीं कि पाकिस्तान ने नागाओं और मिजो विद्रोहियों का साथ दिया हो । ये लोग तो पाकिस्तान जा कर शस्त्र भी लाते रहे हैं। पाकिस्तान इन विद्रोही तत्वों की पूरी सहायता कर रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कागज़ी विरोध पत्र देने के स्थान पर पाकिस्तान को कहती कि यदि वे बाज न आये तो भारतीय सेनायें पूर्वी पाकिस्तान की ओर मार्च कर देगी ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमें तनिक जुम्मेदारी से काम लेना होता है । वैसे हम इस दिशा में बहुत जागरुक है ।

श्री हेम बरुआ : इस जागरुकता के बावजूद, नागा विद्रोहियों को रोकने में मन्त्री महोदय सफल नहीं हुए हैं । वे लोग पाकिस्तान जा रहे हैं ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : वैसे तो हम रोकते ही है परन्तु वे कभी-कभी निकल जाते हैं और आगे के लिए हम अपनी व्यवस्था और मजबूत कर रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the net result of this Tashkant agreement. Whether Government are going to give it and be alert to meet Pakistan with suitable action?

Shri Y. B. Chavan : We shall check Nagas from going to Pakistan, but we will not close our doors talk with Pakistan.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या सरकार के पास यह मोटे तौर पर इसकी सूचना है कि कितनी बार मिजो और नागा लोग भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान गये हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : लगभग 350 लोग पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेते रहे हैं और वही उन्हें शस्त्र इत्यादि दे रहा है । और उनका कोई साधन नहीं है । वैसे हम इन लोगों पर नियन्त्रण रखनें का पूरा प्रयास कर रहे हैं । सीमा को बन्द करो, कहना सरल है परन्तु करने के रास्ते में कई एक असली कठिनाइयाँ है ।

Shri Vishwanath Pandey : It appears from the statements of the Defence Minister that Government have not been able to keep complete check on the Nagas, inspite of their vigilance. Whether Government are thinking of sealing the border.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने कहा है कि इस बात के राह में कुछ असली कठिनाइयाँ है ।

ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में

RE. CALLING ATTENTION NOTICE

प्रश्न

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने श्री याज्ञिक की गिरफतारी के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिये गये ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में कोई निर्णय किया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे शाम को 5 बजे लिया जायेगा । मन्त्री महोदय को उसके उत्तर के लिए कह दिया गया है । और किसी भी अन्य नोटिस के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) प्रौद्योगिकी संस्था अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर, के 1964–65 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[**पुस्तकालय में रखा गया देखिए। संख्या एलटी**-6622/66]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास, के 1964--65 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[**पुस्तकालय में रखे गये देखिए। संख्या एलटी**-6623/66]

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था नई दिल्ली के 1964–65 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[**पुस्तकालय में रखी गयी देखिए। संख्या एलटी**-6624/66]

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर, के 1963--64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

[**पुस्तकालय में रखी गयी देखिए। संख्या एलटी**-6625/66]

इंजीनियरी उद्योगों के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें :

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-4 (4)/66 दिनांक 23 जुलाई, 1966 की एक प्रति जिसके द्वारा इंजीनियरी उद्योगों को अन्तरिम सहायता दिये जाने के लिये केन्द्रीय मज़ूरी बोर्ड की सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा की गई।

[**पुस्तकालय में रखी गयी देखिए। संख्या एलटी**-6626/66]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619--क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत रिहेबिलिटेशन इन्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, के 1964--65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ।

[**पुस्तकालय में रखे गये देखिए। संख्या एलटी**-6628/66]

भारतीय तार यन्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें :

संचार तथा संसद कार्य मन्त्री (श्री भक्त नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूँ।

(3) भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत

भारतीय तार यंत्र (पहला संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 15 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 957 में प्रकाशित हुये थे।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए । संख्या एलटी-6627/66]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें :

पैट्रोलियम रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 23 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1005 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 27 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1055 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) चौथा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 15 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1124 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिए । संख्या एलटी-6629/66]

संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत अधिसूचनायें :

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) संविधान से अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, 1966, जो दिनांक 18 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1944 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिए । संख्या एलटी-6630/66]

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मद्य-निषेध अधिनियम, 1950 की धारा 62 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 51/66 जो दिनांक 22 फरवारी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भेषजीय तथा शृंगार की

वस्तुओं के, जिनमें ऐलकोहल तथा मादक औषधियों वाले आसव और आरिष्ट शामिल हैं, दुरुपयोग को रोकने तथा उनके आयात, निर्यात तथा परिवहन सम्बन्धी नियमों में एक संशोधन किया गया।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 52/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 53/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 54/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) एस० आर० ओ० संख्या 55/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) एस० आर० ओ० संख्या 56/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल विकृतिकृत स्पिरिट तथा मेथाइल ऐलकोहल नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया।

(सात) एस० आर० ओ० संख्या 57/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल परिशोधित स्पिरिट नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया।

(आठ) एस० आर० ओ० संख्या 58/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल लिकर परमिट (व्यक्तिगत उपयोग) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया।

(नौ) एस० आर० ओ० संख्या 59/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) एस० आर० ओ० संख्या 60/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) एस० आर० ओ० संख्या 61/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल होटल विशेष लिकर लाइसेंस नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया।

(बारह) एस० आर० ओ० संख्या 62/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल सांस्कारिक मदिरा (सेक्रामेंटल वाईन) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया।

(तेरह) एस० आर० ओ० संख्या 63/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल आसुत पाकशाला वातित

जल (स्पिरिचुअस कलिनरी एयरेटिड वाटर) तथा अन्य वासक सार, अर्क, गन्धद्रव्य और रंजकद्रव्य नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया।

(चौदह) एस० आर० ओ० संख्या 64/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मीठी ताड़ी नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया।

(पन्द्रह) एस० आर० ओ० संख्या 65/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सोलह) एस० आर० ओ० संख्या 66/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल वार्निश नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया।

(सत्रह) एस० आर० ओ० संख्या 67/66 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल सिरका निर्माणशालाएं (संस्थापन, कार्यचालन तथा देखभाल) नियम, 1965 में एक संशोधन किया गया।

(अठारह) एस० आर० ओ० संख्या 93/66 जो दिनांक 1 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मीठी ताड़ी नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये।

(उन्नीस) एस० आर० ओ० संख्या 114/66 जो दिनांक 11 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल होटल विशेष लिकर लाइसेंस नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये।

(बीस) एस० आर० ओ० संख्या 115/66 जो दिनांक 11 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल लिकर परमिट (व्यक्तिगत उपभोग) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी०-6631/66]

(इक्कीस) एस० आर० ओ० संख्या 209/66 जो दिनांक 31 मई 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल विकृतिकृत स्पिरिट तथा मेथाइल ऐलकोहल नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया।

ऊपर की मद संख्या (8) की (एक) से (बीस) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी०-6632/66]

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूँ।

(i) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (पहला संशोधन) आदेश, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 11 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1783 में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एलटी-6633/66]

(ii) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, के 1963-64 और 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एलटी-6634/66]

अनुदान की अनुपूरक मागों (सामान्य)

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

1966-67 के बजट (सामान्य) के सम्बन्धी अनुपूरक लोगों को दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूँ ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

91वां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मे गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 91वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का बन्द होना

CLOSURE OF BANARAS HINDU UNIVERSITY

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : At the time when Banaras Hindu University-Bill was introduced I drew the attention of the Minister towards the fact something should be done to all the students to form their union, It is very necessary in order that their discontentment may come to an end.

श्री मु० क० चागला : मैं मानता हूँ कि संघ के बारे में भी उनकी मांग थी परन्तु वह मुख्य मांग नहीं थी । उनकी मुख्य मांगें अनुग्रह अंकों और अनुपूरक परीक्षा के सम्बन्ध में थीं । जहां तक मुझे पता है श्री भगवती, उपकुलपति का पद छोड़ने से पहले, संघ स्थापित करने से सहमत हो गये थे, परन्तु जैसा कि मैंने बताया वास्तव में यह विवाद का विषय नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : If the students are allowed to form a union they will be able to put their demands before the authorities in an authentic manner.

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूँ कि ऐसी बात करना बहुत गलत है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मैं प्रतिपक्षी सदस्यों से विनती करता हूँ कि वे शांत बैठें । उनकी बारी आ सकती है ।

Shri Madhu Limaye : Since this item was not on the order paper, they did not know.

Mr. Speaker : Alright, it can be taken up later after it has been circulated today.

श्री उ० मू० द्विवेदी (मंदसौर) : मै आपको यह बताने में हर्ष अनुभव कर रहा हूँ कि जसपुर के श्री विजय भूषण सिंह मेरे दल में शामिल हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ।

मन्त्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव (जारी)

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS (CONTD.)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा 1 अगस्त, 1966 को प्रस्तुत किये गये। निम्न प्रस्ताव पर अग्रेत्तर विचार करेगी, अर्थात :—

"यह सभा मन्त्रि परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

Shri R. S. Pandey (Guna) : The people fully know the capacity of the Congress to take correct decisions. Even if we made any mistakes we had an introspection and rectified them and ultimately we won the confidence of the people. Now, the decision to devalue the rupee has been taken to bring about the welfare of our people. This is in keeping with our policy of peaceful co-existence. We want to bring rapid development to our country. Even a country like Soviet Russia having a regimented economy has to depend upon foreign aid. There the motors are being manufactured with the collaboration of an Italian firm. The East European Countries are putting up factories with each others collaboration. But here they say that we have devalued our currency under pressure from America. We cannot be pressurised by America or by any other country. There is no denying the fact that we have taken aid both from America and Russia; but there is no harm in that, because we want to bring about development in the country by mutual collaboration. If the opposition Members say that they do not want foreign capital, they should also make it clear to the people that without foreign aid there will not be any development, there will be no electricity, plans, projects, dams, schools, colleges etc.

The present shortage of food is mainly due to the failure of monsoon during the last two years. We were attacked by China and Pakistan and we had to spend Rs. 1000 crores on our defence insteated of Rs. 400 crores. Had our pro-China friends asked China not to attack us, we had not to spend so excessively on our defence.

Shri Ranga advocated for an all-party national Government. On the other hand his senior Shri Rajgopalachari considers communists to be their enemy No. 1. So how will it be possible for them to work with the communists.

About Vietnam Shri Mukerjee said "Your named, my name, Vietnam, vietnam." Did his colleagues ever say "Your name, my name, India, India?" Their strings are pulled from some other places.

Our party and our Government realises fully well the shortage in food and industrial production this year and that is due to the failure of monsoons and the hostilities.

Because of the fall in production within the country, we have had to devalue our rupee for the import of components and raw materials to increase our industrial production. After this whatever follow-up action is considered necessary will be taken for the development and economy of our country.

As regards rise in prices, we also feel concerned about it. I think apart from Super Bazar we will have to open thousands of other shops and mobile shops as in other countries. I urge upon the Government to take stringent action against the hoarders of essential commodities.

W are thankful to America for supplying us foodgrains in our time of need. We are also thankful to U. S. S. R. and other countries for their collaboration in our planned development. We remember, when we were not independent, 23 lakhs people died a miserable death in Bengal. It is a creditable thing for our Government and for our Food Minister that the country was saved from a disaster.

रेलवे मन्त्री (श्री स० का० पाटिल): श्रीमन, पिछले दो दिनों से मैं माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। यद्यपि 10 प्रतिशत भाषणों में अवमूल्यन में प्रश्न को उठाया गया है किन्तु किसी भी माननीय सदस्य ने इसके बारे में कोई वैकल्पिक उपाय, वैकल्पिक योजना या अनुवर्ती कार्यवाही का सुझाव नहीं दिया है। प्रतिपक्षी सदस्यों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अपने दावों को सामने रखने के लिये प्रत्येक स्थिति से राजनैतिक लाभ उठाना ही एक चाल नहीं है। इन भाषणों में मैं राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख पाता हूं।

श्री ही० ना० मुकर्जी के मन में विपित नाम सर्वोच्च स्थान पाये हुये हैं। यदि वियत नाम के मामले में कुछ किया गया होता तो उन्हें अवमूल्यन भी स्वीकार हो जाता। हमारे अस्तित्व के लिये वियतनाम ही सब कुछ नहीं है। वियतनाम के सम्बन्ध में हमारी नीति हमारी तटस्थनी की नीति के पूर्णतया अनुरुप हैं। हमने इस मामले में किसी का पत्र नहीं लिया है। उस क्षेत्र में हमारी कुछ खास जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करने के लिये हम तैयार हैं। प्रधान मन्त्री ने इस जिम्मेदारी के प्रति जागरुकता के परिणामस्वरूप ही सभी से यह अपील की है कि जेनेवा के ढंग का एक सम्मेलन बुलाया जाये। हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते। यह हमारे प्रधान मन्त्री का दोष नहीं है यदि अपनी पृथक विचार धारा रखने वाले अन्य देश इस बात पर सहमत नहीं हुए कि शांतिपूर्ण वातावरण में समस्या पर चर्चा करने के लिये एक सम्मेलन बुलाया जाये।

अवमूल्यन को केवल राजनीतिक दृष्टि कोण से ही नहीं देखना चाहिये। प्रश्न यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या इसके बिना काम चल सकता था, क्या इसे कुछ और समय के लिए स्थगित किया जा सकता था और क्या इसके लिये और कोई विकल्प था। अपनी तीन पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने की अवधि में हमने हजारों करोड़ों रुपये की बहुत बड़ी सहायता विदेशों से ली है। हमें इस ऋण का भुगतान सूद समेत करना है, जिन संस्थाओं को विदेशी सहायता से शुरू किया गया है उनको चालू रखना है और उनके लिये कच्चा माल मंगाते रहना है। जादू के डंडे से यह सब कर लेना संभव नहीं है। यदि अपनी योजनाओं के कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं तो इस ऋणों और उनके ब्याज भी अदायगी नहीं कर पायेंगे और वह बेयमानी का रवैया होगा।

कभी कभी यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि क्या चीन या रूस को विदेशी मुद्रा के संबंध में कोई कठिनाई है। चीन को विदेशी मुद्रा पर निर्भर नहीं करना पड़ता। उनकी पद्धति बिलकुल भिन्न है जब चीन को कोई वस्तु आयात करनी पड़ती है तो या तो वह बदले में सोना दे देता है या वस्तु के बदले में वस्तु। उसको इस प्रकार के ऋण नहीं लेने पड़ते। रूस एक विकसित देश है, इसलिए उसको यह कठिनाई नहीं हो सकती।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की भी आलोचना की गई है । वे दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है । वे किसी एक या दूसरी विचारधारा को प्रोत्साहन नहीं देते हैं । विभिन्न देशों में प्रचलित मुद्राओं पर निरीक्षण रखने के अपने कर्तव्य के अधीन यदि उन्होंने स्वतन्त्र रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय रुपया अंकित मूल्य का लगभग 75 प्रतिशत रह गया है तो यह उनका कर्तव्य था । इस मामले में वे प्रत्येक देश को सलाह देते हैं ।

जब से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की स्थापना हुई है तब से इस प्रकार की सलाह 10 से 12 देशों को दी जा चुकी है । अवमूल्यन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे यहाँ ही हुई हो और अन्यत्र कहीं न हुई हो । पिछले युद्ध की समाप्ति के बाद अब तक नौ या दस देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है । उनमें से कुछ देश सफल हुए और कुछ असफल हुए । अतः प्रश्न यह है कि अब अवमूल्यन के बाद क्या कार्यवाही करनी है ।

इस वर्ष जो ऋण लौटाया जाना है उसके बारे में आँकड़े तो मेरे पास हैं परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि मैं यह आंकड़े बताकर आपका समय बरबाद करूं । स्पष्ट है कि हमने किसी प्रकार से यह रकम लौटानी है । परन्तु कच्चा माल न होने के कारण हमारी औद्योगिक क्षमता भी धीरे-धीरे कम होती जा रही थी और इसलिये हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपनी औद्योगिक क्षमता बढ़ायें । अतः रुपये के अवमूल्यन के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था । इन परिस्थितियों में हमें रुपये का अवमूल्यन करने का निर्णय करना पड़ा । कुछ लोगों का विचार है कि यह निर्णय सामान्य निर्वाचनों के पश्चात किया जाना चाहिये था । मेरे विचार में एक चीज जो लोकहित में हो, उसे न करना कोई उचित बात नहीं थी क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों को कोई धोखा दिया जाय । हम तो अवमूल्यन के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमें पूर्ण आशा है कि जनता अपना मत हमारे पक्ष में देगी क्योंकि वे जानते हैं कि यह जो कदम उठाया गया है वह सार्वजनिक हित में था ।

यह एक बहुत ही कठिन निर्णय था और इसलिए प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिमंडल को यह निर्णय करना पड़ा । यह कहना ठीक नहीं है कि इस निर्णय की जिम्मेदारी प्रधान मन्त्री अथवा कुछ मंत्रियों पर है । यह निर्णय सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल का निर्णय है और यह निर्णय उसी प्रकार से किया गया था जिस प्रकार अन्य निर्णय किये जाते हैं । विभिन्न विशेषज्ञों की राय लेने के पश्चात इस मामले पर मन्त्रिमण्डल में विचार किया गया और इस प्रकार जब समझा गया कि अवमूल्य अपरिहार्य है तो सार्वजनिक हित में हमें यह निर्णय करना पड़ा । अतः इसकी जिम्मेदारी किसी एक मंत्री, कुछ मन्त्रियों अथवा प्रधान मन्त्री पर नहीं डाली जा सकती है । इसके लिये सारा मन्त्रिमण्डल जिम्मेदार है । प्रश्न किया गया है कि वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री ऐसा क्यों कहते रहे कि वे रुपये का अवमूल्यन नहीं करेंगे । कोई भी मन्त्री इतना मूर्ख नहीं होगा जो वास्तव में अवमूल्यन करने से पूर्व यह कहे कि अवमूल्यन किया जा रहा है । ऐसी बातों की घोषणा पहले नहीं की जाती । ऐसे मामलों में प्रतिपक्षी दलों अथवा कांग्रेस दल की कार्यपालिका को भी विश्वास में नहीं लिया जा सकता था । क्योंकि यदि हम यह सब कुछ पहले ही प्रकट कर देते तो इससे देश को बहुत हानि हो जाने की सम्भावना थी । अतः किसी की सलाह नहीं ली जा सकती थी । ऐसा करना असम्भव था ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अवमूल्यन के पश्चात मूल्यों में वृद्धि हुई है। जो कार्यवाही की जानी थी उसे आवश्यकता के अनुसार जल्दी नहीं किया गया है। हमें तुरन्त कदम उठाने चाहिए। अवमूल्यन से देशीय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने का कोई कारण नहीं है। हमें इन मूल्यों को बढ़ाने से रोकना है। हम प्रत्येक मन्त्रालय में, विशेषकर खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में, एक संगठन बना रहे हैं जो मूल्यों की वृद्धि पर रोक लगायेगा। जब तक मूल्यों को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता तब तक मजूरी में वृद्धि पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती। अतः हमें जीवन के लिये आवश्यक सभी वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर देने चाहिये। तभी हम मजूरी में वृद्धि पर रोक लगा सकेंगे। मूल्यों पर बिना रोक लगाये मजूरी पर रोक लगा कर हम अपने कर्मचारियों को कठिनाई में नहीं डालना चाहते।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत जो हमें अनाज मिल रहा है वह कोई दान के रूप में नहीं मिल रहा है। इतना जरूर है कि हम डालरों की बजाय रुपयों में भुगतान कर रहे हैं। उनके पास फालतू अनाज है और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक अनाज बाहर से मंगाने में कोई दोष नहीं है। ऐसा तो सभी देश करते हैं। प्रत्येक देश अपने फालतू माल को दूसरे देशों को देता है और उनसे उनका फालतू माल लेता है। यह केवल भारत ही नहीं, परन्तु रूस, चीन और सभी देश ऐसा करते हैं। इस प्रकार के आपातकाल में यदि हम ऐसा करते हैं तो इस पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या उन्होंने भी इस प्रकार पी० एल० 480 के अन्तर्गत समझौते कर रखे हैं जिनमें उन्हें यह कहने का कोई अधिकार न हो कि इस धन को कहाँ लगाया जायगा ?

श्री स० का० पाटिल : धन तो वापस जायेगा ही। कभी कभी वे रुपयों में भुगतान नहीं चाहते हैं तो हमारे पास डालर तो हैं नहीं जो उनको दिये जांय। यदि हम अपने व्यापार को बढ़ायें तो यह धन इस प्रकार व्यापार द्वारा वापस जायेगा। प्रश्न यह है कि हमें वास्तव में एक ऐसी स्थिति में होना चाहिये जिससे हम विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकें। परन्तु इस धन के उपयोग के बारे में एक सामान्य समझौता है जिसके अन्तर्गत इसका उपयोग किया जाना है। यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यदि अनाज की कमी है तो लोगों को थोड़े में ही गुजर करने का प्रयत्न करना चाहिये। ऐसा करने की बजाय बन्दों का आयोजन किया जाता है और लोगों को उत्तेजित किया जाता है। यह कहां की देशभक्ति है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वास्तव में देश में अनाज की कमी नहीं है, इस कमी का कारण मुनाफाखोरी, चोरबाजारी तथा जमाखोरी है। इसके बारे में क्या स्थिति हैं, इसका उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री स० का० पाटिल : कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छी नहीं है। परन्तु प्रतिपक्षी दलों द्वारा जो इतनी बातें कही जाती हैं उनमें से कुछ इतनी अच्छी नहीं होती हैं, परन्तु हमें इन सभी बातों को सुनना पड़ता है। जितने जलूस निकाले जाते हैं और जितने आन्दोलन

किये जाते हैं उनमें लोगों की भूख का शोषण किया जाता है। इस प्रकार के ढंग नहीं अपनाये जाने चाहिये क्योंकि इससे देश के हितों को हानि होती है।

जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है हम बहुत कुछ कर रहे हैं जिससे हम आत्म-निर्भर हो सकें। यदि आगामी पांच वर्षों में आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हमारे देश के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे पूर्ण आशा है कि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल होगी और लोग रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी कठिनाईयों को भूल जायंगे। अनाज में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु हमें हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। यह ठीक है कि इस के साथ साथ हमें औद्योगिक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिये परन्तु कृषि की प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिससे हम आत्म-निर्भर हो जांय और अब जो लूट-मार तथा तोड़फोड़ की कार्यवाहियां हो रही हैं वे फिर न हों। इस बीच प्रतिपक्षी दलों को इस बात का ध्यान रखना है कि वे लोगों को लूट-मार करने अथवा आग लगाने और बंदों आदि का आयोजन करने के लिये उत्तेजित न करे। यदि जनता में ऐसा विष फैल जायेगा तो चाहे कोई भी दल सत्तारूढ़ क्यों न हो, देश का भला होने की आशा नहीं की जा सकती प्रतिपक्षी दलों को हमारी कठिनाइयों का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिये। इस बात का निर्णय तो लोग अपना मत दे कर स्वयं कर देंगे कि क्या यह जो हमने निर्णय किया है यह सार्वजनिक हित में है अथवा नहीं। मुझे पूर्ण आशा है कि देश को जिन कठिनाइयों का सामना है उनका मुकाबला करने में प्रतिपक्षी दल हमें अपना सहयोग देंगे क्योंकि इस प्रकार ही हम अपने देश को समृद्ध बना सकेंगे।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, कठिन खाद्य स्थिति, बढ़ते हुए मूल्यों तथा रुपये का अवमूल्यन के निर्णय को देखते हुए, अविश्वास प्रस्ताव अप्रत्याशित नहीं था, परन्तु यह प्रस्ताव वास्तविकता से परे है। अविश्वास प्रस्ताव की पहली शर्त यह है कि क्या कोई ऐसा प्रतिपक्षी दल है जो शक्तिशाली वैकल्पिक सरकार बना सके। स्पष्ट है कि लोकतन्त्रीय अथवा संसदीय ढंग से कोई शक्तिशाली वैकल्पिक सरकार नहीं बनाई जा सकती है। इसीलिए मैं सदा यह महसूस करता हूं कि इस संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव में न केवल संवैधानिक तथा संसदीय महत्व का ही अभाव है परन्तु यह केवल एक भ्रान्ति फैलाने वाली बात के अलावा और कुछ नहीं है। इन परिस्थितियों में इस अविश्वास प्रस्ताव से केवल आलोचना करने का ही अवसर मिलता है।

एक विकासशील समाज केवल आयोजन द्वारा ही सुव्यवस्थित ढंग से आर्थिक प्रगति कर सकता है। परन्तु खेद इस बात का है कि हमारा योजना आयोग ऐसे सिद्धान्तों पर कार्य करता रहा है जिनका यथार्थता से कोई सम्बन्ध नहीं है। योजना आयोग एक गैर-जिम्मेदाराना तौर से कार्य करता रहा है। इसमें दिखावा करने वाले सिद्धान्तवादी भरे पड़े हैं। इनकी कथनी तथा करनी में काफी अन्तर है और यह अन्तर और भी बढ़ता चला जा रहा है। वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने का बिलकुल कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। प्रत्येक मन्त्रालय अधिकाधिक खर्च करना चाहता है। राज्यों में भी वित्तीय अनुशासन की कोई भावना नहीं

है । परिणाम यह है कि ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो केवल दिखावे के लिये हैं, जिनसे हमें इतना अधिक लाभ होने की कोई सम्भावना नहीं है । इनको प्राथमिकता केवल इसलिये दी जाती है क्योंकि ये हमारी प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं और इनसे राजनैतिक संरक्षण तथा शक्ति प्राप्त होती है । निरन्तर रूप से करों में वृद्धि करने के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि राज्यों का लगभग दिवाला पिट गया है और वे रिजर्व बैंक से स्वीकृत धन से भी अधिक रकम निकाल कर अपना निर्वाह कर हैं । सारे देश में बहुत ही अधिक आर्थिक विधिहीनता फैली हुई है ।

यह तो ठीक है कि एक विकासशील समाज के लिए बाहर से कुछ सहायता लेना नितांत आवश्यक है परन्तु हमारे आयोजकों ने तो हमें पूर्णतया विदेशी सहायता विशेषकर अमरीकी सहायता पर आश्रित कर दिया है ।

अवमूल्यन से हमारी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है । यह सच है कि इसमें अमरीका की सरकार का हाथ है । हम अपनी निर्णय करने की शक्ति खो बैठे है और अमरीका की सरकार की जी हजूरी कर रहे हैं । इसके बावजूद भी हमें भिखमंगों की तरह उनकी भिक्षा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इससे अधिक अपमानजनक बात और क्या हो सकती है । मैं तो कहूँगा कि इससे तो साम्यवाद के कष्टों को सहन करना कहीं अधिक अच्छा होगा ।

सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है । लिपिकों तथा चपड़ासियों की संख्या तो अधिक है ही, परन्तु सचिवों, अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों, अपर संयुक्त सचिवों के साथ साथ मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है । स्पष्ट है कि इन पर बहुत ही अधिक खर्च किया जा रहा है ।

खाद्य-उत्पादन के बारे में जो वचन दिये जाते रहे हैं, वे सब खोखले सिद्ध हुए हैं । मुझे याद है जब मैंने 1951 में इस सम्बन्ध में तत्समय की सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि यदि इस प्रकार से कार्य होता रहा तो हम आगामी 10 वर्षों में भी अनाज के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो सकेंगे तो प्रधान मन्त्री, श्री जवाहर लाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार ने 2 वर्ष में अनाज में आत्म-निर्भरता प्राप्त न की तो वह त्यागपत्र दे देगी । परन्तु खेद है कि 15 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी हम अनाज में आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं कर सके हैं ।

कुछ प्रतिपक्षी वर्ग ऐसे हैं जो लोकतंत्रीय सिद्धान्तों को नहीं मानते हैं । उनके लिये लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है । वे तो लोकतन्त्रीय स्वाधीनताओं से अनुचित लाभ उठा कर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयत्न करते रहते हैं । अतः कांग्रेस दल द्वारा की गई गल्तियों के बावजूद मतदाताओं का एक बड़ा भारी वर्ग इसी को अपना मत देता रहेगा ।

यह कहना गलत है कि देश में कोई प्रगति नहीं हुई है । इस प्रकार कहने से विदेशों में एक गलत तस्वीर प्रस्तुत होती है तथा इससे हमारे अपने लोग भी निरूत्साहित हो जाते हैं । मैं देश का दौरा करता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि देश में सराहनीय प्रगति हुई है । औद्योगिक विस्तार भी हुआ है । 1965-66 की पहली तिमाही में औद्योगिक विस्तार में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है । धातुओं, रसायनों, मशीनी औजारों तथा कई उपभोक्ता उद्योगों के मामले

में हम अपनी आवश्यकतायें स्वयं पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक मुख्य कारण यह था कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन में हमने काफी आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली थी।

इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है । 1964-65 में 880 लाख टन अनाज पैदा हुआ था। गत दस बारह वर्षों में उत्पादन बढ़ कर दुगना हो गया है। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जो वार्षिक बढ़ोत्तरी हुई है वह भी कम नहीं है । 1964-65 में हमारी अर्थ व्यवस्था में 7 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। सकल राष्ट्रीय उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यह ब्रिटेन तथा अमरीका में हुई वृद्धि से भी अधिक है। परन्तु जब हम जनसंख्या में हुई वृद्धि के संदर्भ में देखते हैं तो एक धुंधली तस्वीर हमारे सामने आती है। भारत में प्रति मास 10 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। लूप से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जिससे वह इन भारी समस्याओं को हल कर दे। प्रगति करने के लिए हमें स्थिरता, अनुशासन तथा घोर यथार्थवाद की आवश्यकता है।

जहाँ तक स्थिरता के प्रश्न का सम्बन्ध है, कांग्रेस दल के कारण हमारे देश में राजनैतिक स्थिरता तो है परन्तु सामान्य अनुशासनहीनता जो इस देश में फैली हुई है इसका कारण राजनीतिज्ञों द्वारा लोगों को हिंसात्मक कार्यवाहियाँ करने, लूट-मार करने, राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहुंचाने तथा निर्दोष व्यक्तियों तथा बच्चों पर हमला करने के लिये उत्तेजित करना है। अनुशासनहीन राजनीतिज्ञ थोड़ा सा राजनैतिक लाभ उठाने हेतु लोगों में साम्प्रदायिक, जाति सम्बन्धी, प्रादेशिक तथा भाषाई मतभेद पैदा करता है। राजनीतिज्ञों को ऐसा नहीं करना चाहिये।

लोकतंत्रीय साधनों में वृद्धि होने से न केवल अदक्षता में ही वृद्धि हुई है परन्तु भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला है। कई निगमों तथा नगरपालिकाओं में, जिनमें से कई प्रतिपक्षी दलों के नियंत्रणाधीन हैं, काफी अदक्षता तथा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पंचायतों में जातिवादि, साम्प्रदायिकता तथा द्वेष की भावना बुरी तरह से फैली हुई है। इसके वावजूद भी प्रतिपक्षी दल वाले और विधानमंडल बनाने के लिये कहते रहते हैं। वे दिल्ली के लिये भी विधान मंडल की मांग करते हैं।

वे विधान सभायें और दूसरी स्वायत्त संस्थायें चाहते हैं जिनमें भ्रष्टाचार और कार्य शीघ्र न करने की प्रवृत्ति पनपती है।

मैंने केन्द्रीय खाद्य प्राविधिक अनुसंधान संस्था को एक पर्यवेक्षण में पढ़ा था कि हमारे खाद्यान्नों का 50 प्रतिशत अलाभकारी पशुओं तथा जानवरों के द्वारा नष्ट किया जाता है। मैंने भी गाय को मारना निषिद्ध माना है किन्तु और भी बहुत से बेकार पशु हैं। यह एक दकियानूसी विचार होगा कि हमारे 80 प्रतिशत पशू विल्कुल बेकार हैं। बन्दर भी हमारे अधिकांश खाद्यान्नों को नष्ट करते हैं, किन्तु हम लोग कुछ रुढ़िवादिता में उलझकर अपने को इस स्थिति से नहीं उबारना चाहते। यद्यपि बंदरों के निर्यात से हमें विदेशी पूंजी भी प्राप्त हो

सकती थी। नशा बन्दी से जैसे कि एक योजना आयोग के सदस्य ने बाताया देश को 200 करोड़ रुपये सालाना का नुकसान है। हम लोग कुछ पाखण्डी हो गये हैं और इससे त्राण होना कठिन है। हम एक आर्थिक एवं गणतन्त्र को जीवित रखने के युद्ध में उलझे हुये हैं और ऐसी स्थिति में स्थिरता आवश्यक है। देश के हित में कांग्रेस पार्टी का अनुशासित रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि दूसरे और किसी दल के शासनारूढ़ होने की निकट भविष्य में अधिक संभावना नहीं है। इसीलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : इस वाद-विवाद में वक्ताओं ने वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं किया हैं। श्री मुकर्जी के भाषण में भाषणकला की दक्षता के साथ-साथ अशिष्टता का भी मिश्रण था। मैं भी सरकार से सभी विषयों में सहमत नहीं हूं किन्तु यह कहने में भी कोई सचाई नहीं है कि सरकार देश को अमेरिका के पास बेच रही है। ऐसी बातें करना अनुचित है।

दूसरी तरफ मेरे पुराने मित्र श्री रंगा सरकार पर रूस का पक्ष लेने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने बुद्धिमानों की एक राष्ट्रीय सरकार बनाने का भी तर्क दिया जो मैं समझती हूँ सर्वथा अव्यवहारिक है। क्या वह अल्पतंत्र चाहते हैं? यद्यपि देश में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, किन्तु जब तक वे जनता के प्रतिनिधियों के रूप में नहीं निर्वाचित होते तब तक उनके द्वारा सरकार बनाने की बात सरकार नहीं हो सकती।

प्रो० हेम बरुआ ने श्री मुकर्जी और श्री रंगा के बीच के तर्क प्रस्तुत किये। उनके वक्तव्य चीन का पृष्टपोषण किया गया है। उन्होंने चीन के आँकड़ों का अनुचित एवं अविश्वसनीय अवलम्बन लिया।

अब मैं श्री गोपालन की चर्चा करना चाहती हूँ। ये चीन के प्रबल समर्थन में अपने देश को ही भूल गये। उन्होंने देश में बन्धों और हड़तालों के बारे में कहा। मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि वे चीन में चल रहे संसोधनों का स्मरण करें और सोचें कि यदि वे सत्ताधारी होते तो क्या करते? सम्भवत: उनके शासन काल में कोई जवान भी न खोल पाता। ये लोग यहाँ पर गणतंत्री व्यवस्था का अनुचित फायदा उठा रहे हैं। यह वाम पन्थी कम्युनिस्टों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है।

आचार्य कृपलानी के लिये मेरे हृदय में बहुत सम्मान है, वे संकटों में कांग्रेस के प्रधान रहे तथा अभी भी उनकी विचारों से हम लाभान्वित होंगे मैं श्री कृपलानी से अनुरोध करूँगी कि वे नेराश न हों। हमारे अन्दर कुछ कमियां रही हैं और अब भी होंगी, किन्तु इनसे कोई भी मानव संगठन या सरकार वञ्चित नहीं है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओ में कुछ आशातीत सफलायें मिली हैं तथा कुछ त्रुटियाँ भी रही होंगी जिनके लिये हम बार बार सरकार को स्मरण कराते रहे हैं।

श्री पाटिल ने ठीक ही कहा कि विकासशील अर्थतन्त्र के लिये ऋण लेना अवश्यम्भावी है। हमने अपने राष्ट्रीय सम्मान को ध्यान में रखकर ऋणों की अदायगी भी करनी है। हमारा खर्चा चीनी आक्रमण के बाद बहुत बढ़ गया क्यों कि हमें आर्थिक विकास के साथ-साथ सुरक्षा

पर भी खर्चा करना पड़ रहा है। विदेशी पूंजीविनिमय की स्थिति काफी बिगड़ गई और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को भी रोकना सम्भव नहीं। ये परिस्थितियां थी जिनके अन्तर्गत श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधानमन्त्रित्व ग्रहण किया।

अवमूल्यन के बारे में मेरा विचार है अगर कुछ पहिले ये कदम उठाये जाते तो अच्छा रहता। हमको इस सम्बन्ध में दक्षिणी अमेरिका को नहीं अपितु यूगोस्लोबिया को ध्यान में रखना है जिसने अवमूल्यन के बाद अपनी अर्थव्यस्था को ठीक किया।

इस समय हम राष्ट्रीय संकट की स्थिति में हैं। हममें से प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति का कर्तव्य है की वह मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक हो ताकि आगे अवमूल्यन न हो सके और आर्थिक स्थिति सुधर जाये। श्री पाटिल ने कुछ ठोस सुझाव देने की बात की। मैं भी अपने ठोस सुझाव दूँगी। मैं समझती हूँ कि अवमूल्यन के अप्रिय निर्णय के बारे में हमारी प्रधान मन्त्री और सरकार भी जानती थीं। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक दृष्टि से भी गलत निर्णय कहा क्योंकि आम चुनाव संन्निकट हैं। किन्तु कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह राष्ट्रीय हितों को दलीय हितों से ऊपर समझती है और यही इस बार सिद्ध हुआ। आचार्य कृपलानी ने जैसा कहा कि बसों आदि में सरकार के इस अप्रिय निर्णय की चर्चा होती है यह ठीक है। किन्तु आम चुनावों में जनता फिर से कांग्रेस दल को ही अपने मत देगी, क्योंकि जनता भी जानती है कि कांग्रेस से ही देश की भलाई सबसे अधिक हो सकती है। जनता हमारी कमजोरियों को भी समझती है और हमारे सदोद्देश्यों को भी जानती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या का समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती रेणुकाराय : मुझे डा० लोहिया के बारे में कुछ कहना है। इन्हें हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू राजनीति में लाये। आज ये भारतीय प्रधान मन्त्री और भारतीय नारियों के बारे में कहने वाले कौन हैं? भारतीय नारियां अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं तथा रोमान्चित हो रही है कि श्रीमती गांधी प्रधान मन्त्री हैं। वे सभी उनके साथ हैं और देश की कठिनाइयों में उन्हें अपना पूरा समर्थन देने को तैयार हैं। वे समझती हैं कि श्रीमती गान्धी के पास देश की समस्याओं को हल करने के लिये कोई जादू नहीं है। वे उनकी सच्चाई और ईमानदारी को जानती हैं। आजकल देश में कुछ हिंसात्मक और विद्रोही प्रवृत्तियाँ पनप रही है। इनसे देश का कल्याण नहीं होगा। हम इस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को भी नहीं सुधार सकेंगे और न ही कोई और समस्या हल करने में ये प्रवृत्तियाँ सहायक होंगी। हमारे वर्तमान संकट चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों से बदतर नहीं हैं और हम निश्चयतः धैर्य के साथ इनका मुकाबला करने में समर्थ होंगे। हमें गणतन्त्री तरीकों से समाजवादी राज्य का निर्माण करना है जैसा कि हमारे संविधान के प्रक्कथन में कहा गया है। अन्ततोगत्वा हमारी सैनिक शक्ति नहीं अपितु आर्थिक शक्ति ही हमें विश्व में सम्मानित करेगी।

श्री प्र० के० देव (कालाहाडी) : सरकार अपने कर्तव्य से गिर गई है। देश में पिछले पन्द्रह वर्षों से गलत आर्थिक नीतियाँ लागू की जा रही हैं। आवश्यक खाद्यानों के दाम अन्धा-धुन्ध बढ़ रहे हैं और दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो रही है। भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार बढ़

रहा है। अनावश्यक आपात स्थिति जारी है और मजदूरों तथा विद्यार्थियों पर प्रहार किये जा रहे हैं। किसानों और कृषि की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है और हमारी विदेश नीति डगमगा रही है।

सरकार ने देश का दिवाला निकाल दिया है। फिजूलखर्ची, दिवालियापन, बढ़ती हुई कीमतें और सरकार की देश में शासन करने की अयोग्यता अब काबू से बाहर हो रही है।

हमारे रुपये की साख शदियों तक बनी रही। केवल मुहम्मद तुगलक के शासन काल में कुछ चमड़े के सिक्के चलाये जाने से रुपये की स्थिति बिगड़ी। दूसरे विश्व युद्ध में कुछ मुद्रास्फीति होने के बावजूद 1947 में 1547 करोड़ रु० की असली पूँजी सचिन्त थी। उसके बाद अमेरिका से 3,000 करोड़ रु० की सहायता अब तक प्राप्त हो गयी है और 600 करोड़ रु० दूसरे देशों से भी प्राप्त हुए हैं। विश्व बैंक से 7350 लाख डालर का ऋण अब तक लिया जा चुका है। रूस से कुल विदेशी सहायता का 6.7 प्रतिशत प्राप्त हुआ है और अमेरिका से 58 प्रतिशत। इस प्रकार अमेरिका हमारी शान्ति तथा युद्ध काल में भी सहायता करता आ रहा है। खाद्य संकट में भी अमेरिका ही हमारी सहायता कर रहा है।

सरकार ने कभी वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया। गरीब करदाताओं के धन को निर्दयता से बरबाद किया जा रहा है। अन्धाधुन्ध करारोपण हो रहा है तथा घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाई जा रही है। अव्यवहारिक योजनायें बनाई गई हैं तथा सरकारी क्षेत्र के पक्ष में गलत प्राथमिकताएं दी गई हैं। हमारे योजना मन्त्री ने कहा था कि हमें 4,000 करोड़ रुपये के लगभग विदेशी ऋण की आवश्यकता होगी जिसमें से 1350 करोड़ रु० ब्याज के रूप में ही भुगतान करना होगा। अब अवमूल्यन के बाद तो स्थिति और बिगड़ गई है। हमारी सरकार ने चारवाक् दर्शन की उक्तियों को ही चरितार्थ किया है। रुपये की कीमत का 36 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ और हमारे वित्त मन्त्री ने माना कि मूल्य का पाँच वर्ष पूर्व का स्तर कायम करना भी असम्भव है। वास्तव में रुपये का स्तर तो पहले ही गिर चुका था यह तो सरकारी स्वीकृति मात्र थी।

अवमूल्यन के बाद यदि हम ब्रिटेन, फ्राँस और यूगोस्लाविया की तरह अनुशासन का पालन करें तो हम आर्थिक क्षेत्र में फिर से पनप सकते हैं। किन्तु यदि इंडोनेशिया की भांति हमने उलटा रास्ता अपनाया तो हम आर्थिक जाल में फंस जायेंगे तथा हमें फिर से भी अवमूल्यन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कीमतों को स्थिर करने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। सप्लीमेंट टू दि इकोनोमिक रिव्यू (Supplement to the Economic Review) में कहा गया है कि मार्च 1966 में समाप्त होने वाले तीन वर्षों में मूल्य स्तर 36.5 प्रतिशत बढ़ गया ; खाद्यान्नों का थोक मूल्य 42.1 प्रतिशत बढ़ गया तथा कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता सूचकांक में 33.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। थोक मूल्यों की बुलेटिन में कहा गया है कि देश के कुछ भागों में 130 रु० प्रति क्विटल के भाव से चावल बिक रहा है तथा जिन क्षेत्रों में राशनिंग नहीं है वहाँ 2 रुपया प्रति किलो का भाव है। केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के सदस्य श्री ल० ना० मिश्र ने अपने एक रेडियो भाषण में कहा कि नेहरू शासन के 13 वर्षों में मूल्य

सूचकांक 40 अंकों तक बढ़ा यानी 3 अंक प्रतिवर्ष; किन्तु वर्तमान शासन काल में यह 2 वर्षों के अन्दर 46 अंकों तक बढ़ गया है यानी 23 अंक प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में गरीबों तथा मध्यवर्ग को बड़ी असुविधा हो रही है। जब मूल्य स्थिर नहीं रखे जा सकते तो वेतन स्थिर रखने की बात करना बेकार है। कीमतों में वृद्धि के लिए व्यापारियों तथा उत्पादकों को दोष देना निरर्थक है। एक ओर सरकार मूल्य नियन्त्रित करने की बात करती है और दूसरी ओर कीमतें बढ़ाती जाती है। सभी सरकारी उपक्रम अपने मूल्यों तथा विभिन्न सेवाओं के दरों में वृद्धि करते जा रहे हैं।

बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए हमें उत्पादन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा। दमघोटने वाली नियन्त्रण, परमिट, लाइसेन्स और कोटा सम्बन्धी व्यवस्थओं को, जिनसे राजनितिक आश्रय तथा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, समाप्त किया जाना चाहिए। कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। भूमि सुधार सम्बन्धी सतरवें संशोधन के रहस्यपूर्ण वाक्यांश को रद्द किया जाना चाहिये; अन्यथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 12 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का उद्देश्य एक कल्पना ही रहेगा।

उड़ीसा के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के दर्मियान प्रधान मन्त्री ने कुछ निर्देश दिये थे किन्तु अधिकारी वर्ग सर्वथा उनके निर्देशों की विपरीत दिशा में जा रहा है। प्रधान मन्त्री ने कहा था किसानों को 100 रु० प्रति एकड़ की दर से अधिक से अधिक 800 रु० तक दकावी ऋण दिया जाये। किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला तथा वर्षा अच्छी होने के बावजूद भी इस वर्ष 25 प्रतिशत भूमि बगैर जोते और बोये पड़ी है। विपत्ति में किसानों ने अपना सब कुछ सामान बेंच दिया।

भारत रक्षा अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है। जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिये था, किन्तु इसे राजनीतिक विरोधियों को शिकार बनाने के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है। आपातकालीन अधिकारों को प्रशासनिक सुविधा का आधार बनाया गया है। यद्यपि सरकार ने कहा है कि इस अधिनियम को केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में ही जारी रखा जायेगा फिर भी इसके अन्तर्गत अभी भी सरकार नई शक्तियां हस्तगत करती जा रही है अवैध गतिविधि निवारक विधेयक भी सरकार की शक्ति प्राप्त करने का एक और उपाय है।

चीन के हाथों हमारा अपमान एवं पराजय हुई। इस कलंक को दूर करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। इस प्रकार हमने अपनी भूमि पर चीन के न्यूनाधिक अधिकार को ही स्वीकृत दी।

हमें एक दृढ़ और यथार्थवादी विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए। हम जानते हैं कि चीन दणिण पूर्वी एशिया की स्वतन्त्रता के लिए खतरा बना हुआ है। युद्धस्थल से अलग सैनिक अड्डों पर आक्रमण भी उसकी एक चाल है। हमें अपने देश के हित में अमरीका द्वारा उत्तरी वियतनाम के सैनिक अड्डों पर बमबारी का समर्थन करना चाहिये यद्यपि वहां हो रही मानव हत्याओं के लिये हम दुख अनुभव करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का

सभापति होने के नाते हमने जो सुझाव दिया था वह बड़ा ही उपयुक्त है और हमें उस पर दृढ़ रहना चाहिए ।

सोवियत संघ अब पाकिस्तान के साथ मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है । इन दोनों देशों के भ्रांतिपूर्ण सम्बन्धों पर हमें भारी चिन्ता है । हमें जागरूक रहना है तथा समयोचित कार्य करना है ताकि हमें पराजय का मुंह न देखना पड़े ।

सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार पनप रहा है । श्री प्रताप सिंह कैरों, श्री बिजू पटनायक, श्री बीरेन मित्र आदि नाम हमारे समाने हैं । हमारे यहाँ ओम्बड्स्मेन संस्था के प्रकार की एक संस्था होनी चाहिये । किन्तु नन्दाजी तथा उनकी सदाचार समितियों के साथ साथ इसकी व्यवस्था सम्भव नहीं है । देश में असंतोष बढ़ता जा रहा है ।

संसद के पहले दिन बहुत ही निराशा जनक दृश्य देखने को मिले । हमें गड़बड़ करने वाले तत्वों को मूंह नहीं लगाना चाहिये । परन्तु सरकार भी दोष मुक्त नहीं है । पहले दिन तो उन्होंने काफी साहस से काम लिया परन्तु अन्ततोगत्वा वे बाजी हार गये हैं और अध्यक्ष महोदय की प्रतिष्ठा पर भी कुछ प्रभाव पड़ा । इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए । सरकार वैसे भी अपने पूरे साधन लगा कर विरोधी पक्षों को उभरने से रोकती रही है । लोगों की अज्ञानता और गरीबी का लाभ उठाया जाता रहा है । विरोधी पक्ष के लोगों को कई प्रकार के लालच दिखाकर पथ भ्रष्ट किया जाता रहा है । हर जगह अपनी बहु संख्या का डर दिखा कर लोगों के सैनिक स्तर को कमजोर किया जाता रहा है । यह सब बातें मेरा निवेदन यह है कि नहीं होनी चाहिए ।

Shri M. P. Mishra (Begusarai) **:** It is really very sad that there is a great unrest in this country. Every type of effort is being done to create disorder and disruption in the country. State legislative assemblies and the Lok Sabha even is not allowed to proceed peacefully. It has also been observed that all such things are taking place in an organized way. It is very deplorable that certain opposition parties are out to cut at the very root of Parliamentary democracy. Opposition parties in this country has been demoralized due to their frustration to make their mark during the elections. They have not been able to secure any effective position during the last three General Elections. Now due to their failure and frustration they have chosen the path of violence and the irresponsible mentality is coming to stay. Let me state that it is not that the country is losing hope, it is the opposition parties that are losing hope. They find that there is no future for them.

I entirely agree that in every democratic set up there is a need of a strong opposition. Eventually we must have a strong opposition in our country also. But a strong and proper opposition is not emerging out in this country, then who is to be blamed. It is not the Congress who should be held responsible for this state of affairs. That is also almost clear, that the Communists and the other political parties have no faith in democracy. Political parties who have faith in democracy i.e. parties like Swatantra and P. S. P. should come forward and form a strong democratic opposition. This ultimately will be in the interest of the country and the Parliamentary democracy. But if unfortunately they dont succeed, the fault is not of the Congress.

Devaluation has been discussed in detail. It is creating its effect in the country. I admit that rising of prices is really very bad, but it is not such a thing that we

should get unnecessarily afraid of it. This is also a fact that the rising of prices is hitting the people living in the cities. But it is also a fact that it has improved the condition of the peasants and the rural people. As far as the difficulties of the rural people are concerned Government are trying their level best to solve them. All efforts are being made to check the further rise in prices. The rationing has been introduced in the cities. Also certain other steps are also being taken in this direction. In this connection I may also urge that food grains should be provided to workers at subsidized rates.

It should also be kept in mind while solving this problem that rise in prices is a sign of developing economy. It is also due to the imbalance in our planning. We have laid stress on big industries and have not paid adequate attention to the agricultural production. I would like to urge upon our Government that agriculture should be given top priority and farmers should be given all help so that they may be encouraged for better production. We must fully understand that our ultimate progress depends on the increased production in agriculture.

As for communists, it is very clear that they are loyal to foreign countries. They have absolutely no love for their own country. We definitely remember when China and Pakistan invaded our country they were quite indifferent towards it, but now they are very much worried about the war in Viet Nam. The people should be aware of their patriotic sense, which have their own peculiar colouring.

श्री करुथिरमण (गोबीचेहिपलयम) : लगभग सभी विरोधी पक्ष के सदस्यों के भाषण मैंने सुने हैं। उनमें कोई विशेष बात नहीं जिस पर ध्यान दिया जाय। एक ही बात है वे लोग वही बातें बार बार कह रहे हैं जिन्हें वे कई बार कह चुके है। कोई विशेष तत्व और तर्क की बात किसी भी अभिव्यक्ति में मुझे मिली नहीं है हमारे साम्यवादी भाई कहते हैं कि हमें अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहिए। हमें किसी भी स्थिति में विदेशी सहायता नहीं लेनी चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें विदेशी पूँजी नहीं लेनी चाहिए। इस बारे में मेरा निवेदन है कि हमारे साम्यवादी मित्रों को यह बात याद रखनी चाहिए कि लेनिन ने भी कहा था कि यदि जनता की स्थिति विदेशी सहायता लेने से सुधरती हो तो यह सहायता अवश्य लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि स्थिति ऐसी हो तो वह विदेशी पूंजी पतियों को 2000 प्रतिशत लाभ पर भी आपत्ति नहीं करेंगे।

जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, हम यह कह सकते हैं कि गत 15, 116 वर्षों में जो इस देश में हुआ है, उस पर हर हालत में गर्व किया जा सकता है। हमारे देश में काफी प्रगति हुई है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। हमारे देश में जो समय समय पर विदेशी आते रहे हैं। उन्होंने हमारी प्रगति की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है। केवल यह ही नहीं, आंकड़े भी हमारे सामने हैं। 1955-56 में हमारा खाद्यान्न का उत्पादन केवल 550 लाख टन था, परन्तु 1964-65 में यह बढ़ कर 800 लाख टन हो गया है। चाहे कुछ भी दोष अथवा कमियां क्यों न रह गयी हो, यह तो निर्मित ही है कि यह सब हमारी तीन पंचवर्षीय योजनाओं का ही परिणाम है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि मुद्रा का अवमूल्यन करने वाला हमारा देश पहला देश नहीं है। समय समय पर देश ऐसा करते रहे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि यदि हमारा देश ही पहला होता जिसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है तो भी यह कहा जा सकता था कि इस दिशा में गलत कदम उठाया गया है। परन्तु स्थिति ऐसी नहीं है।

इस विषय पर यदि सारी स्थिति का अध्ययन किया जाय तो हमें यह पता चलेगा कि हमने लगभग वही किया है जो होता आया है। हमें थोड़ा यर्थाथवाद की बात भी सोचनी है। हमारे रुपये का कुछ मूल्य है। परन्तु यह मूल्य उतना नहीं है जितना हम सोचते रहे हैं। यह भी तो तथ्य की बात है कि रुपये का विदेशी मूल्य भी कम हो गया था। आखिर सारी स्थिति का अध्ययन करके ही तो इस दिशा में अन्तिम पग उठाया गया है।

अब हमें और सब बातें छोड़ इसको यथार्थ समझ कर स्वीकार करना चाहिए। अब तो हमें अवमूल्यन के बाद की कार्यवाही के बारे में प्रयास करना चाहिए। हमें सब से अधिक तो इस बात की चिन्ता होनी चाहिए कि हमारे खाद्यान्न के उत्पादन में कैसे वृद्धि हो। इसके साथ ही हमें यह भी प्रयास करना है कि मूल्य ऐसे स्तर पर रहे और अधिक न बढ़ पाये, जिससे कि साधारण जनता को किसी प्रकार की हानि न हो पाए। मेरा विचार तो यह है कि अवमूल्यन का निर्णय करके सरकार ने काफी साहस पूर्ण पग उठाया है। इस साहस पूर्ण कार्यवाही पर हमें सरकार को मुबारकबाद देनी चाहिए। कांग्रेस दल ने देश के हित की कभी उपेक्षा नहीं की। इसके विपरीत कांग्रेस दल ने देश की जनता तथा सारे विश्व पर यह प्रकट कर दिया कि यह दल ऐसा है जो दल के हितों की बात बाद में सोचता है। इसकी दृष्टि में सब से प्रथम देश के हित आते हैं।

मूल्यों की जहां तक बात है एक यह भी तथ्य की बात है कि वर्ष के इन दिनों में साधारणतः मूल्यों में वृद्धि हो ही जाती है। इसलिए आज जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसमें अवमूल्यन का कोई हाथ नहीं है। हमें कृषकों को प्रोत्साहन देना चाहिए और उन्हें भूमि का स्वामी बना देने की गारन्टी देनी चाहिए। हमें यह भूल नहीं जाना चाहिए कि यह बात कांग्रेस के राज्य में ही सम्भव है। अन्य कोई दल ऐसा नहीं कर सकता। आज एक ही दल ऐसा है जिसके राज्य में सभी वर्ग प्रसन्न हैं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि इस समय देश की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र निर्माण करना है। राष्ट्रीय चरित्र द्वारा ही हम अपने देश को प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं।

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): I want to support this no-confidence motion. It is wrong to say that the opposition parties are bringing such motions without any solid ground. This motion has come before the House, as response from the Public demand. We have been reduced to a very miserable plight in this Congress regime. And in order to demonstrate that agony of the people, there is a motion of no-confidence.

It is really a great pity that under the Congress regime the economy of the country has gone from bad to worst. And the devaluation is the natural corollary to it. There has been absolutely no doubt about this fact that devaluation has been done under the pressure of U. S. A. and the World Bank. Whatever happened in the meeting of the Congress Working Committee is a clear demonstration of this fact. Even if it is accepted that devaluation cannot be discussed before decision is taken on it, I may ask, how far it is justified for the Ministers to mislead the House by saying that there is no proposal to devalue the currency ?

It has been stated that sometimes the officials do not behave properly. I

may state that if the integrity of a Government official is doubted he is at once dismissed. It is really pity that the Congress Govsrnment whose integrity is being doubted very seriously, but it is still in power and enjoying all the fruits of power. Congress has pledged to stand with democracy. In U. P. thousands of people were put behind the bars. I think it is a mockery of the laws as well as of the Constitution of the country.

It is fact that our Government have no worry for providing the daily necessities of life to the people. This is the root cause of great unrest and discontentment that we find today in the country everywhere. This discontentment is quite evident from the fact that even the Government employees who are not all under any influence of party politic, have gone on strike. Situation is really very deplorable.

It is a matter of great regret that Government have not adopted a national policy in the matter of education. Central Government are of the view that it is a state subject and the states do not like that it should be placed in the concurrent list. If the Central Government desire to formulate a national policy the Cougress High Command could give a directive to State Chief Ministers, who are of the Congress party But the sad fact is that the Government have no clear cut policy in the matter. Teachers are not getting adequate salaries. Free and compulsory education is becoming a mockery.

We have not been able to inculcate a sense of nationalism during these 20 years. Shri Lal Bahadur Shastri had suggested that our Ministers should visit countryside incognito to find for themselves the difficulties of villages. The corruption is rampant in administration. The common man has to experience many difficulties.

The Congress Government has lost the confidence of the people of the country. The coming elections will show this. The present crisis will have its repercussions, The big business concerns are making huge profits. They do not like to pay adequate salaries to their staff. They are retrenching their staff. I support this motion of no-confidence against this Government.

Shri A. P. Sharma (Buxar) **:** Sir, I have been listening to speechs during this discussion during the last three days. The opposition parties do not have a common programme. How can they advise the ruling party? Swatantra party is a capitalists. The P. S. P. and the Socialist party are always thinking in terms of bargaining. So far as the Communist Party is concerned, its both wings i. e, left and right are dangerous for the country. The leftist Communists openly support China while the rightist communists have always sympathised with communists of other countries. In this way both the wings are dangerous. The Communist party of India plotted sabotage against the national interest in 1942. It supported the Britishers. After independence the Communist Party has been instigating the labour and working against the industrial peace. They have been preaching violence and strikes. Communist Party wants that the people should not make progress. There should be widespread starvations and famines, These are their weapons. They want to make popular their ideology by these nefarious means.

Shri Gopalan has alleged that trade union leaders are being arrested and their activities are being suppressed. I do not agree with this. I feel this motion

has been brought forward keeping in view the coming elections. These parties want to come to lime light on the eve of elections. I think they would move another similar motion during the next session.

In regard to Vietnam, they have said many things. When our own country was attacked by China, they did not say anything. Their philosophy is that the Communist countries never invade another country or a democratic country. It is the biggest treason. I do not know how the communists and Jan Sangh have joined hands in bringing forward this motion. Their ideologies are quite different.

The policy of my party is that of friendship with all. We want mutual cooperation with all the countries. It is not correct, as our communists friends say that we have become slaves of America by getting aid from that country. The Opposition Parties should recognise the progress that has been made. Our country is short of foodgrains. If we get it from U.S.A., it does not mean that we have become slaves of that country.

I can say that majority of labour class of our country has rejected the Communist party. During the 1967 elections, the people of our country will reject them. This is the time when we should strive hasd for increasing the country's production capacity. The tactics of strikes and 'Bundhs' should not be resorted to.

This motion of no-confidence should be rejected by the House.

[MR. SPEAKER *in the Chair*
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री कृष्ण मेनन (बम्बई-उत्तर): श्रीमान जी, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अपना विरोध प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने का संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिपक्ष वालों को पूरा अधिकार है। हमें मालूम है कि प्रतिपक्ष वालों में आपस में बहुत से मतभेद हैं। उनकी सब से पहली मांग यह है कि सरकार को हट जाना चाहिये। उन्होंने मुख्य रूप से रुपये के अवमूल्यन के बारें में विरोध प्रकट किया है। दूसरी बात भारत के अन्तर्राष्ट्रीय नीति तथा कांग्रेस वालों की नैतिकता की बात की गई है।

अवमूल्यन के बारे में कहा गया है कि वित्त मन्त्री अपने साथियों से ढोल बजवा रहे हैं। इस बारे में आलोचकों को जान लेना चाहिये कि यह एक अच्छी प्रथा है। इसमें कार्यभार को बांटने की बात आती है। इसमें सहयोग की भावना का आभास होता है। इस समय हमारे देश के समक्ष की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां बदल गई है। इसका कारण रुपये का अवमूल्यन है। अब यह एक तथ्य है। अब तो प्रश्न यह है कि इससे क्या परिणाम निकलते हैं ? अब देखना यह होगा कि हमें पुनः अवमूल्यन न करना पड़े। इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं नहीं मानता कि हमें किसी दबाव में आकर निर्णय करने चाहिये। हमारी पार्टी और सरकार समाजवाद में विश्वास रखती है। न तो सरकार और न ही प्रतिपक्ष वाले इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में परिस्थितियां ही ऐसी हैं। हमें सरकार की इन नीतियों के कार्यान्वित करने में सहायता करनी चाहिये। अवमूल्यन के बाद की कार्यवाही बहुत महत्व रखती है। अवमूल्य के फलस्वरूप कुछ बोझे बढ़ गये हैं। अब आयात के लिये

भुगतानों में वृद्धि हो गई है। हमारे देश के अधिकाधिक लोगों को देश के विकास कार्यों में भाग लेना चाहिये। लोगों में एकता तथा देश प्रेम की भावना होनी चाहिये।

एक और मुख्य बात यह है कि हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये भरपूर प्रयत्न करना चाहिये। हमें विदेशों से सहायता प्राप्त करनी चाहिये परन्तु उससे हमारी नीति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। पंडित नेहरू ने 1952 में यह बात कही थी। यूगोस्लाविया ऐसा एक देश है जो विदेशों से सहायता लेता है परन्तु उसकी निति में किसी का अन्तर नहीं आता है।

यहाँ पर कहा गया है कि अवमूल्यन सरकार की 18 बर्षों की गलत नीति का परिणाम है। मैं इस आरोप से सहमत नहीं हूं। 1962 तक की सरकार की निति का देश के मतदाताओं ने अनुमोदन कर दिया था। इसी प्रकार समय समय पर यह संसद भी सरकार की नीतियों का अनुमोदन करती रही है।

मुझे भय है कि सरकार कहीं दबाव में आकर योजना के आकार में कमी न कर दे। हमें ध्यान रखना होगा कि लोगों के लिये रोज़गार काम न हो। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की ओर भी ध्यान देना होगा और योजना में व्यवस्था करनी होगी। हमें विदेशों से अधिक सलाह नहीं लेनी चाहिये। अपनी समस्याओं को समक्ष रखकर योजना बनाई जानी चाहिये।

योजना के लिये संसाधन जुटाना एक जटिल काम है। यह समस्या सभी विकासशील देशों के समक्ष आती है। जब तक हम ऋण के स्रोतों पर नियन्त्रण न करें यह समस्या सुलझाना कठिन काम होगा। एकाधिकारी व्यक्तियों पर नियन्त्रण करना होगा। बीमे का विकास कर के भी धन एकत्र किया जा सकता है। सरकार को यह स्वयं करना चाहिये। संसाधनों का संरक्षण भी महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे देश में बहुत सी सामग्री व्यर्थ में नष्ट कर दी जाती है। इस बारे में सावधानी की जानी चाहिये।

कृषि का बहुत महत्व है। इसके लिये वैज्ञानिक ज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। भूमि सुधार के बारे में कार्यवाही की जानी चाहिये। खाद्यान्नों की वितरण व्यवस्था पर सरकार की नियन्त्रण होना चाहिये। इसमें किसी प्रकार की विशेष विचारधारा की बात नहीं है।

उर्वरक के लिये हमें विदेशों से सहायता लेनी चाहिये परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमें कहीं लम्बे समय के लिये ऋणी न बनना पड़े।

खाद्यान्नों की अधिक मात्रा में आयात की प्रवृत्ति को रोकना चाहिये। अपने देश के किसानों को अधिक उपज करने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

अब मैं मूल्यों के प्रश्न की ओर आता हूं। जब तक मूल्यों को नियन्त्रण में नहीं रखा जाता तब तक कोई भी लोकतन्त्रीय सरकार चल नहीं सकती बलपूर्वक कोई भी सरकार कुछ दिनों के लिये कार्य कर सकती है परन्तु वह अधिक समय चल नहीं सकती। मूल्यों के विनियमन का केवल इतना ही अर्थ है कि अधिक से अधिक वस्तुएं और सेवाएँ अधिकतम

लोगों को पहुंचाई जायें। ऐसी प्रणाली में जहाँ वस्तुओं का वितरण अवाधरूप से नहीं किया जाता मूल्यों के नियन्त्रण का यही अर्थ है। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हमारा अस्तित्व मूल्यों को स्थिर रखने पर निर्भर है। मूल्यों को स्थिर रखने का यह अर्थ नहीं कि मूल्य जहाँ पर हैं उनको वहाँ ही रोका जाये परन्तु इसका अर्थ यह है कि वस्तुएं अधिकांश लोगों को मिल सके। मूल्यों को कानून द्वारा स्थिर रखना सम्भव नहीं है। मूल्यों को आवश्यक वस्तुओं के उद्गम पर नियन्त्रण रखकर और इसके वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक नियन्त्रण रखकर स्थिर रखा जा सकता है। जब तक अत्यावश्यक वस्तुओं की वसूली नहीं की जाती तब तक मूल्यों को नियन्त्रण में रखना सम्भव नहीं है।

हमारा विपरीत व्यापार शेष ठीक करने का एकमात्र उपाय यह है कि हम अपने आयात का मूल्य निर्यात की आय से चुकायें। अतः निर्यात के लिये आवश्यक उत्पादन की मात्रा अधिक से अधिक होनी चाहिये। फालतू स्टाक बनाना आवश्यक है जिसका मतलब यह है कि हमें कुछ क्षेत्रों में विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना होगा।

हमें यह समझ लेना चाहिये कि वियतनाम के मामले में हमारी विशेष जिम्मेदारी है। वियतनाम के मामले में अमरीका की नीति कोई नई नीति नहीं है बल्कि रुजवेल्ट के पश्चात इसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है वियतनाम की लड़ाई अमरीका कुछ आर्थिक हितों के कारणों से लड़ रहा है क्योंकि वहां से टिन, रबड़ आदि का आयात किया जाता है तथा यह समस्त क्षेत्र निर्मित वस्तुओं के लिये एक बहुत बड़ी मण्डी है। इस मामले में हम काफी हद तक आगे बढ़ गये हैं इसलिये सरकार को यह धारणा होनी चाहिये कि उसे सम्पूर्ण सदन का समर्थन प्राप्त हो। विसैन्यीकृत क्षेत्र हमारे नियन्त्रण में हैं इसलिये हमें यह समझना चाहिये कि अमरीका बम्बारी द्वारा हमें ही वहां से निकाल रहा है। प्रधान मन्त्री ने इस बारे में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जब तक हस्तक्षेप करने वालों द्वारा बमबारी बन्द नहीं कर दी जाती तब तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो सकती।

हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सदस्य हैं। इन वर्षों में हमने अपनी स्थिति से साहसपूर्ण तरीके में लाभ नहीं उठाया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के मामले में निश्चित कार्यवाही करना हमारे लिये आवश्यक है और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह किसी का गुलाम न बने। अब समय आ गया है जब कि हमें डालर का मूल्य कम करने के लिये कहना चाहिये।

हमें डालर का मूल्य कम कराने की मांग में जर्मनी तथा फ्रांस का साथ देना चाहिये। यदि डालर का मूल्य कम हो जाता है तो हम अपनी स्थिति कायम रख सकेंगे।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): I thank you Sir, that you have given me an opportunity to speak on this motion.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair:*]

There is a discontentment and frustration everywhere in the country and people are fed up from Government policies and deeds. There is no use of blaming the Opposition Parties for strikes and agitations which are taking place all over the coun-

try. Government and the ruling party themselves are responsible for all such happenings.

Nobody can deny that at present corruption, favouritism, nepotism and starvation is prevailing in the country and there is also a rift in the ruling party. Can any body say that black marketing and profiteering is not prevailing in the country ? In the circumstances discontentment and disorder is inevitable and this is useless to say that all these disturbances are being created by opposition parties.

The ruporters of the ruling party plead for the necessity of maintaining law and order and also peace in the country. But I do not undertand how peace and law and order could be maintained when Members of Parliament and legislatures are being beaten up by the police and the lathi is being charged on the innocent people ?

It is being said that there is a shortage of foodgrains in the country and we should stand by this situation. But I would like to know whether Government is not responsible for this situation ?

I would also like to know whether this shortage is not due to the fact that sufficient irrigation facilities were not provided, land reforms were not implemented and corruption was not checked ? Only Government is responsible for the present shortage of foodgrains, famine conditions and also for the violent activities wherever they might have occured. People have lost faith in the Congress and therefore, this party has no right to run the Government.

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर उत्तर) : मैंने विरोधी दलों के सदस्यों के कई भाषण सुने हैं परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कोई उचित आधार और विचार-धारा नहीं है। विरोधी दलों में सरकार तथा कांग्रेस दल के प्रति घृणा के अतिरिक्त और कोई बात समान नहीं है। इसलिये मैं कहूँगा कि इस मामले में उनका दृष्टिकोण नकारात्मक है। परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारा दृष्टिकोण समाजवाद, लोकतन्त्र और सहकारी क्षेत्र के विकास पर आधारित है।

ऐसा कहा गया है कि हम समाजवाद के मार्ग से हट रहे हैं। यहां पर मैं यह कहना चाहूँगा कि रूस, युगोस्लाविया तथा अन्य समाजवादी देश भी अभी समाजवाद का निर्माण कर रहे हैं। चीन जैसे देश में भी कुछ समय के लिये पूँजीपतियों को सदन किया गया था। इसलिये यदि आयोजित अर्थ-व्यवस्था में हम गैर-सहकारी क्षेत्र को सहन करलें तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। हमने राजकोषीय तथा मुद्रा सम्बन्धी नीतियों से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र पर नियन्त्रण कर लिया है। इसलिये अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को विनियमित करने में कोई अड़चन नहीं है जिससे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

इस सभा में इस बारे में आमतौर सहमति है कि मूल्यों को कम किया जाना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो इसके लिये कुछ प्रभावशाली कदम भी उठाये जाने चाहिये। वित्त मन्त्री ने पहले ही घोषणा करदी है कि वह चौथी योजना के आकार को छोटा करेंगे तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के खर्च में कमी की जायेगी। गैर-विकासकारी योजनाओं के खर्च में यथा सम्भव कमी की जा रही है।

हमारे लिये यह आवश्यक है कि व्यापारी वर्ग पर नियन्त्रण के लिये कुछ प्रभावशाली कदम उठायें। यही वर्ग वर्तमान परिस्थितियों से लाभ उठाता है।

न केवल दिल्ली में बल्कि यदि समूचे देश में सुपर बाजार तथा सहकारी संस्थाएँ स्थापित की जाती है तो मूल्यों पर इसका अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा ।

अवमूल्यन से जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसका हमें मुकाबला करना है। अवमूल्यन अनिवार्य था । स्थिति का मुकाबला करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जा रहे हैं ।

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अहमदाबाद में श्री इन्दुलाल याज्ञिक संसद सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी ।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): Mr. Deputy Speaker, Sir, I draw the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement in regard thereto :—

"Arrest of Shri Indu Lal Yajnik, M. P. and 38 other persons at Ahmedabad."

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : गुजरात सरकार से मिली जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने निवारक निरोध अधिनियम की धारा 3 के अधीन अहमदाबाद में 2 अगस्त, 1966 को श्री इन्दुलाल याज्ञिक, श्री दिनकर मेहता और अन्य व्यक्तियों को नजरबन्द करने का आदेश दिया था। ऐसा इसलिये किया गया ताकि वे अहमदाबाद नगर में सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर सकें। कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नजरबन्दी के कारण बताये जायेंगे ।

पुलिस कमिश्नर को इस बात की आशंका थी कि 8 अगस्त को अहमदाबाद में यहाँ गुजरात जनता परिषद् द्वारा अपना कार्यक्रम आरम्भ किये जाने पर बड़े पैमाने पर हिंसात्मक गतिविधियां होगी तथा सार्वजनिक शान्ति भंग होगी वह कार्यक्रम पेट्रोल पम्पों, तेल भण्डारों के डिपों और खाने के तेल बेचने वाली दुकानों पर सत्याग्रह से सम्बन्धित था। अधिकारियों को डर था कि इससे सरकारी तथा गैर-सरकारी जान-माल की काफी हानि होगी ।

Shri Kashi Ram Gupta : Sri Inder Lal Yajnik happenod to be a colleague of Mahatma Gandhi and he fully believes in non-violence. He has stated quite clearly that satyagrah would be held only at foreign owned oil pumps and shops. I would like to know whether the hon. Home Minister has got such information that Shri Yajnik and Maha Gujerat Parishad do not believe in violence; if so, whether he believes, that a change has occured in the attitude of Shri Yajnik, on the ground of false report of the police?

Shri Nanda : I have already furnished the information which was available with me. It is a State matte and they know better what to do.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I would like to know whether hon. Home Minister has tried to collect information in regard to violence and disorder which was apprehended or whether he can rely on the report of the Police Commissioner only.

Shri Nanda : I have already furnished the information which was available with me. It cannot be discussed here as it is a State subject.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know whether any action

is being taken against a person who is doing espionage work in A. I. C. C. and also against three Bengal Ministers who are indulging in smuggling.

Shri Nanda : This is a separate question. It has no relevance with the present motion.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is true that law and order are entirely State-subjects but some aspects of public order come under the purview of Centre. Constitution provides that Central shall look after law and order of all India concern. The Centre shall see that orders are acted upon by the States particularly when there is danger to public order. After the arrest of Shri Indulal Yajnik, an M. P., there is threat of disorder, violence and disturbance. Shri Indulal Yajnil's arrest is a matter of concern of all M. Ps. Had Shri Yajnik not been arrested there was not any possibility of violence. May I know in this context that as a result of arrest of Shri Yajnik there is threat of disorder in the State on a large scale.

Shri Nanda : Shri Inder Lal Yajnik was arrested as some material was found with him. It is said that the disorder may further deteriorate as a consequence of Shri Yajnik's arrest. These are bad intentions.

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : समाचारपत्रों में छपा है कि एक पोलिस अधिकारी ने कहा है कि अखिल भारतीय षड्यन्त्र खड़ा करने की एक साजिश थी। यदि ऐसा है तो क्या राज्य सरकार ने इसकी सूचना केन्द्र को दे दी थी और क्या राज्य सरकार ने इन व्यक्तियों की गिरफतारी से पहले केन्द्र का परामर्श ले लिया था क्योंकि अखिल भारतीय षड्यन्त्र केन्द्र का विषय है।

श्री नन्दा : एक प्रतिवेदन मिला है। हमें सूचना मिली है कि उन्हें एक षड्यन्त्र रचे जाने का निश्चय हो गया था। उनकी कार्रवाई अपने क्षेत्र तक सीमित है। इसलिये इससे अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : 1965 में जब श्री मौर्य की गिरफतारी हुई तो सभा बैठी हुई थी। श्री मौर्य की गिरफतारी पर सभा का एक मत था और सरकार भी इससे सहमत थी कि जब सभा बैठी हो, उस समय लोक सभा के सदस्य की गिरफतारी करने के लिये उसके विरुद्ध प्रत्यक्षत: कोई जुर्म का मामला हो। क्या केन्द्र सरकार ने इस स्थिति की सूचना गुजरात की सरकार को दे दी है। यदि नहीं दी तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सूचना देगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता की ऐसा कोई आश्वासन दिया गया था। यदि माननीय सदस्य के पास कोई सामग्री है तो वह सभा की सूचना में लायें।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : सदस्य की गिरफतारी के पश्चात इस सभा में कोई बातचीत हुई थी और इस सभा में मतैक्य था कि जब तक कोई सदस्य जुर्म नहीं करता उसकी गिरफतारी नहीं हो सकती। क्या गृह-कार्य मंत्री इस बात से इनकार करते हैं ?

श्री नन्दा : संभाव्यता उस समय भारत रक्षा नियम तथा भारत रक्षा अधिनियम लागू थे। किन्तु मुझे ठीक ठीक स्मरण नहीं है।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को श्री याज्ञिक और अहमदाबाद के मेयर की गिरफतारी का पता नहीं था और क्या केन्द्रीय सरकार को पता नहीं था कि

श्री याज्ञिक सत्र में शामिल होने वाले हैं और यदि ऐसा है तो लोक सभा की चालू बैठक में शामिल होने के लिये दिल्ली आने की इजाजत देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को क्या मन्त्रणा दी गई थी ?

श्री नन्दा : जैसा कि मैंने पहले बताया है हमारे पास कोई पूर्व सूचना नहीं थी।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मेरे हाथ में महागुजरात जनता परिषद द्वारा परिचालित विज्ञापन है जिसके आधार पर अहमदाबाद पोलिस ने षड्यन्त्र की इस कथा की कूट-रचना की है। इसे मैं सभा में प्रस्तुत कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : क्यों नहीं ? एक संसद सदस्य इसे पेश कर रहा है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : यह सब कुछ अमरीको तेल कम्पनियों, विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध है। इस संदर्भ में क्या मैं गृह मन्त्री से पूछ सकता हूँ कि षड्यन्त्र की क्या और यह गिरफ-तारियां करने के लिये अहमदाबाद में पोलिस अधिकारियों पर अमरीकी कम्पनियों अथवा अमरीकी राजदूतावास का प्रभाव नहीं डाला गया था जिनके पास प० ल० 480 के आधीन असीमित निधियां हैं।

श्री नन्दा : यह बिल्कुल असंगत है। मैं ऐसे आक्षेप का कड़ा विरोध करता हूँ। इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : क्या गृह मन्त्री को इस तथ्य का पता है कि पोलिस प्रवक्ता जिसने यह ब्यौरा दिया था, यह भी कहा था कि योजना का कार्यक्रम निर्धारित करने के लिये हाल ही में अहमदाबाद में षड्यंत्र के प्रायोजकों की एक गुप्त सभा हुई थी किन्तु यह सभा कब हुई, कहाँ पर हुई और कौन-कौन उपस्थित हुए, इसके बारे में कुछ नहीं बता सका। यदि ऐसा है तो क्या इस सभा के सदस्य को ऐसे अनुत्तरदायी आरोप के आधार पर गिरफतार किया गया है और ऐसे समय जब वह सभा में उपस्थित हुआ था और किसी आवश्यक कार्य के लिये एक दिन के लिए गुजरात के लिये रवाना हो गया था और वापस आने और अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेने और इस पर अपनी राय देने का उनका इरादा था ? यदि हां, तो क्या गृह मन्त्री का यह भी इरादा था कि विपक्षी दल का कम से कम एक बोट कम कर दिया जाये ?

श्री नन्दा : इस मामले की जांच मंत्रणा समिति करेगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : संसद सदस्य का अपमान संसद का अपमान है। क्या गृह मन्त्री ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि जब सभा बैठी हो तो संसद सदस्य को विरुद्ध न किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्थानीय सरकारों का विषय है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस सभा के एक माननीय सदस्य और इस देश के एक बड़ेनगर के मेयर की गिरफतारी की गई है। क्या गृह मन्त्री केन्द्र की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे यह सन्तोष हो कि राज्य सरकार की कार्रवाई उचित थी या अनुचित।

श्री नन्दा : लोक व्यवस्था के लिये कार्रवाई करने के लिए राज्यों से कहना मेरा उत्तरदायित्व नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : सरकार की दिवालिया नीतिओं के कारण आर्थिक असन्तोष बढ़ रहा है और जन संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। इस संघर्ष का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक गिरफतारियां, विशेष तौर पर साम्यवादी दल तथा संयुक्त समाजवादी दल के नेताओं की, की जाये ऐसा अनुदेश गृह मन्त्री ने दिया है। सरकार ने इन दलों के सैकड़ों नेताओं की सूचियां तैयार की हैं और गृह मन्त्री ने मुख्य मन्त्रियों को अनुदेश दिये हैं कि जब भी बढ़ते मूल्यों के विरुद्ध तथा अन्य समस्याओं के विरुद्ध कोई आन्दोलन हों तो निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत इन नेताओं को गिरफतार कर लिया जाये। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गृह मंत्री और मुख्य मंत्रियों ने कोई अखिल भारतीय षड्यन्त्र रचा है और क्या गृह मन्त्री ने मुख्य मंत्रियों को कोई स्थायी अनुदेश नहीं दिया है कि वे बामपंथी दलों के नेताओं को पकड़ें, गिरफतार करें और निरुद्ध रखें, विशेष तौर पर साम्यवादी दल और संयुक्त समाजवादी दल, क्योंकि ये संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं।

श्री नन्दा : मुख्य मंत्रियों को कुछ बताना मेरे और राज्य के बीच की बात है और यदि किसी समय सूचियाँ तैयार करनी पड़ें तो यह भिन्न मामला है किन्तु जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है वह गलत है।

इसके पश्चात लोक सभा वृहिस्पतवार 4 **अगस्त**, 1966/**श्रावण** 13, (1888 **शक**) **के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 4, 1966/ Sravana 13, 1888 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.